

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 203/2025

IN THE MATTER OF:

RAM MILAN

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENTS

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Response on behalf of the Respondent no.-4, Uttar Pradesh Pollution Control Board, in compliance to the order dated 27.05.2025 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi	1-4
2.	Annexure R4/1 A copy of joint committee inspection report	5-142

THROUGH

DATE: 15.07.2025

PLACE: NEW DELHI



STHAVI ASTHANA

ADVOCATE FOR THE RESPONDENT NO.4,

C9, SECTOR 50, NOIDA,

UTTAR PRADESH -201303

(M): 9711116034

(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 203/2025



IN THE MATTER OF:

RAM MILAN

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENTS

RESPONSE ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.-4,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN
COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 27.05.2025
PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I, Dr Madhavi Kamalvanshi, aged about 54 years W/o Dr Arvind Kumar, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB), Banda, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I the deponent in official capacity mentioned above, am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents



Madhu

of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

3. That in the present matter applicant has raised grievances regarding inconvenience to local people due to environmental imbalance in place near the river area due to illegal mining and transportation of more than the prescribed quantity in Bundelkhand rivers such as Betwa, Ken, Dhasan etc., without previous environmental clearance and mining lease deed.
4. That this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred to as Hon'ble Tribunal) vide its order dated 27.05.2025 was pleased to constitute a Joint Committee comprising of officers duly authorized by Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB), Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, District Magistrate, Jhansi; District Magistrate, Jalaun; District Magistrate, Hamirpur and District Magistrate, Banda and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action.
5. That in compliance to the direction passed by this Hon'ble Tribunal a joint committee has undertaken the site visit and



[Handwritten signature]

carried out the inspection of the mining lease holders on 01.07.2025, as mentioned in the order dated 27.05.2025 passed by this Hon'ble Tribunal, in presence of applicant i.e. Shri Ram Milan S/o Shri Virendra Kumar R/o Village and Post-Muskura, P.S.-Muskura, Tehsil-Maudaha, District-Hamirpur.

A copy of joint committee inspection report is being annexed herewith as Annexure R4/1.

6. That during the course of inspection, it was found that due to rains from a week, the mentioned areas have become water-logged and water streams are flowing in the areas have also become water-logged. At the same time the applicant/complainant has informed that in future if any irregularity is done by using heavy Poclain machines or any other irregularity, then he will inform the concerned department and also to this Hon'ble Tribunal.

7. That during the course of inspection a statement was recorded by the applicant/complainant of his own volition and without any pressure before the members of the joint committee that he has no complaint about the mining leases of District-Jalaun and Jhansi, or the mining department of the said districts.

8. That in pursuance to the direction passed by this Hon'ble Tribunal the observations and suggestion regarding appropriate remedial action are specifically mentioned in



Handwritten signature

the joint committee report for perusal and kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

- 9. That the above response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration. It is prayed that the same be taken on record.

[Signature]
DEPONENT

VERIFICATION

Verified at *Banda*..... on this the*15*... day of July, 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

[Signature]
DEPONENT
 (Know *Dr. Madhavi K. K. Vanshi*
 has Signed) T. I. before me



IDENTIFIED
 Abhay Tripathi
 Advocate/Notary
 Banda (U.P.)
15-7-2025



6479 S.No. --- Page No. --- 467
**SWORN
 BEFORE ME**
15-7-2025
**ABHAY TRIPATHI
 NOTARY BANDA**



ANNEXURE -R4/1

591

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ Regional Directorate, Lucknow
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India)

File No. : CM-13011/88 /2025 -LAW-HO-CPCB-HO /2-21

दिनांक : 10.06.2025

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी सी -12 वी, विभूतिखंड
गोमती नगर, लखनऊ -226010

विषय: मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे दायर ओ. ए. संख्या 203/2025 "राम मिलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन मे संयुक्त समिति में नामांकन के संबंध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे दायर ओ. ए. संख्या 203/2025 "राम मिलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके अनुसार मा.अधिकरण ने संयुक्त समिति का गठन किया है। उत्तरप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समन्वय एवं अनुपालन हेतु नोटल एजेंसी है। उपरोक्त संदर्भ में उक्त संयुक्त समिति में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने हेतु श्री संदीप रॉय, वैज्ञानिक 'घ' (मो. +91-9903816939, ईमेल : sandeeproycpcb@nic.in) को नामित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नामित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने का कष्ट करें। बैठक / निरीक्षण की तिथि एवं नामित अधिकारी के संबंध मे इस कार्यालय को अग्रिम सूचना श्रेयस्कर होगी।

भवदीय

संलग्नक: यथोपरि

क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. प्रभाग प्रभारी, आई. पी. सी. II प्रभाग, के. प्र. नि. बो., नई दिल्ली : सादर सूचनार्थ।
 2. प्रभाग प्रभारी, विधि प्रभाग, के. प्र. नि. बो., नई दिल्ली : सादर सूचनार्थ।
 3. क्षेत्रीय आधिकारी, उ. प्र. प्र. नि. बो., झांसी
 4. क्षेत्रीय आधिकारी, उ. प्र. प्र. नि. बो., बांदा
 5. श्री- संदीप रॉय वैज्ञानिक -'घ' क्षेत्रीय निदेशालय के. प्र. नि. बो., लखनऊ
- }: मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।

10/6/25
क्षेत्रीय निदेशक



संदर्भ सं० / 29392
Ref. No. सी-2/सा०-750/25
सेवा में,

दिनांक 20-6-25
Date

- | | |
|--|---|
| 1. सदस्य सचिव,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
परिवेश भवन, ईस्ट अर्जुन नगर,
दिल्ली। | 2. निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
उ०प्र० शासन। |
| 3. जिलाधिकारी,
झांसी। | 4. जिलाधिकारी,
जालौन। |
| 5. जिलाधिकारी,
हमीरपुर। | 6. जिलाधिकारी,
बांदा। |

विषय—मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० 203/2025 राम मिलन बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० 203/2025 राम मिलन बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत हैं -

....." 5. In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of officers duly authorized by Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB), Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, District Magistrate, Jhansi; District Magistrate, Jalaun; District Magistrate, Hamirpur and District Magistrate, Banda and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Report of the Joint Committee may be filed by UPPCB within two months.

7. List on 16.07.2025 for further consideration."....

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उपरोक्त आदेशानुसार संयुक्त समिति की रिपोर्ट दो माह में मा० अधिकरण में दाखिल किया जाने हेतु आदेशित किया गया है।। मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु राज्य बोर्ड से जनपद झांसी एवं जनपद जालौन हेतु श्री इमरान अली, क्षेत्रीय अधिकारी, झांसी (मोबाइल- 7839891712) तथा जनपद हमीरपुर एवं जनपद बांदा हेतु डा० माधवी कमलवंशी, क्षेत्रीय अधिकारी, बांदा (मोबाइल- 7839891909) को उक्त समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 27.05.2025 द्वारा गठित संयुक्त समिति के सदस्य हेतु अधिकारी नामित करने एवं संबंधित अधिकारी को मा० एन०जी०टी० के आदेशानुसार समयान्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

Digitally signed by
SANJEEV KUMAR SINGH
(संजीव कुमार सिंह)
Date: 12-06-2025
17:48:39
सदस्य सचिव

.....2/-

NGT Lucknow
- 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
5 - 226 010
: 0522-2720828, 2720831
: info@uppcb.in
: www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

-2-

प्रतिलिपि-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी/बांदा को इस निर्देश के साथ कि मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित संयुक्त समिति के सदस्यों से तत्काल समन्वय कर मा० एन०जी०टी० के आदेशानुसार रिपोर्ट निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत मा० अधिकरण में दाखिल किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. क्षेत्रीय निदेशक, जोनल आफिस (नार्थ), केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

सदस्य सचिव

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 1521 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : जून 27, 2025

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-203/2025 राम मिलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बाँदा।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-203/2025 राम मिलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

“5. In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of officers duly authorized by Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB), Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, District Magistrate, Jhansi; District Magistrate, Jalaun; District Magistrate, Hamirpur and District Magistrate, Banda and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Report of the Joint Committee may be filed by UPPCB within two months.

7. List on 16.07.2025 for further consideration.”

अतः उपरोक्त वाद में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के क्रम में जिलाधिकारी बाँदा के आदेश दिनांक 26.06.2025 द्वारा श्री राज रंजन कुमार, खान अधिकारी, बाँदा (मोबाइल नं0-8887534774) को उक्त समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है।



(राजेश कुमार)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी खनिज, बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सदस्य-सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, बाँदा।
5. जिलाधिकारी, झांसी।
6. जिलाधिकारी, जालौन।
7. जिलाधिकारी, हमीरपुर।
8. खान अधिकारी, बाँदा।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी खनिज, बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर
(खनन अनुभाग)

संख्या-544/खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2025-26)

दिनांक- 20.06.2025

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
बांदा।

विषय-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-203/2025 राम मिलन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-203/2025 राम मिलन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त आदेश कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

....."5. In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of officers duly authorized by Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB), Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, District Magistrate, Jhansi, District Magistrate, Jalaun, District Magistrate, Hamirpur and District Magistrate, Banda and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Report of the Joint Committee may be filed by UPPCB within two months.

7. List on 16.07.2025 for further consideration. ".....

उक्त के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर की ओर से श्री विकास सिंह परमार, खान अधिकारी हमीरपुर (मोबाइल नं0-8887534778) को उक्त समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

(घनश्याम मीना)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बांदा।
3. जिलाधिकारी, झांसी।
4. जिलाधिकारी, जालौन।
5. जिलाधिकारी, बांदा।

जिलाधिकारी
हमीरपुर

3112

कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन।
(खनन अनुभाग)

जिलाधिकारी
झांसी

पत्र सं० 767/खनिज-एमएमसी-30

दिनांक: 21 जून 2025

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-203/2025 राम मिलन बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र०. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झांसी।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०- 203/2025 राम मिलन बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त आदेश कार्यकारी अंश निम्नवत् है।

.....5. In view of the environmental question involved in the case, we also consider it appropriate that a joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a joint Committee comprising of officers duly authorized by Member Secretary, Centerl Pollution Control Board (CPCB), Member Secretary, uttar Pradesh pollution Control Board (UPPCB), Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, District Magistrate, Jhansi District Magistrate, Jalaun District Magistrate, Hamirpur and District Magistrate, Banda and direct the same to meet, within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Report of the Joint Committee may be filed by UPPCB within two months.

7. List on 16.07.2025 for further consideration.'.....

उक्त के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट जालौन की ओर श्री जी०के० दत्ता, खान अधिकारी जालौन (मोबाईल नम्बर 8887534825) को उक्त समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, जालौन।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ०प्र० खनिज भवन लखनऊ।
- 2- सदस्य सचिव उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी, झांसी/हमीरपुर/बांदा।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, जालौन।

कार्यालय जिलाधिकारी, झांसी (उ०प्र०)

पत्रांक: 189/0A-203/NGT/25

दिनांक: 24.06.25


कार्यालय ज्ञाप

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-203/2025, राम मिलन बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य, में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

...." 5. In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of officers duly authorized by Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB), Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, District Magistrate, Jhansi; District Magistrate, Jalaun; District Magistrate, Hamirpur and District Magistrate, Banda and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Report of the Joint Committee may be filed by UPPCB within two months."....

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-203/2025, राम मिलन बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच29392/सी-2/सामान्य-750/25 दिनांक 20.06.2025 के क्रम में श्री राम पदारथ सिंह, ज्येष्ठ खान अधिकारी, झांसी को गठित संयुक्त समिति का सदस्य नामित किया जाता है साथ ही निर्देशित किया जाता है कि गठित समिति के अन्य सदस्यों से समन्वय स्थापित कर निरीक्षण करने एवं आख्या अद्योहरताक्षरी को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें जिससे की ससमय रिस्पोंस माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।



जिलाधिकारी, झांसी

पृष्ठांकन सं०:

दिनांक:

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. श्री संदीप रॉय, वैज्ञानिक "घ", क्षेत्रीय निदेशालय केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), झांसी।
5. श्री इमरान अली, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, झांसी। (नोडल)


जिलाधिकारी, झांसी

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०,
"खनिज भवन," लखनऊ।

संख्या / एम०-एन०जी०टी वाद/2025

दिनांक 26 जून, 2025

कार्यालय आदेश

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-203/2025 राम मिलन बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके संगत प्रभावी अंश निम्नवत् है:-

".....5. In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of officers duly authorized by Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB), Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, District Magistrate, Jhansi; District Magistrate, Jalaun; District Magistrate, Hamirpur and District Magistrate, Banda and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Report of the Joint Committee may be filed by UPPCB within two months.

7. List on 16.07.2025 for further consideration.

8. A copy of this order be sent to the Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB), Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, District Magistrate, Jhansi; District Magistrate, Jalaun; District Magistrate, Hamirpur and District Magistrate, Banda by email for requisite compliance."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० से समिति के सदस्य के रूप में श्री आशीष चौधरी, भूवैज्ञानिक, क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र०, झांसी (मोबाइल नम्बर-8887534824) को एतद्वारा नामित किया जाता है।

अतः प्रकरण में श्री आशीष चौधरी, भूवैज्ञानिक, क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र०, झांसी को निर्देशित किया जाता है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा गठित समिति के सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर मा० एन०जी०टी० के उक्त आदेश का अनुपालन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराएं।

(माला श्रीवास्तव)

निदेशक।

संख्या 616 / एम०-एन०जी०टी वाद/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, ईस्ट अर्जुन नगर, दिल्ली।
2. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 20.06.2025 के सन्दर्भ में।
3. जिलाधिकारी, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी एवं बांदा।
5. श्री आशीष चौधरी, भूवैज्ञानिक, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, झांसी को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

(माला श्रीवास्तव)

निदेशक।

सेवा में,

1. श्री संदीप रॉय,
वैज्ञानिक "घ", क्षेत्रीय निदेशालय केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. श्री आशीष चौधरी
भू-वैज्ञानिक, क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र०, झांसी।
3. डा० माधवी कमलवंशी
क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
4. श्री राम पदारथ सिंह
ज्येष्ठ खान अधिकारी, जनपद-झांसी।
5. श्री जी०के० दत्ता
खान अधिकारी, जनपद-जालौन।
6. श्री विकास सिंह परमार
खान अधिकारी, जनपद-हमीरपुर।
7. श्री राज रंजन,
खान अधिकारी, जनपद-बांदा।

विषय : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचारधीन ओ०ए०-203/2025 राममिलन बनाम् स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक-27.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचारधीन ओ०ए०-203/2025 राममिलन बनाम् स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक-27.05.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

".....5. In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of officers duly authorized by Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB), Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, District Magistrate, Jhansi; District Magistrate, Jalaun; District Magistrate, Hamirpur and District Magistrate, Banda and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance."

प्रश्नगत वाद में शिकायतकर्ता द्वारा रात्रि के समय में अनियमित रूप से अवैध खनन होने, वाहनों की ओवरलोडिंग, भारी मशीनों के उपयोग आदि के सम्बन्ध में पर्यावरण को हो रहे क्षति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचारधीन ओ०ए०-203/2025 राममिलन बनाम् स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक-27.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में आज दिनांक 27.06.2025 अपरान्ह: 04:00 बजे को गठित संयुक्त समिति के सदस्यों के साथ वर्चुअल मॉड में आनलाइन बैठक प्रस्तावित है। बैठक का लिंक वाहटसअप ग्रुप पर प्रेषित कर दिया जायेगा।



अतः समस्त सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त प्रस्तावित बैठक में सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें। ताकि प्रकरण से सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकें।

भवदीय

(इमरान अली)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, नई दिल्ली
2. निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी महोदय, झांसी/जालौन/हमीरपुर/बांदा।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-203/2025 राम मिलन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-203/2025 राम मिलन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 निम्नवत है :-

.....“5. In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of officers duly authorized by Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB), Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, District Magistrate, Jhansi; District Magistrate, Jalaun; District Magistrate, Hamirpur and District Magistrate, Banda and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Report of the Joint Committee may be filed by UPPCB within two months.

7. List on 16.07.2025 for further consideration.”.....

- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर-203/2025 राम मिलन बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 27.06.2025 को विडियों कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया था कि निरीक्षण शिकायतकर्ता के उपस्थिति में किया जाना उचित होगा। तत्पश्चात दिनांक 01.07.2025 निरीक्षण की तिथि निर्धारित की गयी।

उपरोक्त माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 27.05.2025 के क्रम में गठित समिति के नामित अधिकारी 1. श्री संदीप राय, वैज्ञानिक “घ”, क्षेत्रीय निदेशालय केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ 2. श्री अशीष चौधरी, क्षेत्रीय अधिकारी, भू-वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, झॉंसी 3. श्री विकास सिंह परमार, खान अधिकारी, जनपद-हमीरपुर 4. श्री राज रंजन, खान अधिकारी, जनपद-बाँदा 5. श्री इमरान अली, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, झॉंसी 6. डॉ० माधवी कमलवंशी, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बाँदा (नोडल) द्वारा दिनांक 01.07.2025 को खनिज विभाग, हमीरपुर कार्यालय में शिकायतकर्ता श्री राम मिलन के साथ बैठक एवं उनकी उपस्थिति में खनन पट्टों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, मौके पर श्री राम मिलन द्वारा अपना लिखित रूप से बयान प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्नवत् उल्लेख किया गया है:-

“माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर-203/2025 राम मिलन बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त जाँच समिति द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 27.05.2025 में उल्लिखित खनन क्षेत्रों जनपद-हमीरपुर व जनपद-बाँदा की जाँच शिकायतकर्ता श्री राम मिलन पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार द्विवेदी, निवासी- ग्राम + पोस्ट मुस्करा, थाना-मुस्करा, तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर की उपस्थिति में किया गया, जाँच के समय पाया गया कि पिछले एक सप्ताह से बरसात हो जाने के कारण उल्लिखित क्षेत्र जलमगन हो गये हैं तथा क्षेत्रों में जलधारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण कोई भी खनन गढ़वा परिलक्षित नहीं हो रहा है ओर न ही किसी प्रकार की मशीनों से खनन ही हो रहा है। साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि लगभग एक सप्ताह से बारिस ज्यादा हो जाने के कारण खनन क्षेत्र तक पहुँचने वाले रास्ते भी जलमगन हो गये हैं। साथ ही साथ शिकायतकर्ता श्री राम मिलन द्वारा अवगत कराया गया कि भविष्य में अगर भारी पोकलेन मशीन या अन्य अनियमितता की जाती है तो सम्बन्धित विभाग व माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को सूचित करेंगे।

- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गये शिकायत के क्रम में गठित संयुक्त समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 01.07.2025 को वार्ता/पूछताछ मे मेरे द्वारा यह कथन बिना दबाव के स्वच्छ मन से दे रहा हूँ।



1. जनपद-जालौन तथा जनपद-झाँसी के खनन पट्टो तथा जनपद-जालौन व झाँसी के खनन विभाग से मुझे कोई शिकायत नहीं है।
2. जनपद-हमीरपुर के खनन क्षेत्र बेरी खण्ड संख्या-10/6, ग्राम-चण्डौत खण्ड संख्या-21/1 एवं ग्राम-इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/17, 25/18 एवं 25/21 में मुझे पोकलेन मशीन चलने तथा उत्पन्न गढ़ढो की शिकायत है।
3. उक्त के अतिरिक्त मुझे कोई शिकायत नहीं है।”(साक्ष्य संलग्न)
निरीक्षण के समय के फोटोग्राफ्स निम्नवत् है:-



जनपद-हमीरपुर में आच्छादित खनन क्षेत्रों की आख्या निम्नवत् है:-

1. मैसर्स कॉवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0, खण्ड नं0-10/06, ग्राम-बेरी तहसील व जनपद-हमीरपुर।

- मैसर्स कॉवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0, खण्ड नं0-10/06, ग्राम-बेरी तहसील व जनपद-हमीरपुर को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC23B001UP191792 दिनांक 02.11.2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 196097/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/HAMIRPUR/2023 दिनांक 23.11.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 23.11.2023 से 31.12.2027 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद-हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम बेरी के खण्ड संख्या-10/6- यह कि खनन पट्टा मे0 कॅवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0 निदेशक श्री कॅवर पाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह निवासी-डी-19 सेक्टर-40 नोएडा गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 व शिवानी सिंह पुत्री श्री अनिल कुमार सिंह पता-हाउस नं0-208 गली नं0-13 लिबर्टी शोरुम के पास भीकम कालौनी, बल्लबगढ़ फरीदाबाद हरियाणा के पक्ष में तहसील हमीरपुर के ग्राम बेरी खण्ड संख्या-10/6 रकबा-36.437 हे0 क्षेत्र पर बालू/मौरम खनन हेतु वार्षिक मात्रा-5,82,912 घन मीटर हेतु दिनांक-09.11.2023 से 08.11.2028 तक की अवधि के लिये स्वीकृत था। खान अधिकारी हमीरपुर द्वारा खनन क्षेत्र की जांच दिनांक-24.06.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1238.3 घन मीटर बालू/मौरम का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-551/खनिज-एम0एम0सी- तीस-विविध (2023-24) दिनांक-05.07.2024 निर्गत करते हुये अर्थदण्ड रु0-11,14,470/-आरोपित किया गया। पट्टाधारक द्वारा

Handwritten signature/initials

उक्त धनराशि जमा न करने के कारण कार्यालय के आदेश संख्या-233/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-23.07.2024 द्वारा अवैध खनन किये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। तहसीलदार हमीरपुर, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-23.12.2024 को जांच की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा नदी की जलधारा में खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-1418/खनिज- एम0एम0सी-तीस-विविध (2023-24) दिनांक-26.12.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0-5,00,000/- आरोपित किया गया। उक्त क्षेत्र की पुनः जांच उपजिलाधिकारी हमीरपुर, क्षेत्राधिकारी हमीरपुर एवं खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-27.02.2025 को की गयी जिसमें पट्टाधारक द्वारा 663 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-1816/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-10.03.2025 द्वारा अर्थदण्ड रु0-5,96,700/-आरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि खनन क्षेत्र में लगे वे-ब्रिज के माध्यम से दिनांक-09.11.2025 से 05.04.2025 तक निकासी किये गये उपखनिज के अवैध परिवहन किये जाने के कारण 356 वाहनों पर कुल रु0-1,52,74,484/- धनराशि आरोपित किया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र को इस कार्यालय के आदेश संख्या-141/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2025-26) दिनांक-24.04.2025 द्वारा खनन पट्टा निरस्त करते हुये देय बकाया धनराशि ससमय जमा करने हेतु तथा ससमय न जमा किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भाँति वसूल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. मैसर्स ओम प्रकाश राम औतार, खण्ड नं0-21/1, ग्राम-चण्डौत, तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर

- मैसर्स ओम प्रकाश राम औतार, खण्ड नं0-21/1, ग्राम-चण्डौत, तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC23B001UP115799 दिनांक 23.11.2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 195179/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/HAMIRPUR/2023 दिनांक 29.11.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 29.11.2023 से 31.12.2027 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद-हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम चण्डौत खण्ड संख्या 21/1- यह कि उक्त खनन पट्टा मे0 ओम प्रकाश राम अवतार प्रो0 श्रीमती रेनू गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी-128/346 एच0 ब्लाक किदवई नगर जनपद कानपुर नगर उ0प0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 रकबा-16.00 हे0 क्षेत्र में वार्षिक मात्रा 2,40,000 घन मीटर खनन हेतु दिनांक- 09.12.2023 से 08.12.2028 तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत खनन क्षेत्र की जांच खान अधिकारी हमीरपुर, तहसीलदार सरीला जनपद हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-19.03.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 6425 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-39/खनिज- एम0एम0सी-तीस-विविध (2023-24) दिनांक-04.04.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0-58,32,500/- आरोपित किया गया है। तत्पश्चात बकाया धनराशि जमा न करने के कारण कार्यालय के आदेश संख्या-623/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-20.07.2024 द्वारा अधिरोपित करते हुये धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। क्षेत्र की जांच खान निरीक्षक, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दिनांक-15.06.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1350 घन मीटर का अवैध खनन पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-381/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-22.06.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0-12,15,000/-आरोपित किया गया है। तत्पश्चात बकाया धनराशि जमा न करने के कारण कार्यालय के आदेश संख्या-230/खनिज-एम0एम0सी- तीस-विविध (2024-25) दिनांक-23.07.2024 द्वारा अधिरोपित करते हुये धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। प्रश्नगत क्षेत्र की जांच खान अधिकारी हमीरपुर, नायब तहसीलदार सरीला, चौकी प्रभारी चण्डौत, लेखपाल चण्डौत डाड़ा द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-18.11.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 5169.6 घन मीटर का अवैध खनन किया गया तथा खनन क्षेत्र में सी0सी0सी0टी0 कैमरा नही लगाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-1226/खनिज-एम0एम0सी- तीस-विविध (2024-25) दिनांक-26.11.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0-51,02,640/-आरोपित किया गया।

Handwritten signature/initials

तत्पश्चात् पट्टाधारक द्वारा बकाया धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या-1459/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-30.12.2024 द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-28.11.2024 से 01.12.2024 तक की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा 505 घन मीटर का अतिरिक्त खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-189/खनिज- एम0एम0सी-तीस-विविध (2025-26) दिनांक-07.05.2025 द्वारा रु0-4,54,500/- अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। उक्त क्षेत्र की पुनः जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल चण्डौत द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-27.04.2025 की गयी, जिसमें पट्टाधारक द्वारा कुल 1900 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-236/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2025-26) दिनांक-15.05.2025 द्वारा अर्थदण्ड रु0-17,10,000/-आरोपित किया गया है।

- उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक संख्या-एच18723/सी-2/सा0-668/24 दिनांक 16.10.2024 द्वारा रु0-1,04,96,250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

3. मै0 रेवा शुगर इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, खण्ड नं0-25/17, ग्राम-इछौरा, जितकरी, तहसील सरीला जनपद-हमीरपुर।

- यह कि खनन विभाग, जनपद-हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम इछौरा जितकरी खण्ड संख्या 25/17- यह कि उक्त खनन पट्टा मे0 रेवा शुगर इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 निदेशक रसमीत सिंह मल्होत्रा पुत्र श्री अजीत सिंह मल्होत्रा पता-पोस्ट व तहसील पिपरिया नेहरुवार्ड नं0-13 अल्का टाकीज के पास पिपरिया हौशंगाबाद म0प्र0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/17 रकबा-12.145 हे0 वार्षिक आकलित मात्रा-1,94,296 घन मीटर हेतु कार्यालय के पत्र संख्या-1737/खनिज-एम0एम0सी- तीस-विविध (2022-23) दिनांक-21.02.2023 द्वारा आशय पत्र (LOI) निर्गत किया गया है। उक्त खनन पट्टा वर्तमान समय में पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया में है।
- उक्त खनन पट्टे को कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में सहमति जल/वायु निर्गत नहीं है।

4. मैसर्स यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0, खण्ड नं0-25/18, ग्राम-इछौरा, जितकरी, तहसील सरीला जनपद-हमीरपुर।

- मैसर्स यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0, खण्ड नं0-25/18, ग्राम-इछौरा, जितकरी, तहसील सरीला जनपद-हमीरपुर को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B001UP110127 दिनांक 14.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 205700/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/HAMIRPUR/2024 दिनांक 22.03.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 22.03.2024 से 31.12.2028 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद-हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम इछौरा जितकरी खण्ड संख्या 25/18- यह कि उक्त खनन पट्टा मे0 यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0 निदेशक चन्द्रशेखर चौरसिया पुत्र श्री डी0डी0 चौरसिया निवासी-9ए पैरामाउण्ट विला श्यामला हिल्स नियर, रीजनल कालेज हुजूर रीजनल कालेज भोपाल म0प्र0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/18 रकबा-8.180 हे0 क्षेत्र में वार्षिक मात्रा 1,30,864 घन मीटर खनन हेतु दिनांक-16.03.2024 से 15.03.2029 तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत क्षेत्र की जांच खान निरीक्षक हमीरपुर, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा 15.06.2024 संयुक्त रूप से की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1820 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-382/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-22.06.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0-16,38,000/- आरोपित किया गया है। क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, थाना प्रभारी निरीक्षक

चिकासी, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-12.12.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक 10500 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-1348/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-12.12.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0-94,50,000/-आरोपित किया गया है। तत्पश्चात् आदेश संख्या-1557/ खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-22.01.2025 द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। खनन क्षेत्र की जांच उपजिलाधिकारी सरीला, क्षेत्राधिकारी सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-11.02.2025 को की गयीं जांच में पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र के अन्दर खनन कार्य करते हुये पाया गया। तत्पश्चात् क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-28.11.2024 से 01.12.2024 तक की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा 650 घन मीटर का अतिरिक्त खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-196/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2025-26) दिनांक-07.05.2025 द्वारा रु0-5,85,000/-अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

5. मैसर्स डिजियाना इण्डस्ट्रीज, खण्ड नं0-25/21, ग्राम-इछौरा जितकरी, तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर।

- मैसर्स डिजियाना इण्डस्ट्रीज, खण्ड नं0-25/21, ग्राम-इछौरा जितकरी, तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर को एस0ई0आई0ए0 के पत्रांक EC24B001UP180555 दिनांक 14.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 206013/UppCB/Banda(UppCBRO)/CTO/both/HAMIRPUR/2024 दिनांक 22.04.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 22.04.2024 से 31.12.2025 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद-हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम इछौरा जितकरी खण्ड संख्या 25/21- यह कि उक्त खनन पट्टा मे0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्मन निवासी-233 विष्णुपुरी एन0एक्स0 भेंवरकुंआ इन्दौर जी0पी0 म0प्र0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/21 रकबा-17.731 हे0 क्षेत्र में वार्षिक मात्रा 2,83,661 घन मीटर खनन हेतु दिनांक-11.11.2024 से 10.11.2029 तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत खनन क्षेत्र की जांच अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), हमीरपुर, उपजिलाधिकारी सरीला, खान अधिकारी हमीरपुर, क्षेत्रीय वनाधिकारी सरीला द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-22.11.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा न लगाये जाने के कारण 12 दिन की शास्ति रु0-3,00,000/-आरोपित की गयी है। तत्पश्चात पट्टाधारक द्वारा धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या-1458/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-30.12.2024 द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, थाना प्रभारी निरीक्षक चिकासी, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-12.12.2024 को की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन किया जाना पाया गया। क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, थाना प्रभारी निरीक्षक चिकासी, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-15.01.2025 को की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन किया जाना पाया गया। प्रश्नगत क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, उपनिरीक्षक थाना चिकासी, राजस्व निरीक्षक सरीला एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-30.01.2025 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1125 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-1732/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक- 27.01.2025 द्वारा अर्थदण्ड रु0-15,12,500/- आरोपित किया गया है। तत्पश्चात पट्टाधारक द्वारा धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या-1923/खनिज- एम0एम0सी-तीस- विविध (2024-25) दिनांक-28.03.2025 द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। उपजिलाधिकारी सरीला, क्षेत्राधिकारी सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-06.03.2025 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र में खनन किया जाना पाया गया। नदी की जलधारा में खनन कार्य होना नहीं पाया गया। खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा क्षेत्र की जांच दिनांक-19.04.2025 को की गयी।

Handwritten signature

जांच में 06 Suction Pump Machine/Lifter द्वारा बालू/मौरम का अवैधानिक तरीके से खनन करते पाये जाने पर उक्त मशीनों को सम्बन्धित थानों की सुपुर्दगी में देते हुये पत्र संख्या-101/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-19.04.2025 द्वारा अर्थदण्ड रु0-30,00,000/- आरोपित किया गया है। तत्पश्चात पट्टाधारक द्वारा धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या-276/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2025-26) दिनांक-28.05.2025 द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-28.11.2024 से 01.12.2024 तक की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा 300 घन मीटर का अतिरिक्त खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-197/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2025-26) दिनांक-07.05.2025 द्वारा रु0-2,70,000/- अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

जनपद-बाँदा में आच्छादित खनन क्षेत्रों की आख्या निम्नवत् है:-

1. मैसर्स ओम ट्रेडर्स, गाटा नं0-1971/1, ग्राम-गंछा, तहसील व जनपद-बाँदा।

- मैसर्स ओम ट्रेडर्स, गाटा नं0-1971/1, ग्राम-गंछा, तहसील व जनपद-बाँदा को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B0107UP5134183N दिनांक 08.10.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 223566/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2024 दिनांक 21.10.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 21.10.2024 से 31.12.2025 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद-बाँदा से प्राप्त सूचना के अनुसार मे0 ओम ट्रेडर्स प्रो0 श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रामआसरे तिवारी निवासी ग्राम-मेथीटिकुर, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-गंछा के गाटा सं0-1971/1 रकबा 24.71 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मौरम का खनन अनुज्ञा-पत्र दिनांक 28.10.2024 से 27.04.2025 तक स्वीकृत था, जिसकी अवधि दिनांक 27.04.2025 को समाप्त हो चुकी है।
- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 23.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र में 3503 घन मी0 बालू/मौरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-3946/खनिज-30 बाँदा दिनांक 23.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रु0 31,52,700/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रु0 31,52,700/- चालान नं0-AKV240025816 दिनांक 24.11.2024 व चालान नं0-AKV240025815 दिनांक 24.11.2024 द्वारा जमा किया गया।

2. मैसर्स मयूर बॉक्सार्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, गाटा नं0-72/47 का भाग एवं 74/01 का भाग (खण्ड नं0-3), ग्राम-पथरी, तहसील व जनपद-बाँदा।

- मैसर्स मयूर बॉक्सार्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, गाटा नं0-72/47 का भाग एवं 74/01 का भाग (खण्ड नं0-3), ग्राम-पथरी, तहसील व जनपद-बाँदा को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B001UP191707 दिनांक 06.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 204966/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2024 दिनांक 14.03.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 14.03.2024 से 31.12.2028 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद-बाँदा से प्राप्त सूचना के अनुसार मयूर बॉक्सार्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी पता-6 फ्लोर, डी0एन0-24, मैट्रिक्स टॉवर, सेक्टर-5, साल्ट लाके, कोलकाता (वेस्ट बंगाल) हेड ऑफिस पता-कमिश्नर आफिस के सामने, पानी टंकी रोड, कुदुदंड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) निदेशक श्री रवीश गम्बर पुत्र श्री मंजीत सिंह गम्बर निवासी-वार्ड नं0-14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो मॉल,

आपोजिट साउड परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-पथरी के गाटा सं०-72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं०-03) कुल रकबा 19.00 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 18.10.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 3373 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-3430/खनिज-30 बाँदा दिनांक 19.10.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 30,35,700/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 30,35,700/- चालान नं०-AKV240022184 दिनांक 19.10.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 23.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 2166.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-3985/खनिज-30 बाँदा दिनांक 26.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 19,49,850/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 19,49,850/- चालान नं०-AKV240026036 दिनांक 26.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 05.02.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 6854.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-4755/खनिज-30 बाँदा दिनांक 07.02.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 61,69,050/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 19.03.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं०-170/खनिज-30 बाँदा दिनांक 07.04.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 61,69,050/- विभिन्न चालान नं०-AKV250012310 दिनांक 24.04.2025 रू० 10,00,000/-, चालान नं०-AKV250013729 दिनांक 08.05.2025 रू० 25,00,000/- व चालान नं०-AKV250013760 दिनांक 08.05.2025 रू० 26,69,050/- द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 10.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 36518.75 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-5202/खनिज-30 बाँदा दिनांक 18.03.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 3,28,66,875/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 20.03.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं०-299/खनिज-30 बाँदा दिनांक 17.04.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया। पट्टाधारक द्वारा नोटिस दिनांक 18.03.2025 व स्पष्टीकरण निरस्तीकरण पत्र दिनांक 17.04.2025 के विरुद्ध मा० न्यायालय, आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा के अपील सं०-742/2025 योजित की गयी, जिसमें मा० न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 03.05.2025 के कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

“पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया तथा प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलकर्ता द्वारा समय के अन्दर प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः न्यायहित में अपील पंजीकृत की जाती है। स्थगन के संबंध में अपीलकर्ता के कथनों में बल प्रतीत होता है। ऐसी दशा में अग्रिम नियत तिथि तक के लिए जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 18.03.2025/17.04.2025 का क्रियान्वयन स्थगित किया जाता है। गुणदोष पर निस्तारण हेतु अवर कार्यालय की पत्रावली एवं प्रस्तरवार आख्या तलब की जाये। पत्रावली दिनांक 12.06.2025 को पेश हो।”

उपरोक्त आदेश के क्रम में कार्यालय पत्र सं०-1011/खनिज-30 बांदा दिनांक 24.05.2025 द्वारा पत्रावली व प्रस्तरवार आख्या प्रेषित की गयी। पट्टाधारक द्वारा अवैध खनन की कुल धनराशि रू० 3,28,66,875/- से से आंशिक धनराशि रू० 50,00,000/- विभिन्न चालानों के माध्यम से जमा किया गया है।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 03.05.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 43696 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-667/खनिज-30 बांदा दिनांक 06.05.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 3,93,26,400/- से अवगत कराया गया।

3. मैसर्स डेस्कान बिल्डटेक प्रा०लि०, गाटा नं०-333/7, खण्ड नं०-5, ग्राम-मरौली खादर, तहसील व जनपद-बाँदा।

- मैसर्स डेस्कान बिल्डटेक प्रा०लि०, गाटा नं०-333/7, खण्ड नं०-5, ग्राम-मरौली खादर, तहसील व जनपद-बाँदा को एस०ई०आई०ए०के० के पत्रांक EC23B001UP162818 दिनांक 18.04.2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 179001/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2023 दिनांक 21.04.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 21.04.2023 से 31.12.2027 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद-बाँदा से प्राप्त सूचना के अनुसार डेस्कान बिल्डटेक प्रा०लि० निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता निवासी-128/189, के० ब्लाक, किदवई नगर, जिला कानपुर नगर के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं०-333/7 का भाग (खण्ड सं०-05) कुल रकबा 23.00 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 03.05.2023 से 02.05.2028 तक स्वीकृत/निष्पादित है।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 16.10.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1703 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 4207 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-3378/खनिज-30 बांदा दिनांक 16.10.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 54,19,000/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 54,19,000/- को चालान नं०-AKV240021828 दिनांक 16.10.2024 रू० 25,00,000/- व चालान नं०-AKV240022391 दिनांक 22.10.2024 रू० 29,19,000/- द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 14.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 2991.75 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के

नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-3986/खनिज-30 बांदा दिनांक 26.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 26,92,575/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 29,92,575/- को चालान नं0-AKV240026050 दिनांक 26.11.2024 द्वारा जमा किया गया।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 4371.20 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-4470/खनिज-30 बांदा दिनांक 04.01.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 39,34,080/- से अवगत कराया गया।
 - प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 11.02.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 1150 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-4852/खनिज-30 बांदा दिनांक 17.02.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 10,35,000/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 10,35,000/- को चालान नं0-AKV250015095 दिनांक 22.05.2025 द्वारा जमा किया गया।
 - प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 03.04.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 24203.75 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-183/खनिज-30 बांदा दिनांक 08.04.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 2,17,83,375/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 05.5.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं0-1310/खनिज-30 बांदा दिनांक 13.06.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया।
 - प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27.06.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 7217 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में पट्टाधारक को नोटिस निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।
4. **मैसर्स प्रज्ञाविजन बिजिनेस प्राइवेट लिमिटेड, गाटा नं0-58, 107, 108, 109, 110, 111, 114, ग्राम-मडौली खुर्द खादर, तहसील-पैलानी, जनपद-बॉदा।**
- मैसर्स प्रज्ञाविजन बिजिनेस प्राइवेट लिमिटेड, गाटा नं0-58, 107, 108, 109, 110, 111, 114, ग्राम-मडौली खुर्द खादर, तहसील-पैलानी, जनपद-बॉदा को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B0107UP5972290N दिनांक 15.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 205059/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2024 दिनांक 15.03.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 15.03.2024 से 31.12.2025 तक है।

- यह कि खनन विभाग, जनपद-बाँदा से प्राप्त सूचना के अनुसार मे० प्रज्ञाविजन बिजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा०लि० निवासी-94 एल्डिको ग्रीन, गोमती नगर, लखनऊ निदेशक श्री यदुवंशी विकास सिंह पुत्र श्री यदुवंशी अशोक कुमार सिंह निवासी म०नं०-72 साई नगर फेस-2 सिंहपुर, थाना सारनाथ, तहसील सदर, जिला वाराणसी के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-मडौलीखुर्द खादर के गाटा सं०-58, 107, 108, 109, 110, 111 व 114 कुल रकबा 7.053 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है।
 - प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 22.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1651.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 1363.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-3948/खनिज-30 बाँदा दिनांक 23.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 27,13,500/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 27,13,500/- चालान नं०-AKV240025886 दिनांक 25.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
 - प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 08.01.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 5624.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-4569/खनिज-30 बाँदा दिनांक 16.01.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 50,62,050/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 23.01.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं०-1323/खनिज-30 बाँदा दिनांक 13.06.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया।
 - प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 19.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 17298.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-5238/खनिज-30 बाँदा दिनांक 21.03.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 1,55,68,650/- से अवगत कराया गया।
5. मैसर्स श्री प्रशांत कुमार गुप्ता, गाटा नं०-पार्ट ऑफ 333/7, खण्ड नं०-01, ग्राम-मरौली खादर, जनपद-बाँदा।
- मैसर्स श्री प्रशांत कुमार गुप्ता, गाटा नं०-पार्ट ऑफ 333/7, खण्ड नं०-01, ग्राम-मरौली खादर, जनपद-बाँदा को एस०ई०आई०ए०के के पत्रांक EC24B001UP141265 दिनांक 29.04.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 209807/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2024 दिनांक 13.05.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 13.05.2024 से 31.12.2025 तक है।
 - यह कि खनन विभाग, जनपद-बाँदा से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम किशन गुप्ता निवासी-14, पेट्रोल पंप के पास, गांधी नगर महोबा, तहसील व जिला महोबा के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं०-333/7 का भाग (खण्ड सं०-01) कुल रकबा 17.2802 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 18.10.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1403 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-3431/खनिज-30 बांदा दिनांक 19.10.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 12,62,700/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 12,62,700/- चालान नं०-AKV240022185 दिनांक 19.10.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 24.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 2332 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-3984/खनिज-30 बांदा दिनांक 26.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 20,98,800/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 20,98,800/- चालान नं०-AKV240026063 दिनांक 26.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1471 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 2003 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-4454/खनिज-30 बांदा दिनांक 04.01.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 31,26,600/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 31,26,600/- को चालान नं०-AKV250000702 दिनांक 08.01.2025 रू० 15,00,000/- व चालान नं०-AKV250001039 दिनांक 11.01.2025 रू० 16,26,600/- द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 19.05.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 1219.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-964/खनिज-30 बांदा दिनांक 22.05.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 10,97,500/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 10,97,500/- चालान नं०-AKV250015906 दिनांक 30.05.2025 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27.06.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 1804.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में पट्टाधारक को नोटिस निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

6. मैसर्स शुद्धतम इण्टरप्राइजेज, गाटा सं०-62 व 63/1, ग्राम-खपटिहाकलां, तहसील पैलानी, जनपद बाँदा ।

- Suddhatam Enterprises प्रो० श्री मनोज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सतीश चन्द्र मिश्रा निवासी बी-145 सेक्टर 51 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-खपटिहाकलां के




गाटा सं०-62 व 63/1 रकबा 42.00 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र दिनांक 12.11.2024 से 11.05.2025 तक स्वीकृत था, जिसकी अवधि दिनांक 11.05.2025 को समाप्त हो चुकी है।

- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 21.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र में 1101.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-3947/खनिज-30 बांदा दिनांक 23.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 9,91,350/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 9,91,350/- चालान नं०-AKV240025804 दिनांक 24.11.2024 व चालान नं०-AKV240025897 दिनांक 25.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र में 3619.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 731 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-4382/खनिज-30 बांदा दिनांक 30.12.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 39,65,450/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 39,65,450/- चालान नं०-AKV240029987 दिनांक 31.12.2024, चालान नं०-AKV240029984 दिनांक 31.12.2024 व चालान नं०-AKV240029990 दिनांक 31.12.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 20.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर 2078 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-5240/खनिज-30 बांदा दिनांक 21.03.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 18,70,200/- से अवगत कराया गया।
- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 29.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर 2875.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-28/खनिज-30 बांदा दिनांक 02.04.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 25,87,950/- से अवगत कराया गया।
- उक्त खनन पट्टे को कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में सहमति जल/वायु निर्गत नहीं है।

संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण के उपरान्त दिये गये सुझाव एवं उपचारात्मक कार्यवाही निम्नवत् है:-

1. खनन क्षेत्र में स्थापित प्रत्येक खनन पट्टों में खनन विभाग द्वारा जारी जियो को-आर्डिनेट के अनुसार पिलर की स्थापना किया जाये, साथ ही प्रत्येक पट्टाधारक के पास के०एम०एल० फाईल उपलब्ध हो, जिससे की खनन के दौरान अपने क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किये जाने की सम्भावना नगण्य हो।

2. वाहनों के आवागमन से उड़ने वाली धूल के नियन्त्रण हेतु टैंकर से जल का छिड़काव किया जाये एवं मौरम को गीला कर तिरपाल से ढक कर आवागमन हेतु प्रयोग किया जाये तथा उक्त के सम्बन्ध में लॉग बुक मेन्टेन की जाये।
3. जनपद—हमीरपुर एवं बॉदा में पर्यावरणीय स्वीकृति एवं सहमति जल/वायु में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सघन वृक्षारोण किया जाये, जिसकी प्रगति आख्या एवं विवरण सम्बन्धित विभागो को फोटोग्राफ्स सहित प्रेषित किया जाये।
4. सी0ई0आर0 के मद में आवंटित धनराशि को पर्यावरणीय स्वीकृति में दिये गये निर्देशो के अनुसार ही खर्च किया जाये।
5. जल धारा को अवरोधित किये बिना स्वीकृत खनन क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायें।
6. खनन क्षेत्र में अस्थाई (Bio-Toilet) को स्थापित कर प्रयोग किया जायें।
7. खनन क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट निस्तारण हेतु कलर कोड के अनुसार डस्ट बिन स्थापित कर प्रयोग किया जाये एवं सम्बन्धित स्थानीय निकाय के माध्यम से अपशिष्ट का निस्तारण किया जाये।
8. जनपद में संचालित खनन पट्टो की जांच समय-समय पर अथवा माह में कम से कम एक निरीक्षण अवश्य रूप से कर ली जाए।



डॉ0 माधवी कमलवंशी,
क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा



इमरान अली,
क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, झांसी



राज रंजन,
खान अधिकारी,
जनपद—बॉदा



राम पदारथ सिंह,
ज्येष्ठ खान अधिकारी,
जनपद—झांसी



जी0के0 दत्ता,
खान अधिकारी,
जनपद—जालौन



विकास सिंह परमार,
खान अधिकारी,
जनपद—हमीरपुर



अशीष चौधरी,
क्षेत्रीय अधिकारी,
भू-वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
झांसी



संदीप रॉय,
वैज्ञानिक "घ",
क्षेत्रीय निदेशालय केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 1579/खनिज-30, बाँदा

दिनांक : जुलाई 02, 2025

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-203/2025 राम मिलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बाँदा।

कृपया अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-203/2025 राम मिलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में जिलाधिकारी बाँदा के आदेश दिनांक 26.06.2025 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उक्त समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है, जिसकी सूचना कार्यालय पत्र सं0-1521/खनिज-30 बाँदा दिनांक 27.06.2025 द्वारा प्रेषित की गयी है।

गठित समिति द्वारा दिनांक 01.07.2025 को जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर में बालू/मोरम के स्वीकृत/संचालित खनन पट्टा क्षेत्र खण्ड संख्या-01 व 05 की जांच की गयी किन्तु खनन पट्टा क्षेत्र हेतु जाने वाले मार्ग में वर्षा होने के कारण अत्यधिक कीचड़ होने व गड़ढों में पानी भरे होने के कारण खनन पट्टा क्षेत्र तक पहुंचा नहीं जा सका। पूर्व में माह मई-2025 व जून-2025 में खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम-मरौलीखादर के खण्ड संख्या-01 व 05 व पथरी खण्ड सं0-03 में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है :-

खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम-मरौलीखादर, खण्ड संख्या-01

1. श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम किशन गुप्ता निवासी-14, पेट्रोल पंप के पास, गांधी नगर महोबा, तहसील व जिला महोबा के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं0-333/7 का भाग (खण्ड सं0-01) कुल रकबा 17.2802 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है।

2. प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 19.05.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 1219.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-964/खनिज-30 बाँदा दिनांक 22.05.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 10,97,500/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 10,97,500/- चालान नं0-AKV250015906 दिनांक 30.05.2025 द्वारा जमा किया गया।

3. प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27.06.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 1804.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में पट्टाधारक को नोटिस निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम-मरौलीखादर, खण्ड संख्या-05

1. डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा0लि0 निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता निवासी-128/189, के0 ब्लॉक, किदवई नगर, जिला कानपुर नगर के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं0-333/7 का भाग (खण्ड सं0-05) कुल रकबा 23.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 03.05.2023 से 02.05.2028 तक स्वीकृत/निष्पादित है।

615(2)

2. प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27.06.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 7217 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में पट्टाधारक को नोटिस निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम-पथरी, खण्ड संख्या-03

1. मयूर बॉक्सआईट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी पता-6 फ्लोर, डी0एन0-24, मैट्रिक्स टॉवर, सेक्टर-5, साल्ट लाके, कोलकाता (वेस्ट बंगाल) हेड ऑफिस पता-कमिश्नर आफिस के सामने, पानी टंकी रोड, कुदुदंड, विलासपुर (छत्तीसगढ़) निदेशक श्री रवीश गम्बर पुत्र श्री मंजीत सिंह गम्बर निवासी-वार्ड नं0-14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो मॉल, आपोजिट साउड परिसर, विलासपुर (छत्तीसगढ़) के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-पथरी के गाटा सं0-72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं0-03) कुल रकबा 19.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है।

2. प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 03.05.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 43696 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-667/खनिज-30 बांदा दिनांक 06.05.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 3,93,26,400/- से अवगत कराया गया।

खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम-मडौली खुर्द खादर

1. मे0 प्रज्ञाविजन बिजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा0लि0 निवासी-94 एल्डिको ग्रीन, गोमती नगर, लखनऊ निदेशक श्री यदुवंशी विकास सिंह पुत्र श्री यदुवंशी अशोक कुमार सिंह निवासी म0नं0-72 साई नगर फेस-2 सिंहपुर, थाना सारनाथ, तहसील सदर, जिला वाराणसी के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-मडौलीखुर्द खादर के गाटा सं0-58, 107, 108, 109, 110, 111 व 114 कुल रकबा 7.053 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है।

2. प्रश्नगत खनन पट्टे में माह मई-2025 व जून-2025 में पट्टाधारक के विरुद्ध अवैध खनन/परिवहन की कार्यवाही नहीं हुई है।

खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम-गंछा

1. मे0 ओम ट्रेडर्स प्रो0 श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रामआसरे तिवारी निवासी ग्राम-मेथीटिकुर, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-गंछा के गाटा सं0-1971/1 रकबा 24.71 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र दिनांक 28.10.2024 से 27.04.2025 तक स्वीकृत था, जिसकी अवधि दिनांक 27.04.2025 को समाप्त हो चुकी है।

खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम-खपटिहांकलां

1. Suddhatam Enterprises प्रो0 श्री मनोज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सतीश चन्द्र मिश्रा निवासी बी-145 सेक्टर 51 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-खपटिहांकलां के गाटा सं0-62 व 63/1 रकबा 42.00 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र दिनांक 12.11.2024 से 11.05.2025 तक स्वीकृत था, जिसकी अवधि दिनांक 11.05.2025 को समाप्त हो चुकी है।

2. प्रश्नगत खनन अनुज्ञा क्षेत्र में माह मई-2025 व जून-2025 में पट्टाधारक के विरुद्ध अवैध खनन/परिवहन की कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः उपरोक्तासनुसार वांछित आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(राज रंजन कुमार)
खान अधिकारी, बाँदा।

616
कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 3431 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : अक्टूबर / 9, 2024

नोटिस

श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता
पुत्र श्री राम किशन गुप्ता
निवासी-14, पेट्रोल पंप के पास,
गांधी नगर महोबा, तहसील व जिला महोबा।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं0-333/7 का भाग (खण्ड सं0-01) कुल रकबा 17.2802 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर व उपजिलाधिकारी सदर, बाँदा द्वारा दिनांक 18.10.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 18.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

3. पट्टाधारक श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम किशन गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टेधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 04 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त चारो पिट्ट का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-
4. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत खनन कार्य से निर्माण पिट्ट के जियोकोआर्डिनेट्स निम्नवत है :-

पिट्टस की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्टस का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°33'39.80"N	80°17'38.70"E	381	1.50	571.50
	B	25°33'39.91"N	80°17'39.25"E			
	C	25°33'40.40"N	80°17'39.27"E			
	D	25°33'40.57"N	80°17'38.82"E			
	E	25°33'40.30"N	80°17'38.47"E			
02	A	25°33'38.19"N	80°17'38.78"E	338	1.75	591.50
	B	25°33'38.12"N	80°17'39.21"E			
	C	25°33'38.53"N	80°17'39.48"E			
	D	25°33'38.86"N	80°17'39.20"E			
	E	25°33'38.75"N	80°17'38.72"E			
03	A	25°33'37.04"N	80°17'38.52"E	1417	2.00	2834.00
	B	25°33'36.32"N	80°17'38.52"E			
	C	25°33'35.54"N	80°17'38.39"E			
	D	25°33'35.55"N	80°17'37.56"E			
	E	25°33'36.54"N	80°17'37.28"E			
	F	25°33'37.25"N	80°17'37.91"E			
04	A	25°33'39.33"N	80°17'37.35"E	2051	1.75	3589.00
	B	25°33'38.75"N	80°17'37.58"E			
	C	25°33'38.00"N	80°17'37.48"E			
	D	25°33'37.62"N	80°17'36.98"E			
	E	25°33'37.89"N	80°17'36.29"E			
	F	25°33'39.04"N	80°17'35.98"E			
	G	25°33'39.80"N	80°17'36.65"E			
कुल योग :-						7586.00

618
कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 3984 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : नवम्बर 26, 2024

नोटिस

श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता
पुत्र श्री राम किशन गुप्ता
निवासी-14, पेट्रोल पंप के पास,
गांधी नगर महोबा, तहसील व जिला महोबा।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं0-333/7 का भाग (खण्ड सं0-01) कुल रकबा 17.2802 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, नायब तहसीलदार बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर व उपजिलाधिकारी सदर, बाँदा द्वारा दिनांक 24.11.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 24.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम किशन गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टेधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 05 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त चारो पिट्ट का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्टस की संख्या	विन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्टस का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°33'39.57"N	80°17'37.08"E	6555	2.50	16387.50
	B	25°33'38.90"N	80°17'39.22"E			
	C	25°33'35.89"N	80°17'39.64"E			
	D	25°33'36.09"N	80°17'37.06"E			
02	A	25°33'35.37"N	80°17'34.97"E	1538	2.50	3845.00
	B	25°33'35.88"N	80°17'34.35"E			
	C	25°33'36.73"N	80°17'34.87"E			
	D	25°33'36.64"N	80°17'36.04"E			
	E	25°33'35.54"N	80°17'36.06"E			
03	A	25°33'37.75"N	80°17'33.75"E	5988	2.50	14970.00
	B	25°33'37.57"N	80°17'34.55"E			
	C	25°33'36.99"N	80°17'36.46"E			
	D	25°33'39.94"N	80°17'36.64"E			
	E	25°33'40.44"N	80°17'34.62"E			
04	A	25°33'38.41"N	80°17'32.61"E	7116	2.00	14232.00
	B	25°33'38.53"N	80°17'33.35"E			
	C	25°33'41.26"N	80°17'34.69"E			
	D	25°33'42.11"N	80°17'32.48"E			
	E	25°33'40.56"N	80°17'30.76"E			
05	A	25°33'38.07"N	80°17'32.16"E	2157	2.50	5392.50
	B	25°33'40.57"N	80°17'29.95"E			
	C	25°33'39.53"N	80°17'28.52"E			
	D	25°33'37.61"N	80°17'29.55"E			
	E	25°33'37.73"N	80°17'31.30"E			
कुल योग :-						54827.00

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार खनन पट्टा प्रारम्भ से दिनांक 24.11.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 51092 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई0एम0एम0-11 जनित किया गया है तथा पूर्व में जांच दिनांक 18.10.2024 को 1403 घनमीटर का अतिरिक्त खनन का अर्थदण्ड आरोपित किया गया था। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से { 54827 - (51092 + 1403) } = 2332 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है। "

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में कुल 2332 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू0 3,49,800/- व खनिज मूल्य के रूप में रू0 17,49,000/- कुल रू0 20,98,800/- (रूपये बीस लाख अठानवे हजार आठ सौ मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।


जिलाधिकारी,
बॉदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 4454 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : ^{जनवरी} विसम्बर 04, 2024

नोटिस

श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता
पुत्र श्री राम किशन गुप्ता
निवासी-14, पेट्रोल पंप के पास,
गांधी नगर महोबा, तहसील व जिला महोबा।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं०-333/7 का भाग (खण्ड सं०-01) कुल रकबा 17.2802 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, खान अधिकारी बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, उपजिलाधिकारी बाँदा, डिप्टी कलेक्टर बाँदा व अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) बाँदा द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 26.12.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

3. जांच के समय यह पाया गया कि खनन क्षेत्र में उपखनिज बालू/मोरम का खनन कार्य करने से बने गढ़डे में पानी आ गया है। पानी आ जाने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उक्त स्थान पर बालू/मोरम का खनन कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संयुक्त जांच टीम द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की जांच के क्रम में यह देखा गया कि पट्टाधारक के स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर एक रास्ता/मार्ग मरौली खण्ड सं०-02 की तरफ लगभग 150 मी० लम्बा एवं 7 मी० चौड़ा रास्ता बना हुआ पाया गया एवं लगभग 150 मी० दूर जा कर खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किया जाना पाया गया, जिसको दृष्टिगत रखते हुये उक्त बने रास्ते को जे०सी०बी०/पोकलैण्ड मशीन के माध्यम से कटवां/तुड़वा दिया गया है।
5. पट्टाधारक श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम किशन गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 04 पिट तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 02 पिट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिटों का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-
6. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत खनन कार्य से निर्माण पिट के जियोकोआर्डिनेट्स निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°33'43.40"N	80°17'30.68"E	18486	1.50	27,729.00
	B	25°33'41.72"N	80°17'32.42"E			
	C	25°33'41.31"N	80°17'39.01"E			
	D	25°33'45.32"N	80°17'38.69"E			
02	A	25°33'41.38"N	80°17'32.65"E	10071	1.75	17,624.00
	B	25°33'39.47"N	80°17'34.15"E			
	C	25°33'37.44"N	80°17'38.34"E			
	D	25°33'40.47"N	80°17'38.63"E			
03	A	25°33'38.86"N	80°17'33.92"E	13470	1.00	13,470.00
	B	25°33'36.80"N	80°17'38.67"E			
	C	25°33'33.90"N	80°17'39.71"E			
	D	25°33'36.59"N	80°17'32.62"E			
04	A	25°33'44.53"N	80°17'27.77"E	26146	1.00	26,146.00
	B	25°33'39.31"N	80°17'33.71"E			
	C	25°33'37.10"N	80°17'31.33"E			
	D	25°33'40.94"N	80°17'24.74"E			
कुल योग :-						84,969

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार खनन पट्टा प्रारम्भ से दिनांक 26.12.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 79763 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई0एम0एम0-11 जनित किया गया है तथा पूर्व में जांच दिनांक 18.10.2024 को 1403 घनमीटर व जांच दिनांक 24.11.2024 को 2332 घन मी0 कुल 3735 घनमीटर का अतिरिक्त खनन का अर्थदण्ड आरोपित किया गया था। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से [84969 - (79763 + 3735)] = 1471 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।

7. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन कार्य से निर्माण पिट्ट के जियोकोआर्डिनेट्स निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°33'43.70"N	80°17'39.33"E	1453	1.00	1453
	B	25°33'41.81"N	80°17'39.53"E			
	C	25°33'41.85"N	80°17'40.42"E			
	D	25°33'43.94"N	80°17'40.06"E			
02	A	25°33'34.05"N	80°17'45.81"E	550	1.00	550
	B	25°33'33.11"N	80°17'45.94"E			
	C	25°33'33.27"N	80°17'46.54"E			
	D	25°33'34.21"N	80°17'46.54"E			
कुल योग :-						2003

पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 2003 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है।

8. इस प्रकार उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा खनन अनुज्ञा क्षेत्र के अन्तर्गत 1471 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 2003 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

आप द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में कुल 1471 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹0 2,20,650/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹0 11,03,250/- कुल ₹0 13,23,900/- तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर कुल 2003 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹0 3,00,450/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹0 15,02,250/- कुल ₹0 18,02,700/- राजस्व की क्षति हुई है।

इस प्रकार आप द्वारा 1471 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन से ₹0 13,23,900/- तथा 2003 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन से ₹0 18,02,700/- कुल घनराशि (13,23,900 + 18,02,700) ₹0 31,26,600/- (₹0 इकत्तीस लाख छब्बीस हजार छः सौ मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।


 जिलाधिकारी,
 बाँदा।
 9/11

622

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 964 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : मई 22, 2025

नोटिस

श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता
पुत्र श्री राम किशन गुप्ता
निवासी-14, पेट्रोल पंप के पास,
गांधी नगर महोबा, तहसील व जिला महोबा।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं0-333/7 का भाग (खण्ड सं0-01) कुल रकबा 17.2802 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप नायब तहसीलदार बाँदा, खान अधिकारी बाँदा व उपजिलाधिकारी बाँदा द्वारा दिनांक 19.05.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या संख्या-919/खनिज-30, बाँदा दिनांक 20.05.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"पट्टाधारक मे0 श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम किशन के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 02 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिट्ट का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°33'34.42"N	80°17'45.50"E	207	0.50	103.50
	B	25°33'35.57"N	80°17'45.20"E			
	C	25°33'35.69"N	80°17'45.50"E			
	D	25°33'34.72"N	80°17'45.58"E			
02	E	25°33'49.76"N	80°17'43.35"E	372	3.00	1116.00
	F	25°33'50.09"N	80°17'42.93"E			
	G	25°33'50.48"N	80°17'43.24"E			
	H	25°33'49.82"N	80°17'44.15"E			
कुल योग :-						1219.50

इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 1219.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।"

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 1219.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹0 1,82,925/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹0 9,14,625/- कुल ₹0 10,97,550/- राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. N. Mishra
22/05/2025
जिलाधिकारी,
बाँदा।

623

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 1589 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : 02/07/2025

नोटिस

श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता
पुत्र श्री राम किशन गुप्ता
निवासी-14, पेट्रोल पंप के पास,
गांधी नगर महोबा, तहसील व जिला महोबा।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं0-333/7 का भाग (खण्ड सं0-01) कुल रकबा 17.2802 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27.06.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या संख्या-1555/खनिज-30, बाँदा दिनांक 30.06.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम किशन गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 01 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिट्ट का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°33'46.10"N	80°17'40.24"E	1203	1.50	1,804.50
	B	25°33'45.63"N	80°17'39.12"E			
	C	25°33'46.87"N	80°17'38.99"E			
	D	25°33'47.21"N	80°17'40.11"E			
कुल योग :-						1,804.50

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 1,804.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।

5. उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि खनन पट्टा क्षेत्र की जांच हेतु, खनन पट्टा के पहुंच मार्ग पर 05 वाहन अवैध परिवहन/ओवरलोडिंग करते हुये पाये गये। उक्त वाहनो को संयुक्त जांच टीम द्वारा जिलाधिकारी महोदया के अग्रिम आदेशो तक थानाध्यक्ष मटौध की अभिरक्षा में दिया गया। उक्त कृत्य कार्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60(6) का उल्लंघन है।"

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 1804.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू0 2,70,675/- व खनिज मूल्य के रूप में रू0 13,53,375/- कुल रू0 16,24,050/- तथा ओवरलोडिंग के उपखनिज का परिवहन कर रहे 05 वाहनों के सम्बन्ध में रू0 25,000/- प्रति वाहन के अनुसार कुल रू0 1,25,000/- कुल धनराशि (16,24,050 + 1,25,000) 17,49,050/- (रू0 सतरह लाख उनचास हजार पचास मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. Nulke
02/07/2025
जिलाधिकारी,
बाँदा।

624
कायस्थ जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 3378/खनिज-30, बाँदा

दिनांक : अक्टूबर 16, 2024

डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि०
 निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता
 पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता
 निवासी-128/189, को० ब्लाक, किदवई नगर,
 जिला कानपुर नगर।

नोटिस

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं०-333/7 का भाग (खण्ड सं०-05) कुल रकबा 23.00 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 03.05.2023 से 02.05.2028 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान अधिकारी बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर व उपजिलाधिकारी सदर, बाँदा द्वारा दिनांक 16.10.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 16.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

3. पट्टाधारक डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि० निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टेधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 06 पिट तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 02 पिट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त दोनो पिट का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-
4. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत खनन कार्य से निर्माण पिट के जियोकोआर्डिनेट्स निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°34'5.69"N	80°18'2.74"E	203	2.50	507.50
	B	25°34'5.40"N	80°18'2.89"E			
	C	25°34'5.41"N	80°18'3.41"E			
	D	25°34'5.74"N	80°18'3.58"E			
	E	25°34'5.77"N	80°18'3.01"E			
02	A	25°34'5.55"N	80°18'1.79"E	247	1.75	432.25
	B	25°34'5.71"N	80°18'2.02"E			
	C	25°34'5.99"N	80°18'2.08"E			
	D	25°34'6.30"N	80°18'2.00"E			
	E	25°34'6.16"N	80°18'1.58"E			
	F	25°34'5.90"N	80°18'1.57"E			
	G	25°34'5.68"N	80°18'1.62"E			
03	A	25°34'4.03"N	80°18'2.85"E	159	2.75	437.25
	B	25°34'4.31"N	80°18'3.05"E			
	C	25°34'4.65"N	80°18'3.07"E			
	D	25°34'4.62"N	80°18'2.69"E			
	E	25°34'4.31"N	80°18'2.70"E			
	F	25°34'4.14"N	80°18'2.69"E			
04	A	25°34'3.21"N	80°18'3.62"E	421	2.75	1157.75
	B	25°34'3.16"N	80°18'3.17"E			
	C	25°34'2.94"N	80°18'2.86"E			
	D	25°34'2.68"N	80°18'3.12"E			
	E	25°34'2.52"N	80°18'3.46"E			
	F	25°34'2.63"N	80°18'3.67"E			
	G	25°34'2.58"N	80°18'3.95"E			
	H	25°34'2.91"N	80°18'3.87"E			



05	A	25°34'7.90"N	80°18'3.29"E	736	2.00	1472.00
	B	25°34'7.76"N	80°18'3.16"E			
	C	25°34'8.61"N	80°18'0.11"E			
	D	25°34'8.91"N	80°18'0.27"E			
06	A	25°34'8.61"N	80°18'0.11"E	341	5.00	1705.00
	B	25°34'8.91"N	80°18'0.27"E			
	C	25°34'9.43"N	80°17'58.70"E			
	D	25°34'9.30"N	80°17'58.67"E			
कुल योग :-						5711.75

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार मानसून सत्र के पश्चात दिनांक 01.10.2024 से दिनांक 16.10.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 4009 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई0एम0एम0-11 जनित किया गया है। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से (5712 - 4009) = 1703 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है।

5. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन कार्य से निर्माण पिट के जियोकोआर्डिनेट्स निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	विन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°34'9.64"N	80°17'58.73"E	410	5.00	2050.00
	B	25°34'9.41"N	80°17'59.61"E			
	C	25°34'9.24"N	80°18'0.55"E			
	D	25°34'8.91"N	80°18'0.27"E			
	E	25°34'9.43"N	80°17'58.70"E			
02	A	25°34'9.13"N	80°18'0.46"E	719	3.00	2157.00
	B	25°34'8.71"N	80°18'1.48"E			
	C	25°34'8.00"N	80°18'3.89"E			
	D	25°34'7.78"N	80°18'3.69"E			
	E	25°34'8.91"N	80°18'0.27"E			
कुल योग :-						4207.00

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 4207 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है।

6. जांच में यह भी पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा उपखनिज बालू/मोरम का खनन/परिवहन कार्य के कारण सम्बन्धित खनन क्षेत्र में पानी आ जाने के पश्चात भी पट्टाधारक द्वारा पानी में खनन कार्य करते हुये पाया गया एवं निर्धारित गहराई से अधिक गहराई में खनन करते हुये पाया गया। पट्टाधारक का उक्त कृत्य पट्टा विलेख में उल्लिखित शर्तों एवं उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

7. जांच में यह भी पाया गया कि खनन क्षेत्र में पहुंच मार्ग से जाते समय 02 वाहन क्रमशः यू0पी0 78जे0टी0-8402 व यू0पी0 91टी0-4621, जिसपर उपखनिज बालू/मोरम लदा था। उक्त वाहनों की जांच के समय उपखनिज के परिवहन हेतु परिवहन प्रपत्र ई0एम0एम0-11 नहीं पाया गया। उक्त वाहनों को एम0चेक ऐप के माध्यम से ई0चालान करते हुये मटौंध थाना की सुपुर्दगी में अग्रिम आदेशों तक के लिये दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र से बिना परिवहन प्रपत्र ई0एम0एम0-11 के वाहनों को उपखनिज बालू/मोरम उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उनकी प्रथम दृष्टया संलिप्तता परिलक्षित होती है।

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 1703 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 4207 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जिसे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।"

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में कुल 1703 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू० 2,55,450/- व खनिज मूल्य के रूप में रू० 12,77,250/- कुल रू० 15,32,700/- तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर कुल 4207 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू० 6,31,050/- व खनिज मूल्य के रूप में रू० 31,55,250/- कुल रू० 37,86,300/- एवं अनुमोदित खनन योजना एवं खनन पट्टा की शर्तों का उल्लंघन करने पर नियमावली-2021 के नियम-60(2) के अनुसार शास्ति की धनराशि रू० 50,000/- तथा 02 ओवरलोड वाहनो के सम्बन्ध में नियमावली-2021 के नियम-60(6) के अनुसार शास्ति की धनराशि रू० 50,000/- राजस्व की क्षति हुई है।

इस प्रकार आप द्वारा 1703 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन से रू० 15,32,700/- व 4207 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन से रू० 37,86,300/- व अनुमोदित खनन योजना एवं खनन पट्टा की शर्तों का उल्लंघन की धनराशि रू० 50,000/- तथा 02 ओवरलोड वाहनो की शास्ति की धनराशि रू० 50,000/- कुल धनराशि (15,32,700 + 37,86,300 + 50,000 + 50,000) रू० 54,19,000/- (रू० चौवन लाख उन्नीस हजार मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।


जिलाधिकारी,
बाँदा।

कार्यालय 627 अधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 3486 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : नवम्बर 26, 2024

नोटिस

डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि०
निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता
पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता
निवासी-128/189, के० ब्लाक, किदवई नगर,
जिला कानपुर नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं०-333/7 का भाग (खण्ड सं०-05) कुल रकबा 23.00 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 03.05.2023 से 02.05.2028 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, नायब तहसीलदार बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर व उपजिलाधिकारी सदर, बाँदा द्वारा दिनांक 14.11.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 14.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

- "6. पट्टाधारक डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि० निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टेधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 06 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त 06 पिट्ट का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°34'8.61"N	80°18'0.11"E	341	5.00	1705.00
	B	25°34'8.91"N	80°18'0.27"E			
	C	25°34'9.43"N	80°17'58.70"E			
	D	25°34'9.30"N	80°17'58.67"E			
02	A	25°34'7.90"N	80°18'3.29"E	736	2.00	1472.00
	B	25°34'7.76"N	80°18'3.16"E			
	C	25°34'8.61"N	80°18'0.11"E			
	D	25°34'8.91"N	80°18'0.27"E			
03	A	25°33'58.43"N	80°18'12.93"E	3770	1.00	3770.00
	B	25°33'58.99"N	80°18'11.57"E			
	C	25°33'55.89"N	80°18'10.53"E			
	D	25°33'55.65"N	80°18'11.85"E			
04	A	25°33'56.83"N	80°18'7.68"E	5731	1.50	8596.50
	B	25°34'0.16"N	80°18'8.39"E			
	C	25°33'59.69"N	80°18'10.29"E			
	D	25°33'56.32"N	80°18'9.54"E			
05	A	25°34'0.04"N	80°18'7.54"E	4601	1.25	5751.25
	B	25°33'57.56"N	80°18'7.06"E			
	C	25°33'58.00"N	80°18'4.79"E			
	D	25°34'0.35"N	80°18'5.61"E			
06	A	25°34'2.30"N	80°18'4.32"E	4314	1.00	4314.00
	B	25°34'1.65"N	80°18'8.10"E			
	C	25°34'0.41"N	80°18'7.54"E			
	D	25°34'1.00"N	80°18'3.92"E			
कुल योग :-						25608.75

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार मानसून सत्र के पश्चात दिनांक 01.10.2024 से दिनांक 14.11.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 20,914 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई०एम०एम०-11 जनित किया गया है

तथा पूर्व में जांच दिनांक 16.10.2024 को 1703 घनमीटर का अतिरिक्त खनन का अर्थदण्ड आरोपित किया गया था। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से [25608.75 - (20914 + 1703)] = 2991.75 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।”

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में कुल 2991.75 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹0 4,48,762.50/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹0 22,43,812.50/- कुल ₹0 26,92,575/- (रूपये छब्बीस लाख बानवे हजार पांच सौ पचहत्तर मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।


जिसाधिकारी,
बाँदा।

डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि०
निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता
पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता
निवासी-128/189, के० ब्लाक, किदवई नगर,
जिला कानपुर नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं०-333/7 का भाग (खण्ड सं०-05) कुल रकबा 23.00 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 03.05.2023 से 02.05.2028 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, खान अधिकारी बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, उपजिलाधिकारी बाँदा, डिप्टी कलेक्टर बाँदा व अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) बाँदा द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 26.12.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

- जांच के समय यह पाया गया कि खनन क्षेत्र में उपखनिज बालू/मोरम का खनन कार्य करने से बने गड्ढे में पानी आ गया है। पानी आ जाने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उक्त स्थान पर बालू/मोरम का खनन कार्य नहीं किया जा रहा है।
- पट्टाधारक डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि० निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टेधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 05 पिट्टे का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त 05 पिट्टे का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्टे की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्टे का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°34'9.42"N	80°17'58.70"E	8710	1.00	8710.00
	B	25°34'7.76"N	80°17'58.30"E			
	C	25°34'7.57"N	80°18'4.35"E			
	D	25°34'5.91"N	80°18'3.95"E			
02	A	25°34'2.33"N	80°18'7.53"E	9550	1.00	9550.00
	B	25°34'3.78"N	80°18'8.76"E			
	C	25°34'0.54"N	80°18'14.29"E			
	D	25°33'59.37"N	80°18'12.98"E			
03	A	25°33'59.80"N	80°18'10.22"E	15083	1.00	15083.00
	B	25°33'56.59"N	80°18'7.85"E			
	C	25°33'54.45"N	80°18'11.81"E			
	D	25°33'58.10"N	80°18'13.93"E			
04	A	25°33'56.73"N	80°18'7.45"E	19111	0.45	8599.95
	B	25°33'58.67"N	80°18'2.51"E			
	C	25°34'2.42"N	80°18'5.02"E			
	D	25°34'0.17"N	80°18'9.63"E			
05	A	25°33'57.22"N	80°18'2.92"E	3816	5.00	19080.00
	B	25°33'58.75"N	80°17'57.72"E			
	C	25°33'58.31"N	80°17'57.05"E			
	D	25°33'56.38"N	80°18'2.25"E			
कुल योग :-						61022.95

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार मानसून सत्र के पश्चात दिनांक 01.10.2024 से दिनांक 26.12.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 51,957 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई0एम0एम0-11 जनित किया गया है तथा पूर्व में जांच दिनांक 16.10.2024 को 1703 घनमीटर व जांच दिनांक 14.11.2024 को 2991.75 घनमीटर कुल 4694.75 घनमीटर का अतिरिक्त खनन का अर्थदण्ड आरोपित किया गया था। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से $\{ 61022.95 - (51957 + 4694.75) \} = 4371.20$ घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।"

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में 4371.20 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹0 6,55,680/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹0 32,78,400/- कुल ₹0 39,34,080/- (रुपये उन्तालिस लाख चौतीस हजार अस्सी मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।


जिलाधिकारी,
25 बांदा।

631
कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 4852 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : फरवरी | 7, 2025

नोटिस

डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि०
निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता
पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता
निवासी-128/189, के० ब्लाक, किदवई नगर,
जिला कानपुर नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं०-333/7 का भाग (खण्ड सं०-05) कुल रकबा 23.00 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 03.05.2023 से 02.05.2028 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, नायब तहसीलदार बाँदा व उपजिलाधिकारी बाँदा द्वारा दिनांक 11.02.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 11.02.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि० निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 01 पिट्स का निर्माण कर अवैध खनन कर परिवहन किया गया है। उक्त पिट्स का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°34'5.01"N	80°17'57.17"E	575	02	1150
	B	25°34'6.15"N	80°17'57.43"E			
	C	25°34'6.65"N	80°17'58.05"E			
	D	25°34'5.09"N	80°17'57.69"E			
कुल योग :-						1150

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 1150 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।"

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 1150 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू० 1,72,500/- व खनिज मूल्य के रूप में रू० 8,62,500/- कुल रू० 10,35,000/- राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. Nulme
जिलाधिकारी,
बाँदा।
9/2

632

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 183 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : अप्रैल 08, 2025

डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा0लि0
निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता
पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता
निवासी-128/189, के0 ब्लाक, किदवई नगर,
जिला कानपुर नगर।

नोटिस

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं0-333/7 का भाग (खण्ड सं0-05) कुल रकबा 23.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 03.05.2023 से 02.05.2028 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, नायब तहसीलदार बाँदा, खान अधिकारी बाँदा, व उपजिलाधिकारी बाँदा द्वारा दिनांक 03.04.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या संख्या-126/खनिज-30, बाँदा दिनांक 04.04.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा0लि0 निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियाकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 02 पिट्टे का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है एवं दोनों पिट्टे को पट्टाधारक द्वारा वेस्ट पदार्थ/ओवरवर्डन (बालू/मोरम छानने के उपरान्त बचा पदार्थ) से पाटा/भरा जा रहा था, उक्त पिट्टे का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्टे की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्टे का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°34'5.11"N	80°17'57.67"E	6435	1.50	9652.50
	B	25°34'5.45"N	80°17'55.94"E			
	C	25°34'9.63"N	80°17'56.99"E			
	D	25°34'9.36"N	80°17'58.64"E			
02	A	25°34'3.55"N	80°17'57.32"E	8315	1.75	14551.25
	B	25°34'3.85"N	80°17'55.11"E			
	C	25°33'59.73"N	80°17'54.36"E			
	D	25°33'58.74"N	80°17'56.24"E			
कुल योग :-						24203.75

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 24203.75 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।"

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 24203.75 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू0 36,30,562.50 व खनिज मूल्य के रूप में रू0 1,81,52,812.50 कुल रू0 2,17,83,375.00 राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. N. N. N.
08/09/2025
जिलाधिकारी
बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 1588 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : 2 जून 2025

नोटिस

डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि०
निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता
पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता
निवासी-128/189, के० ब्लाक, किदवई नगर,
जिला कानपुर नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं०-333/7 का भाग (खण्ड सं०-05) कुल रकबा 23.00 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 03.05.2023 से 02.05.2028 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27.06.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या संख्या-1554/खनिज-30, बाँदा दिनांक 30.06.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि० निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 3 से 4 मी० ओवरबडन (मिट्टी/वेस्ट पदार्थ) को हटाते हुये 01 पिट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिट का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	बालू/मोरम की औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°34'4.28"N	80°17'55.08"E	1,031	7.00	7,217.00
	B	25°34'3.04"N	80°17'54.79"E			
	C	25°34'3.38"N	80°17'53.49"E			
	D	25°34'4.23"N	80°17'54.24"E			
कुल योग :-						7,217.00

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 7,217.00 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है तथा निर्धारित गहराई 03 मी० से अधिक खनन करने व अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, जो उ०प्र० उधखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72, 60(2) तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।"

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 7217 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹० 10,82,550/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹० 54,12,750/- कुल ₹० 64,95,300/- तथा निर्धारित गहराई 03 मी० से अधिक खनन करने व अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने पर नियमावली-2021 के नियम-60(2) के अनुसार शास्ति की धनराशि ₹० 50,000/- कुल धनराशि (64,95,300 + 50,000) ₹० 65,45,300/- (₹० पैसठ लाख पैतालिस हजार तीन सौ मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. Nulke
02/07/2025
जिलाधिकारी,
बाँदा।

कार्यालय **634** जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

213

पत्रांक 3430 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : अक्टूबर / 9, 2024

नोटिस

मयूर बॉक्साईट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी
पता-6 पलोर, डी0एन0-24, मैट्रिक्स टॉवर, सेक्टर-5,
साल्ट लाके, कोलकाता (वेस्ट बंगाल)
हेड ऑफिस पता-कमिश्नर आफिस के सामने, पानी टंकी रोड,
कुदुदंड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
निदेशक श्री रवीश गम्बर पुत्र श्री मंजीत सिंह गम्बर
निवासी-वार्ड नं0-14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो मॉल,
आपोजिट साउड परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-पथरी के गाटा सं0-72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं0-03) कुल रकबा 19.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर व उपजिलाधिकारी सदर, बाँदा द्वारा दिनांक 18.10.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 18.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

- "3. पट्टाधारक मयूर बॉक्साईट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, निदेशक श्री रवीश गम्बर के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टेधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 03 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त तीनों पिट्ट का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्टस की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्टस का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°37'40.84"N	80°16'58.30"E	709	1.75	1240.75
	B	25°37'41.01"N	80°16'58.87"E			
	C	25°37'41.38"N	80°16'59.09"E			
	D	25°37'42.03"N	80°16'58.99"E			
	E	25°37'41.78"N	80°16'58.37"E			
	F	25°37'41.37"N	80°16'57.99"E			
02	A	25°37'39.52"N	80°16'58.34"E	445	1.50	667.5
	B	25°37'39.87"N	80°16'58.62"E			
	C	25°37'40.31"N	80°16'58.49"E			
	D	25°37'40.36"N	80°16'57.93"E			
	E	25°37'39.97"N	80°16'57.80"E			
	F	25°37'39.58"N	80°16'57.92"E			
03	A	25°37'39.04"N	80°17'0.23"E	1383	3.00	4149
	B	25°37'38.33"N	80°17'0.46"E			
	C	25°37'38.26"N	80°17'1.05"E			
	D	25°37'38.40"N	80°17'1.72"E			
	E	25°37'39.22"N	80°17'1.75"E			
	F	25°37'39.62"N	80°17'1.36"E			
	G	25°37'39.66"N	80°17'0.94"E			
कुल योग :-						6057.25

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार खनन पट्टा प्रारम्भ से दिनांक 18.10.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 2685 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई0एम0एम0-11 जनित किया गया है। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से (6058 - 2685) = 3373 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है।

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 3373 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जो राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।”

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में कुल 3373 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू० 5,05,950/- व खनिज मूल्य के रूप में रू० 25,29,750/- कुल रू० 30,35,700/- (रूपये तीस लाख पैतीस हजार सात सौ मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।


जिलाधिकारी,
बाँदा।

कार्यालय 636 अधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

235

क्रमांक : 3985 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : नवम्बर 26, 2024

नोटिस

मयूर बॉक्ससॉर्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी
पता-6 पलोर, डी0एन0-24, मैट्रिक्स टॉवर, सेक्टर-5,
साल्ट लाके, कोलकाता (वेस्ट बंगाल)
हेड ऑफिस पता-कमिश्नर आफिस के सामने, पानी टंकी रोड,
कुदुदुंड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
निदेशक श्री रवीश गम्बर पुत्र श्री मंजीत सिंह गम्बर
निवासी-वार्ड नं0-14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो मॉल,
आपोजिट साउड परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-पथरी के गाटा सं0-72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं0-03) कुल रकबा 19.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप क्षेत्रीय लेखपाल पथरी, खान निरीक्षक बाँदा, नायब तहसीलदार बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर व उपजिलाधिकारी सदर, बाँदा द्वारा दिनांक 23.11.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 23.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक मयूर बॉक्ससॉर्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी, निदेशक श्री रवीश गम्बर के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियाकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टेधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 04 पिट्टे का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त तीनो पिट्टे का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्टे की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्टे का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°37'43.72"N	80°17'2.46"E	685	1.50	1027.50
	B	25°37'42.85"N	80°17'2.59"E			
	C	25°37'42.21"N	80°17'3.40"E			
	D	25°37'42.97"N	80°17'3.57"E			
02	A	25°37'39.94"N	80°17'0.05"E	2350	1.00	2350.00
	B	25°37'41.28"N	80°17'2.20"E			
	C	25°37'42.30"N	80°17'1.61"E			
	D	25°37'41.03"N	80°16'59.73"E			
03	A	25°37'39.17"N	80°17'0.09"E	8184	2.25	18414.00
	B	25°37'38.11"N	80°16'59.77"E			
	C	25°37'37.07"N	80°17'0.45"E			
	D	25°37'36.94"N	80°17'1.50"E			
	E	25°37'38.68"N	80°17'4.04"E			
	F	25°37'40.73"N	80°17'3.09"E			
04	A	25°37'40.12"N	80°16'57.99"E	2716	1.50	4074.00
	B	25°37'39.07"N	80°16'56.78"E			
	C	25°37'40.59"N	80°16'55.85"E			
	D	25°37'41.76"N	80°16'58.00"E			
कुल योग :-						25865.50

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार खनन पट्टा प्रारम्भ से दिनांक 23.11.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 20,326 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई0एम0एम0-11 जनित किया गया है तथा पूर्व में जांच दिनांक 18.10.2024 को 3373 घनमीटर का अतिरिक्त खनन का अर्थदण्ड आरोपित किया गया था। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से { 25865.50 - (20326 + 3373) } = 2166.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।"

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में कुल 2166.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू0 3,24,975/- व खनिज मूल्य के रूप में रू0 16,24,875/- कुल रू0 19,49,850/- (रूपये उन्नीस लाख उन्चास हजार आठ सौ पचास मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।


निष्ठाधिकारी,
बाँदा।
१२

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 4755 / खनिज-30, बाँदा

नोटिस

दिनांक : फरवरी 27, 2025

मयूर बॉक्सआईट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी
पता-6 फ्लोर, डी0एन0-24, मैट्रिक्स टॉवर, सेक्टर-5,
साल्ट लाके, कोलकाता (वेस्ट बंगाल)
हेड ऑफिस पता-कमिश्नर आफिस के सामने, पानी टंकी रोड,
कूदुदंड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
निदेशक श्री रवीश गम्बर पुत्र श्री मंजीत सिंह गम्बर
निवासी-वार्ड नं0-14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो मॉल,
आपोजिट साउड परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-पथरी के गाटा सं0-72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं0-03) कुल रकबा 19.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, नायब तहसीलदार बाँदा, खान अधिकारी बाँदा व उपजिलाधिकारी सदर, बाँदा द्वारा दिनांक-05.02.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या पत्र सं0-4728/खनिज-30, बाँदा दिनांक 05.02.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक मयूर बॉक्सआईट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, निदेशक श्री रवीश गम्बर के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 03 पिट्स का निर्माण कर अवैध खनन कर परिवहन किया गया है। उक्त पिट्स का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°37'38.07"N	80°17'5.11"E	1575	1.75	2756.25
	B	25°37'39.09"N	80°17'6.54"E			
	C	25°37'40.68"N	80°17'6.22"E			
	D	25°37'40.38"N	80°17'5.45"E			
	E	25°37'39.37"N	80°17'6.10"E			
	F	25°37'38.69"N	80°17'4.72"E			
02	A	25°37'43.11"N	80°17'6.06"E	1393	1.00	1393.00
	B	25°37'43.55"N	80°17'6.09"E			
	C	25°37'43.68"N	80°17'5.68"E			
	D	25°37'42.90"N	80°17'3.87"E			
	E	25°37'42.14"N	80°17'4.35"E			
03	A	25°37'49.50"N	80°17'9.98"E	3607	0.75	2705.25
	B	25°37'49.08"N	80°17'10.11"E			
	C	25°37'44.01"N	80°17'3.04"E			
	D	25°37'44.49"N	80°17'2.76"E			
कुल योग :-						6854.50

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 6854.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है। जांच में यह भी पाया गया कि 02 पिलर मौके पर नहीं थे, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) का उल्लंघन है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 04.02.2025 को 05 वाहन उक्त खनन पट्टा क्षेत्र के रास्ते पर बिना कोई वैध परिवहन प्रपत्र के उपखनिजों का परिवहन किया जा रहा

था, जिनका विवरण निम्नवत है :-

क्र०सं०	वाहन संख्या	मात्रा (घन मी० में)	उपखनिज का नाम	पायी गयी कमियां
1.	UP41AT-5507	25	बालू/मोरम	बिना वैध परिवहन प्रपत्र
2.	UP35T-4716	18	बालू/मोरम	बिना वैध परिवहन प्रपत्र
3.	UP78DT-7608	25	बालू/मोरम	बिना वैध परिवहन प्रपत्र
4.	UP41AT-4872	25	बालू/मोरम	बिना वैध परिवहन प्रपत्र
5.	UP41AT-5840	14	बालू/मोरम	बिना वैध परिवहन प्रपत्र

उपरोक्त वाहनों को जिलाधिकारी महोदया के अग्रिम आदेशो तक थाना कोतवाली देहात की अभिरक्षा में दिया गया, उक्त कृत्य उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60(6) का उल्लंघन है।"

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 6854.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹० 10,28,175/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹० 51,40,875/- कुल ₹० 61,69,050/- तथा उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60(6) का उल्लंघन करते हुये खनन पट्टा क्षेत्र के रास्ते पर दिनांक 04.02.2025 को बिना कोई वैध परिवहन प्रपत्र के उपखनिज का परिवहन कर रहे 05 वाहनों के सम्बन्ध में ₹० 25,000/- प्रति वाहन के अनुसार कुल ₹० 1,25,000/- तथा जांच के समय खनन क्षेत्र में पिलर मौके पर ना पाये जाने के सम्बन्ध में उक्त नियमावली-2021 के नियम-36(1) का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में उपरोक्त नियमावली के नियम-60(3) के अर्न्तगत जांच के दिनांक 05.02.2025 से प्रतिदिन ₹० 25,000/- की दर से शास्ति शुल्क देय परिलक्षित है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. Nulke
06/02/2025
जिलाधिकारी,
बांदा।
9/2

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 5202/खनिज-30, बाँदा

दिनांक : मार्च 18, 2025

नोटिस

मयूर बॉक्सआईट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी
पता-6 फ्लोर, डी0एन0-24, मैट्रिक्स टॉवर, सेक्टर-5,
साल्ट लाके, कोलकाता (वेस्ट बंगाल)
हेड ऑफिस पता-कमिश्नर आफिस के सामने, पानी टंकी रोड,
कुदुदंड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
निदेशक श्री रवीश गम्बर पुत्र श्री मंजीत सिंह गम्बर
निवासी-वार्ड नं0-14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो मॉल,
आपोजिट साउड परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-पथरी के गाटा सं0-72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं0-03) कुल रकबा 19.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, नायब तहसीलदार बाँदा, खान अधिकारी बाँदा व उपजिलाधिकारी सदर, बाँदा द्वारा दिनांक-10.03.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या पत्र सं0-5090/खनिज-30, बाँदा दिनांक 10.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक मयूर बॉक्सआईट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, निदेशक श्री रवीश गम्बर के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 01 पिट्स का निर्माण कर अवैध खनन कर परिवहन किया गया है। उक्त पिट्स का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°37'52.48"N	80°17'16.10"E	40,617	1.00	40,617.00
	B	25°37'49.80"N	80°17'17.02"E			
	C	25°37'46.53"N	80°17'10.08"E			
	D	25°37'42.17"N	80°17'4.26"E			
	E	25°37'44.87"N	80°17'2.45"E			
	F	25°37'49.22"N	80°17'8.48"E			
कुल योग :-						40,617.00

उक्त अवैध खनन की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जांच आख्या दिनांक 05.02.2025, जिसमें 6854 घन मी0 का अवैध खनन पाया गया था, उक्त अवैध खनन जिसमें पिट संख्या-02 में 1393 घन मी0 तथा पिट संख्या-03 में 2705.25 घन मी0 कुल 4098.25 घन मी0 अवैध खनन पाया गया था। वर्तमान में उक्त दोनो पिट को मिलाकर (पिट सं0-02 व 03) कुल 40,617 घन मी0 मोरम का अवैध खनन किया गया है। अतः दिनांक 05.02.2025 में पाये गये अवैध खनन को वर्तमान में किये गये अवैध खनन को घटाने पर (40617 - 4098.25) 36518.75 घन मी0 अवशेष बचता है।

अतः वर्तमान समय में 01 मी0 गहराई में 36518.75 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन किया गया है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है। जांच के समय मौके पर कोई भी पिलर नहीं पाये गये, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) का उल्लंघन है।"

641
(2)

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 36518.75 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू0 54,77,812.50 व खनिज मूल्य के रूप में रू0 2,73,89,062.50 कुल रू0 3,28,66,875/- तथा जांच के समय खनन क्षेत्र में पिलर मौके पर ना पाये जाने के सम्बन्ध में उक्त नियामावली-2021 के नियम-36(1) का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में उपरोक्त नियामावली के नियम-60(3) के अर्न्तगत जांच के दिनांक 10.03.2025 से प्रतिदिन रू0 25,000/- की दर से शास्ति शुल्क देय परिलक्षित है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. P. S. S.
18/03/2025
जिलाधिकारी,
बाँदा।
g.e.s.

5202

INDIA POST
RUC32328419 IN IVR:8285332328419
RL HFCN COUNTER BANDA RPS (21000)
Counter No:2,19/03/2025,14:30
To:MAILER BOXITE ,BILASPLR
PIN:495001, Bilaspur BilaspurCIN HD
From:JILADHIKARI,KHANIJ BANDA
Wt:30gms,REG-17.0
Amt:31.86,Tax:4.86,Amt.Paid:32.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666668><Wear mask -Stay safe>

642
कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 667 / खनिज-30, बाँदा

नोटिस

दिनांक : मई 06, 2025

मयूर बॉक्सार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी
पता-6 पलोर, डी0एन0-24, मैट्रिक्स टॉवर, सेक्टर-5,
साल्ट लाके, कोलकाता (वेस्ट बंगाल);
हेड ऑफिस पता-कमिश्नर आफिस के सामने, पानी टंकी रोड,
कुदुदंड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
निदेशक श्री रवीश गम्बर पुत्र श्री मंजीत सिंह गम्बर
निवासी-वार्ड नं0-14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो मॉल,
आपोजिट साउड परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-पथरी के गाटा सं0-72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं0-03) कुल रकबा 19.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप क्षेत्रीय लेखपाल पथरी, राजस्व निरीक्षक बाँदा, खान निरीक्षक बाँदा, तहसीलदार बाँदा, खान अधिकारी बाँदा व उपजिलाधिकारी सदर, बाँदा द्वारा दिनांक 03.05.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या पत्र सं0-619/खनिज-30, बाँदा दिनांक 05.05.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक मयूर बॉक्सार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, निदेशक श्री रवीश गम्बर के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जिओकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 01 पिट्स का निर्माण कर अवैध खनन कर परिवहन किया गया है। उक्त पिट्स का जिओकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°37'52.02"N	80°17'30.91"E	84313	1.00	84313.00
	B	25°37'49.28"N	80°17'19.61"E			
	C	25°37'48.57"N	80°17'16.72"E			
	D	25°37'47.72"N	80°17'12.63"E			
	E	25°37'45.11"N	80°17'7.40"E			
	F	25°37'44.13"N	80°17'5.97"E			
	G	25°37'43.28"N	80°17'6.78"E			
	H	25°37'42.69"N	80°17'6.52"E			
	I	25°37'42.98"N	80°17'5.60"E			
	J	25°37'42.17"N	80°17'4.26"E			
	K	25°37'44.87"N	80°17'2.45"E			
	L	25°37'49.22"N	80°17'8.48"E			
	M	25°37'53.01"N	80°17'16.24"E			
	N	25°37'54.14"N	80°17'30.17"E			
कुल योग :-						84313.00

उक्त अवैध खनन में यह भी पाया गया कि जांच आख्या दिनांक 05.02.2025, जिसमें 6854 घन मी0 का अवैध खनन पाया गया था, उक्त अवैध खनन जिसमें पिट्स संख्या-02 में 1393 घन मी0 तथा पिट्स संख्या-03 में 2705.25 घन मी0 कुल 4098.25 घन मी0 अवैध खनन पाया गया था तथा जांच आख्या दिनांक

(2)

10.03.2025 द्वारा कुल 36518.75 घन मी0 अवैध खनन पाया गया था। वर्तमान में पूर्व के अवैध खनन के पुराने पिट (जांच आख्या दिनांक 05.02.2025 के पिट सं0-02 व 03 एवं जांच आख्या दिनांक 10.03.2025 के पिट) एवं नये अवैध खनन के पिट को मिलाकर कुल 84313.00 घन मी0 मोरम का अवैध खनन किया गया है। अतः पूर्व में दिनांक 05.02.2025 व 10.03.2025 को पाये गये अवैध खनन को वर्तमान में किये गये नये अवैध खनन से घटाने पर $\{84313 - (4098.25 + 36518.75)\}$ 43696.00 घन मी0 अवशेष बचता है।

अतः वर्तमान समय में 1.00 मी0 गहराई में 43696 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन किया गया है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।”

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 43696 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू0 65,54,400/- व खनिज मूल्य के रूप में रू0 3,27,72,000/- कुल रू0 3,93,26,400/- राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. N. N. N.
06/05/2025
जिलाधिकारी,
नांदा।
९८

कार्यालय 644 जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 3948/खनिज-30, बाँदा

दिनांक : नवम्बर 23, 2024

नोटिस

मे0 प्रज्ञाविजन बिजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा0लि0
निवासी-94 एल्डिको ग्रीन, गोमती नगर, लखनऊ
निदेशक श्री यदुवंशी विकास सिंह
पुत्र श्री यदुवंशी अशोक कुमार सिंह
निवासी म0नं0-72 साई नगर फेस-2 सिंहपुर,
थाना सारनाथ, तहसील सदर, जिला वाराणसी।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी रिथत ग्राम-मडौलीखुर्द खादर के गाटा सं0-58, 107, 108, 109, 110, 111 व 114 कुल रकबा 7.053 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप नायब तहसीलदार पैलानी, खान निरीक्षक बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर व उपजिलाधिकारी पैलानी द्वारा दिनांक 22.11.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 22.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

- “3. पट्टाधारक मे0 प्रज्ञाविजन बिजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा0लि0 निदेशक श्री यदुवंशी विकास सिंह के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 03 पिट तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 01 पिट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिटों का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-
4. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत खनन कार्य से निर्माण पिट के जियोकोआर्डिनेट्स निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	विन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°44'16.76"N	80°23'11.28"E	2810	2.00	5620
	B	25°44'15.31"N	80°23'11.23"E			
	C	25°44'14.94"N	80°23'13.37"E			
	D	25°44'16.48"N	80°23'13.49"E			
02	A	25°44'16.38"N	80°23'13.91"E	3521	1.50	5281.50
	B	25°44'14.95"N	80°23'13.79"E			
	C	25°44'14.59"N	80°23'16.34"E			
	D	25°44'16.27"N	80°23'16.52"E			
03	A	25°44'16.35"N	80°23'17.37"E	5329	1.00	5329
	B	25°44'16.37"N	80°23'20.59"E			
	C	25°44'15.67"N	80°23'20.57"E			
	D	25°44'15.84"N	80°23'22.34"E			
	E	25°44'14.82"N	80°23'21.15"E			
	F	25°44'14.65"N	80°23'17.59"E			
कुल योग :-						16230.50

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार पट्टा प्रारम्भ से दिनांक 22.11.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 14,579 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई0एम0एम0-11 जनित किया गया है। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से (16230.50 - 14579) = 1651.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है।

5. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन कार्य से निर्माण पिट्ट के जियोकोऑर्डिनेट्स निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°44'16.69"N	80°23'20.62"E	909	1.50	1363.50
	B	25°44'16.68"N	80°23'21.68"E			
	C	25°44'15.82"N	80°23'21.79"E			
	D	25°44'15.67"N	80°23'20.57"E			
कुल योग :-						1363.50

पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 1363.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है।

6. इस प्रकार उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 1651.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 1363.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है। "

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में कुल 1651.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹० 2,47,725/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹० 12,38,625/- कुल ₹० 14,86,350/- तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर कुल 1363.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹० 2,04,525/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹० 10,22,625/- कुल ₹० 12,27,150/- राजस्व की क्षति हुई है।

इस प्रकार आप द्वारा 1651.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन से ₹० 14,86,350/- तथा 1363.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन से ₹० 12,27,150/- कुल घनराशि (14,86,350+ 12,27,150) ₹० 27,13,500/- (₹० सत्ताईस लाख तेरह हजार पांच सौ मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।


जिलाधिकारी,
बाँदा।

646

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 4569 / खनिज-30, बाँदा

नोटिस

दिनांक : जनवरी 16, 2025

मे0 प्रज्ञाविजन बिजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा0लि0
निवासी-94 एल्डिको ग्रीन, गोमती नगर, लखनऊ
निदेशक श्री यदुवंशी विकास सिंह
पुत्र श्री यदुवंशी अशोक कुमार सिंह
निवासी म0नं0-72 साई नगर फेस-2 सिंहपुर,
थाना सारनाथ, तहसील सदर, जिला वाराणसी।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-मडौलीखुर्द खादर के गाटा सं0-58, 107, 108, 109, 110, 111 व 114 कुल रकबा 7.053 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर, तहसीलदार पैलानी व उपजिलाधिकारी पैलानी द्वारा दिनांक 08.01.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 08.01.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक मे0 प्रज्ञाविजन बिजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा0लि0 निदेशक श्री यदुवंशी विकास सिंह के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 02 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिट्ट का जियोकोऑर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°44'15.04"N	80°23'27.00"E	2891	1.25	3613.75
	B	25°44'14.88"N	80°23'25.38"E			
	C	25°44'15.46"N	80°23'25.28"E			
	D	25°44'15.28"N	80°23'23.97"E			
	E	25°44'16.03"N	80°23'24.00"E			
	F	25°44'16.50"N	80°23'26.93"E			
02	A	25°44'18.04"N	80°23'28.93"E	1149	1.75	2010.75
	B	25°44'16.29"N	80°23'28.88"E			
	C	25°44'16.24"N	80°23'28.38"E			
	D	25°44'17.28"N	80°23'28.36"E			
	E	25°44'17.17"N	80°23'27.73"E			
	F	25°44'17.85"N	80°23'27.78"E			
कुल योग :-						5624.50

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 5624.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।

4. जांच के समय यह पाया गया कि खनन क्षेत्र में उपखनिज बालू/मोरम का खनन कार्य करने से बने गडढे में पानी आ गया है, जिसके क्रम में मौके पर उपस्थित पट्टाधारक के प्रतिनिधि को सख्त निर्देश दिये गये कि खनन संक्रियायें के कारण जिन गडढे में पानी आ गया है, उन गडढे से जब तक पानी उतर न जाये तब-तक उन गडढे में खनन संक्रियायें न की जाय।"

60

647 (2)

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 5624.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू0 8,43,675/- व खनिज मूल्य के रूप में रू0 42,18,375/- कुल रू0 50,62,050/- राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।


जिलाधिकारी,
बोदा।
9/5

RU332616640IN IVR:8285332616640
RL MPCM COUNTER BANDA RMS <210001> India Post
Counter No:2,20/01/2025,19:01
To:PRAGYAVIJAY BUSINESS,VANPRAGI
PIN:221001, Varanasi HD
From:OFFICE OF DM ,BANDA
Wt:30gms,REG=17.0
Amt:31.86,Tax:4.86,Amt.Paid:32.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
Dial 18002666868 <Wear Masks, Stay Safe>

RU
Co
—
Am
,R
—
Fr
Fr
To
De

61

पत्रांक : 5238/खनिज-30, बाँदा

नोटिस

दिनांक : मार्च 21, 2025

मे० प्रज्ञाविजन बिजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा०लि०
निवासी-94 एल्डिको ग्रीन, गोमती नगर, लखनऊ
निदेशक श्री यदुवंशी विकास सिंह
पुत्र श्री यदुवंशी अशोक कुमार सिंह
निवासी म०नं०-72 साई नगर फेस-2 सिंहपुर,
थाना सारनाथ, तहसील सदर, जिला वाराणसी।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-मडौलीखुर्द खादर के गाटा सं०-58, 107, 108, 109, 110, 111 व 114 कुल रकबा 7.053 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, तहसीलदार पैलानी व उपजिलाधिकारी पैलानी द्वारा दिनांक 19.03.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 20.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक मे० प्रज्ञाविजन बिजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा०लि० निदेशक श्री यदुवंशी विकास सिंह के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 02 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिट्ट का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्टस की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्टस का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°44'16.12"N	80°23'36.34"E	16842	0.75	12631.50
	B	25°44'17.95"N	80°23'37.01"E			
	C	25°44'18.20"N	80°23'28.42"E			
	D	25°44'18.12"N	80°23'27.61"E			
	E	25°44'17.15"N	80°23'27.63"E			
	F	25°44'17.28"N	80°23'28.33"E			
	G	25°44'15.49"N	80°23'28.44"E			
02	A	25°44'16.99"N	80°23'26.99"E	9324	1.25	11655.00
	B	25°44'15.01"N	80°23'27.03"E			
	C	25°44'14.83"N	80°23'25.34"E			
	D	25°44'15.42"N	80°23'25.23"E			
	E	25°44'15.22"N	80°23'23.87"E			
	F	25°44'16.00"N	80°23'23.88"E			
	G	25°44'15.57"N	80°23'20.58"E			
	H	25°44'16.77"N	80°23'20.61"E			
	I	25°44'16.98"N	80°23'23.94"E			
	J	25°44'17.86"N	80°23'24.41"E			
K	25°44'18.04"N	80°23'24.93"E				
L	25°44'17.23"N	80°23'25.43"E				
कुल योग :-						24286.50

उक्त अवैध खनन की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जांच आख्या दिनांक 22.11.2024, जिसमें 1363.50 घन मी० का अवैध खनन तथा जांच आख्या दिनांक 08.01.2025, जिसमें 5624.50 घन मी० अवैध खनन कुल 6988 घन मी० अवैध खनन पाया गया था। वर्तमान में उक्त दोनो अवैध खनन पिट्टस को मिलाकर कुल 24286.50 घन मी० मोरम का अवैध खनन किया गया है। अतः दिनांक 22.11.2024 व 08.01.2025 में पाये गये अवैध खनन को वर्तमान में किये गये अवैध खनन को घटाने पर (24286.50 - 6988) 17298.50 घन मी० अवशेष बचता है।

649

(2)

अतः वर्तमान समय में 17298.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन किया गया है, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है। जांच के समय मौके पर कोई भी पिलर नहीं पाये गये, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) का उल्लंघन है।”

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 17298.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू० 25,94,775/- व खनिज मूल्य के रूप में रू० 1,29,73,875/- कुल रू० 1,55,68,650/- तथा जांच के समय खनन क्षेत्र में पिलर मौके पर ना पाये जाने के सम्बन्ध में उक्त नियमावली-2021 के नियम-36(1) का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में उपरोक्त नियमावली के नियम-60(3) के अर्न्तगत जांच के दिनांक 19.03.2025 से प्रतिदिन रू० 25,000/- की दर से शास्ति शुल्क देय परिलक्षित है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. Rullu
21/03/2025
जिलाधिकारी,
बाँदा। o/c
Ganan

5238

RJ332670552IN IVR:6285332670552
RL MPCH COUNTER BANDA EMS (210001)
Counter No:2,21/03/2025,16:18
To:FRAGYA BUSINESS PVT,SINGHPUR
PIN:221001, Varanasi HO
From:JILADHIKARI,KHANIJ BANDA
Wt:30gms,REG=17.0
Amt:31.86,Tax:4.86,Amt.Paid:32.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868><Wear mask -Stay safe>

63

कार्यालय 650 लाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 3946/खनिज-30, बाँदा

दिनांक : नवम्बर 23, 2024

नोटिस

मे0 ओम ट्रेडर्स
प्रो0 श्री राजेन्द्र प्रसाद
पुत्र श्री रामआसरे तिवारी
निवासी ग्राम-मेधीटिकुर, तहसील सफीपुर,
जिला उन्नाव।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-गंछा के गाटा सं0-1971/1 रकबा 24.71 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र दिनांक 28.10.2024 से 27.04.2025 तक स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान अधिकारी बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, अति0 उपजिलाधिकारी बाँदा व अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बाँदा द्वारा दिनांक 23.11.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 23.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

“3. अनुज्ञाधारक मे0 ओम ट्रेडर्स प्रो0 श्री राजेन्द्र प्रसाद के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 05 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पांचो पिट्ट का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°25'18.59"N	80°17'34.67"E	2140	2.80	5992.00
	B	25°25'17.81"N	80°17'35.48"E			
	C	25°25'19.82"N	80°17'35.79"E			
	D	25°25'19.99"N	80°17'37.35"E			
02	A	25°25'17.71"N	80°17'31.80"E	512	2.30	1177.60
	B	25°25'18.19"N	80°17'31.18"E			
	C	25°25'17.72"N	80°17'30.65"E			
	D	25°25'17.13"N	80°17'31.02"E			
03	A	25°25'13.50"N	80°17'27.78"E	3546	1.30	4609.80
	B	25°25'11.80"N	80°17'27.32"E			
	C	25°25'10.76"N	80°17'29.28"E			
	D	25°25'12.33"N	80°17'30.04"E			
04	A	25°25'9.88"N	80°17'28.74"E	5191	1.00	5191.00
	B	25°25'10.53"N	80°17'27.11"E			
	C	25°25'9.94"N	80°17'26.37"E			
	D	25°25'7.19"N	80°17'25.67"E			
	E	25°25'7.36"N	80°17'27.27"E			
05	A	25°25'6.87"N	80°17'26.56"E	2061	0.80	1648.80
	B	25°25'6.30"N	80°17'24.98"E			
	C	25°25'5.19"N	80°17'24.53"E			
	D	25°25'4.83"N	80°17'24.88"E			
	E	25°25'5.57"N	80°17'26.41"E			
कुल योग :-						18619.20

अनुज्ञाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार खनन अनुज्ञा-पत्र प्रारम्भ से दिनांक 23.11.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 15116 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई0एम0एम0-11 जनित किया गया है। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से (18619 - 15116) = 3503 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जो राजस्व की क्षति वसूली योग्य है। ”

651₍₂₎

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन अनुज्ञा-पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा-पत्र क्षेत्र में कुल 3503 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू0 5,25,450/- व खनिज मूल्य के रूप में रू0 26,27,250/- कुल रू0 31,52,700/- (रूपये इकत्तीस लाख बावन हजार सात सौ मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।


जिलाधिकारी,
बाँदा।
१९

पत्रांक : 3947/खनिज-30, बाँदा

दिनांक : नवम्बर 23, 2024

नोटिस

Suddhatam Enterprises

प्रो० श्री मनोज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
निवासी बी-145 सेक्टर 51 नोएडा,
गौतमबुद्ध नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-खपटिहाकलां के गाटा सं०-62 व 63/1 रकबा 42.00 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र दिनांक 12.11.2024 से 11.05.2025 तक स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप नायब तहसीलदार पैलानी, खान निरीक्षक बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर व उपजिलाधिकारी पैलानी द्वारा दिनांक 21.11.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 21.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. अनुज्ञाधारक Suddhatam Enterprises प्रो० श्री मनोज कुमार मिश्रा के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से अनुज्ञाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन अनुज्ञा पत्र क्षेत्र के अन्तर्गत 02 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त दोनो पिट्ट का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°40'51.61"N	80°20'54.44"E	1105	1.50	1657.50
	B	25°40'51.66"N	80°20'55.73"E			
	C	25°40'52.75"N	80°20'54.96"E			
	D	25°40'52.52"N	80°20'53.89"E			
02	A	25°40'56.63"N	80°21'2.33"E	728	2.00	1456.00
	B	25°40'57.17"N	80°21'2.24"E			
	C	25°40'57.63"N	80°21'2.94"E			
	D	25°40'56.29"N	80°21'3.42"E			
कुल योग :-						3113.50

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार खनन अनुज्ञा-पत्र प्रारम्भ से दिनांक 21.11.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 2012 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई०एम०एम०-11 जनित किया गया है। इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से $(3113.50 - 2012) = 1101.50$ घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जो राजस्व की क्षति वसूली योग्य है। "

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन अनुज्ञा-पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा-पत्र क्षेत्र में कुल 1101.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹० 1,65,225/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹० 8,26,125/- कुल ₹० 9,91,350/- (रुपये नौ लाख इक्यान्वे लाख तीन सौ पचास मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

जिलाधिकारी,
बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 4382/खनिज-30, बाँदा

दिनांक : दिसम्बर 30, 2024

नोटिस

Suddhatam Enterprises

प्रो0 श्री मनोज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
निवासी बी-145 सेक्टर 51 नोएडा,
गौतमबुद्ध नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-खपटिहाकलां के गाटा सं0-62 व 63/1 रकबा 42.00 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र दिनांक 12.11.2024 से 11.05.2025 तक स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, खान अधिकारी बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर, डिप्टी कलेक्टर बाँदा व अपर जिलाधिकारी न्यायिक बाँदा द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 26.12.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

3. संयुक्त जांच टीम द्वारा जब स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र में पहुंचने के क्रम में, यह देखा गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र में पहुंच हेतु एक नया पहुंच मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जो पहले बने पहुंच मार्ग की दूसरी तरफ है। नया पहुंच मार्ग बालू/मोरम के ऊपर से बनायी जा रही है, जिसमें लगभग 200 मी0 पहुंच मार्ग बालू/मोरम में बनी हुयी पायी गयी। उक्त के अतिरिक्त यह अवगत कराना है कि नया पहुंच मार्ग से 01 पिट में बालू/मोरम का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है। मौके पर उपस्थित अनुज्ञाधारक के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि पहुंच मार्ग किसी भी प्रकार से बालू/मोरम से होते हुये न जाय एवं उक्त बालू/मोरम में बने 200 मी0 को पुराई करा दी जाय।
4. संयुक्त जांच टीम द्वारा खनन अनुज्ञा क्षेत्र की जांच के क्रम में यह देखा गया कि अनुज्ञाधारक के स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र के बीच से नदी की जलधारा प्रवाहित हो रही है, जिसके क्रम में खनन अनुज्ञा क्षेत्र के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिये अनुज्ञाधारक द्वारा नदी के तल में बोल्टर डालकर एक रास्ते का निर्माण किया जाना पाया गया, जिससे नदी की जलधारा अस्थाई रूप से बाधित हुई है। जिसको दृष्टिगत रखते हुये उक्त बने रास्ते को जे0सी0बी0/पोकलैण्ड मशीन के माध्यम से कटवां/तुड़वा दिया गया है।
5. जांच के समय यह पाया गया कि खनन क्षेत्र में उपखनिज बालू/मोरम का खनन कार्य करने से बने गड्डे में पानी आ गया है। पानी आ जाने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उक्त स्थान पर बालू/मोरम का खनन कार्य नहीं किया जा रहा है।
6. अनुज्ञाधारक Suddhatam Enterprises प्रो0 श्री मनोज कुमार मिश्रा के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से अनुज्ञाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र के अन्तर्गत 02 पिट तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 01 पिट (नया पहुंच मार्ग के समीप) का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिटो का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-
7. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत खनन कार्य से निर्माण पिट के जियोकोआर्डिनेट्स निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°40'55.88"N	80°21'1.76"E	4678	2.00	9356.00
	B	25°40'58.57"N	80°21'1.14"E			
	C	25°40'59.07"N	80°21'2.42"E			
	D	25°40'55.42"N	80°21'3.88"E			
02	A	25°40'51.44"N	80°20'54.30"E	4895	1.20	5874.00
	B	25°40'51.18"N	80°20'55.90"E			
	C	25°40'53.78"N	80°20'55.65"E			
	D	25°40'54.31"N	80°20'53.78"E			
	E	25°40'53.47"N	80°20'53.18"E			
कुल योग :-						15,230

अनुज्ञाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार खनन अनुज्ञा प्रारम्भ से दिनांक 26.12.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 10,509 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई0एम0एम0-11 जनित किया गया है तथा पूर्व में जांच दिनांक 21.11.2024 को 1101.50 घनमीटर का अतिरिक्त खनन का अर्थदण्ड आरोपित किया गया था। इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से $\{ 15,230 - (10,509 + 1101.50) \} = 3619.50$ घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।

8. स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र के बाहर खनन कार्य से निर्माण पिट के जियोकोआर्डिनेट्स निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°40'38.06"N	80°20'56.14"E	731	01	731
	B	25°40'39.04"N	80°20'55.64"E			
	C	25°40'38.87"N	80°20'54.83"E			
	D	25°40'38.00"N	80°20'55.29"E			
कुल योग :-						731

अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 731 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है।

9. इस प्रकार उपरोक्तानुसार अनुज्ञाधारक द्वारा खनन अनुज्ञा क्षेत्र के अन्तर्गत 3,619.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 731 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।"

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन अनुज्ञा-पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

आप द्वारा स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र में कुल 3619.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹0 5,42,925/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹0 27,14,625/- कुल ₹0 32,57,550/- तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर कुल 731 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹0 1,09,650/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹0 5,48,250/- कुल ₹0 6,57,900/- एवं अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र एवं खनन पट्टा की शर्तों का उल्लंघन करने पर नियमावली-2021 के नियम-60(2) के अनुसार शास्ति की धनराशि ₹0 50,000/- राजस्व की क्षति हुई है।

इस प्रकार आप द्वारा 3619.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन से ₹0 32,57,550/- तथा 731 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन से ₹0 6,57,900/- एवं अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र एवं खनन पट्टा की शर्तों का उल्लंघन की शास्ति की धनराशि ₹0 50,000/- कुल धनराशि (32,57,550 + 6,57,900 + 50,000) ₹0 39,65,450/- (₹0 उन्तालिस लाख पैसठ हजार चार सौ पचास मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है। उक्त के अतिरिक्त आप द्वारा नदी की जलधारा को अस्थाई रूप से अवरुद्ध किया जाना गम्भीर अनियमितता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये उक्त खनन अनुज्ञा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य को अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्धित किया जाता है तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।


 जिलाधिकारी,
 बाँदा।

655
कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 5246 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : मार्च 21, 2025

नोटिस

Suddhatam Enterprises

प्र० श्री मनोज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
निवासी बी-145 सेक्टर 51 नोएडा,
गौतमबुद्ध नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-खपटिहाकलां के गाटा सं०-62 व 63/1 रकबा 42.00 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र दिनांक 12.11.2024 से 11.05.2025 तक स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, तहसीलदार पैलानी व उपजिलाधिकारी पैलानी द्वारा दिनांक 18.03.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 20.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. अनुज्ञाधारक Suddhatam Enterprises प्र० श्री मनोज कुमार मिश्रा के पक्ष में स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से अनुज्ञाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 01 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिट्ट का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°40'39.94"N	80°21'0.07"E	4156	0.50	2078.00
	B	25°40'40.99"N	80°21'1.38"E			
	C	25°40'42.00"N	80°21'2.46"E			
	D	25°40'43.21"N	80°21'1.03"E			
	E	25°40'42.06"N	80°21'0.20"E			
	F	25°40'41.21"N	80°20'59.19"E			
कुल योग :-						2078.00

इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 2078.00 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।"

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 2078 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹० 3,11,700/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹० 15,58,500/- कुल ₹० 18,70,200/- राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. P. Mishra
21/03/2025
जिलाधिकारी,
बाँदा। o/c
Graman

काय 656 जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 28 / खनिज-30, बाँदा

नोटिस

दिनांक : 02 मार्च 2025

Suddhatam Enterprises

प्रो० श्री मनोज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
निवासी बी-145 सेक्टर 51 नोएडा,
गौतमबुद्ध नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-खपटिहाकलां के गाटा सं०-62 व 63/1 रकबा 42.00 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र दिनांक 12.11.2024 से 11.05.2025 तक स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, नायब तहसीलदार जसपुरा व उपजिलाधिकारी पैलानी द्वारा दिनांक 29.03.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या संख्या-5377/खनिज-30, बाँदा दिनांक 29.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. अनुज्ञाधारक Suddhatam Enterprises प्रो० श्री मनोज कुमार मिश्रा के पक्ष में स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से अनुज्ञाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 01 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिट्ट का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°40'41.94"N	80°21'5.08"E	3834	0.75	2875.50
	B	25°40'40.86"N	80°21'3.44"E			
	C	25°40'39.90"N	80°21'6.04"E			
	D	25°40'38.71"N	80°21'4.45"E			
कुल योग :-						2875.50

इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 2875.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।"

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 2875.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू० 4,31,325/- व खनिज मूल्य के रूप में रू० 21,56,625/- कुल रू० 25,87,950/- राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. Nulke
01/04/2025
जिलाधिकारी,
बाँदा।
etc


निरीक्षण आख्या

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि श्री नीलू सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, प्रमोद पुत्र श्री रघुवीर आदि के आनलाइन शिकायती प्रार्थना पत्र संख्या-40016824006239 दिनांक-07.06.2024, जिसके द्वारा मै0 कवर इण्टर प्राईजेज ग्राम बेरी के खण्ड संख्या-6 के पट्टाधारक द्वारा अपने खण्ड से हटकर मशीनों द्वारा अवैध खनन किये जाने की शिकायत की गयी।

उक्त शिकायत के क्रम में दिनांक-24.06.2024 को स्थलीय निरीक्षण/जांच की गयी। जांच में पाया गया कि पट्टाधारक मै0 कवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0 निदेशक कवर पाल सिंह पुत्र श्री हजभजन सिंह निवासी-डी-19 सेक्टर-40 नोएडा, गोतमबुद्ध नगर उ0प्र0 के पक्ष में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र ग्राम बेरी के खण्ड संख्या-10/6 के पट्टाधारक/संचालक द्वारा अपने क्षेत्र के पूरब दिशा में पिलर संख्या-बी के बगल में वाहनों के आवागमन हेतु बने रास्ते के पूरब दिशा में अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 1.8 मीटर मिट्टी की ऊपरी परत हटाकर 0.7 मीटर गहराई x 61 मीटर लम्बाई x 29 मीटर चौड़ाई में कुल 1238.3 घन मीटर बालू/मौरम का अवैध खनन हो पाया गया।

कृपया आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


24.6.24
खान अधिकारी,
हमीरपुर

658

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या- 551 / खनिज-एगोएगोसी-तीस-विविध (2023-24)

दिनांक- 05.07.2024

मै० कंवर इण्टर प्राइजेज प्रा०लि०,

निदेशक श्री कंवर पाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह,

निवासी-डी-19 सेक्टर-40 नोएडा गौतमबुद्ध नगर उ०प्र०।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील हमीरपुर के ग्राम बेरी के खण्ड संख्या-10/6 में स्थित 36.437 हे० क्षेत्र में 5,82,912 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु०-254/- प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-09.11.2023 से 08.11.2028 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।


उक्त क्षेत्र की खान अधिकारी, हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-24.06.2024 को जांच किया गया। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्रों में निम्न अनियमिततायें पायी गयी हैं:-

"मै० कंवर इण्टर प्राइजेज प्रा०लि० निदेशक कंवर पाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह निवासी-डी-19 सेक्टर-40 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उ०प्र० के पक्ष में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र ग्राम बेरी के खण्ड संख्या-10/6 के पट्टाधारक/संचालक द्वारा अपने क्षेत्र के पूरब दिशा में पिलर संख्या-बी के बगल में वाहनों के आवागमन हेतु बने रास्ते के पूरब दिशा में अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 1.8 मीटर मिट्टी की ऊपरी परत हटाकर 0.7 मीटर गहराई x 61 मीटर लम्बाई x 29 मीटर चौड़ाई में कुल 1238.3 घन मीटर बालू/मौरम का अवैध खनन हो पाया गया।"

आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-03 व 21 का उल्लंघन एवं नियम-58 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।


अतः आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र बाहर अवैध खनन किये जाने पर नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 1238.3 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु०-1,85,745/- (रुपये एक लाख पचासी हजार सात सौ पैतालिस मात्र), बाजार मूल्य रु०-9,28,725/- (रुपये नौ लाख अठ्ठाइस हजार सात सौ पच्चीस मात्र) कुल रु०-11,14,470/- (रुपये ग्यारह लाख चौदह हजार चार सौ सत्तर मात्र) की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि क्यों न आप द्वारा अवैध खनन किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।


राहुल पाण्डेय
जिलाधिकारी
हमीरपुर

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।


राहुल पाण्डेय
जिलाधिकारी
हमीरपुर

939

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या- 233 / खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25) दिनांक- 23-07, 2024

आदेश

मै0 कंवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0 निदेशक श्री कंवर पाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह निवासी-डी-19 सेक्टर-40 नोएडा गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 के पक्ष में जनपद हमीरपुर की तहसील हमीरपुर के ग्राम बेरी के खण्ड संख्या-10/6 रकबा-36.437 हे0 क्षेत्र में 5,82,912 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0-254/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-09.11.2023 से 08.11.2028 तक की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त क्षेत्र की खान अधिकारी, हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-24.06.2024 को जांच किया गया। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्रों में निम्न अनियमिततायें पायी गयी हैं:-


"मै0 कंवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0 निदेशक कंवर पाल सिंह पुत्र श्री हजभजन सिंह निवासी-डी-19 सेक्टर-40 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 के पक्ष में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र ग्राम बेरी के खण्ड संख्या-10/6 के पट्टाधारक/संचालक द्वारा अपने क्षेत्र के पूरब दिशा में पिलर संख्या-बी के बगल में वाहनों के आवागमन हेतु बने रास्ते के पूरब दिशा में अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 1.8 मीटर मिट्टी की ऊपरी परत हटाकर 0.7 मीटर गहराई 7 61 मीटर लम्बाई 7 29 मीटर चौड़ाई में कुल 1238.3 घन मीटर बालू/मौरम का अवैध खनन हो पाया गया।"

पट्टाधारक द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-03 व 21 का उल्लंघन एवं नियम-58 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र बाहर अवैध खनन किये जाने पर नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 1238.3 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0-1,85,745/- (रुपये एक लाख पचासी हजार सात सौ पैतालिस मात्र), बाजार मूल्य रु0-9,28,725/- (रुपये नौ लाख अठ्ठाइस हजार सात सौ पच्चीस मात्र) कुल रु0-11,14,470/- (रुपये ग्यारह लाख चौदह हजार चार सौ सत्तर मात्र) की देयता बनती है।


उपरोक्त के सम्बन्ध में पट्टाधारक मै0 कंवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0 निदेशक श्री कंवरपाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह निवासी-डी-19 सेक्टर 40 नोएडा गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 को कार्यालय के पत्र संख्या-551/खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2023-24) दिनांक-05.07.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस के अन्तर्गत बकाया धनराशि जमा करने अथवा प्रश्नगत प्रकरण में 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। परन्तु पट्टाधारक द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक-05.07.2024 के क्रम में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत पट्टाधारक को अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है।

अतः पट्टा क्षेत्र तहसील हमीरपुर ग्राम बेरी के खण्ड संख्या-10/6 क्षेत्रफल-36.437 हे० पर 1238.3 घन मीटर का अवैध खनन किये जाने के कारण रायल्टी व खनिज मूल्य की कुल धनराशि रु०-11,14,470/- (रुपये ग्यारह लाख चौदह हजार चार सौ सत्तर मात्र) आरोपित की जाती है। उक्त अधिरोपित धनराशि खनिज विभाग के लेखाशीर्षक-0853 में 30 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में उक्त देय धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूली करने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी, जिसके जिम्मेवार पट्टाधारक स्वयं होंगे।


23/07/24
(राहुल पाण्डेय)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
- 3- मै० कंवर इण्टर प्राईजेज प्रा०लि० निदेशक श्री कंवरपाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह निवासी-डी-19 सेक्टर 40 नोएडा गौतमबुद्ध नगर उ०प्र०।





23/07/24
जिलाधिकारी
हमीरपुर


23/07/2024

जांच आख्या

अवगत कराना है कि श्री विवेक कुमार सिंह पुत्र स्व० राम विशाल सिंह निवासी-गायत्री नगर बबेरु रोड़ जनपद बांदा उ०प्र० के दिनांक रहित प्रार्थना प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनुरोध किया गया कि जनपद हमीरपुर की तहसील सदर के ग्राम बेरी के खण्ड संख्या-10/5 में स्थित 36.437 हे० क्षेत्र पर अवैध रूप से बालू/मौरम को समीपवर्ती पट्टेदारों खण्ड संख्या-10/6 के द्वारा अवैध खनन किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, हमीरपुर के मौखिक आदेश दिनांक-23.12.2024 द्वारा उक्त प्रकरण की संयुक्त टीम द्वारा तत्काल जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुपालन में दिनांक-23.12.2024 को राजस्व विभाग व खनिज विभाग हमीरपुर की संयुक्त टीम द्वारा जांच की गयी। जांच में पाया गया कि ग्राम बेरी के खण्ड संख्या-10/6 जो ग्राम इन्द्रपुरी के तरफ स्थित है। जांच में खनन क्षेत्र में सीमास्तम्भ लगे पाये गये व पी०टी०जेड०/सी०सी०टी०वी० कैमरा लगा पाया गया। पट्टाधारक अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र के अन्दर खनन कार्य करते हुये पाये गये परन्तु पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र में नदी की जलधारा में खनन कार्य किया जाना पाया गया तथा खनन पट्टा क्षेत्र के पूरब दिशा में खण्ड संख्या-10/6 के पट्टाधारक द्वारा रिक्त पड़े खण्ड संख्या-10/5 के क्षेत्र में परिवहन हेतु रास्ता बनाया गया है, जबकि अवैध खनन नहीं किया गया है। पट्टाधारक प्रतिनिधि को मौके पर निर्देशित किया गया कि अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र में खनन/परिवहन कार्य करें। जांच के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत है :-



आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

24/12/24
क्षेत्रीय लेखपाल

23/12/2024
खान निरीक्षक,
हमीरपुर

23/12/24
तहसीलदार,
हमीरपुर

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुशासक)

संख्या- 1418 / खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विध (2023-24)

दिनांक- 26/12/2024

भै0 कंवर इण्टर प्राइजेज प्रा0लि0,

निदेशक श्री कंवर पाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह,

निवासी-डी-19 सेक्टर-40 नोएडा गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील हमीरपुर के ग्राम बेरी के खण्ड संख्या-10/6 में स्थित 36.437 हे0 क्षेत्र में 5,82,912 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0-254/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-09.11.2023 से 08.11.2028 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त क्षेत्र की तहसीलदार हमीरपुर, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-23.12.2024 को जांच किया गया। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्रों में निम्न अनियमिततायें पायी गयी हैं:-

"जांच में पाया गया कि ग्राम बेरी के खण्ड संख्या-10/6 जो ग्राम इन्द्रपुरी के तरफ स्थित है। जांच में खनन क्षेत्र में सीमास्तम्भ लगे पाये गये व पी0टी0जेड0/सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा पाया गया। पट्टाधारक अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र के अन्दर खनन कार्य करते हुये पाये गये परन्तु पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र में नदी की जलधारा में खनन कार्य किया जाना पाया गया तथा खनन पट्टा क्षेत्र के पूरब दिशा में खण्ड संख्या-10/6 के पट्टाधारक द्वारा रिक्त पड़े खण्ड संख्या-10/5 के क्षेत्र में परिवहन हेतु रास्ता बनाया गया है, जबकि अवैध खनन नहीं किया गया है। पट्टाधारक प्रतिनिधि को मौके पर निर्देशित किया गया कि अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र में खनन/परिवहन कार्य करें।"

आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ज) का उल्लंघन एवं नियम-60(4) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। आप द्वारा नदी की जलधारा में खनन कार्य किये जाने पर नियमावली-2021 के नियम-60(4) के अन्तर्गत कुल रु0-5,00,000/- (रुपये पांच लाख मात्र) की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि क्यों न आप द्वारा जलधारा में खनन किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
हमीरपुर

उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
हमीरपुर

1410

बीमा नहीं/NOT INSURED

क्रमांक/No-18809820311

1418

Amount of Stamps affixed

एफ एजिस्ट्री

Received a Registered

पाने वाले का नाम/Addressed to


पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

Signature of Receiving Officer

निर्माण आख्या

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय के पत्र दिनांक-1800/04.02.2025 के अनुपालन में खनिज विभाग, राजस्व विभाग व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक-27.02.2025 को मै0 कंवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0 निदेशक श्री कंवर पाल सिंह पुत्र श्री हरमजन सिंह निवासी-डी-19 सेक्टर-40 नोएडा गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0) के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र तहसील हमीरपुर के ग्राम इन्द्रपुरी के खण्ड संख्या-10/6 जांच की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

1	सीमास्तम्भों की स्थिति	सभी सीमास्तम्भ लगे हुये पाये गये।
2	पी0टी0जेड कैमरे की स्थिति	खनन क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा पाया गया किन्तु चालू नहीं पाया गया।
3	वे-ब्रिज/सी0सी0टी0वी0 कैमरे की स्थिति	खनन क्षेत्र में वे-ब्रिज/सी0सी0टी0वी0 लगे पाये गये।
4	स्वीकृत क्षेत्र में खनन की स्थिति/जलधारा खनन की स्थिति	जांच के समय ग्राम इन्द्रपुरी के खण्ड संख्या-10/6 के पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के पूर्व दिशा में अवैध खनन होने के साख्य पाये गये जिसका विवरण निम्नवत् है:- 1-जी0पी0एस0 कोडनेट्स 25.877344° व 79.926649° व कोडनेट्स 25.877222° व 79.925862° के मध्य 79X28X0.3 = 663 घनमीटर नदी की जलधारा में खनन कार्य होना नहीं पाया गया
5	अन्य विवरण	मौके पर संयुक्त टीम द्वारा पट्टाधारक/प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि खनन कार्य अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र में करे।
6	जांच के समय लिये गये फोटोग्राफ	

आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

Pranay
27/02/2025
खान निरीक्षक
हमीरपुर

[Signature]
27/02/25
क्षेत्राधिकारी
हमीरपुर

[Signature]
27.02.2025
उपजिलाधिकारी
हमीरपुर

Chhavi
03-03-2025
140

664
कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या- 1918 / खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25)

दिनांक- 16/11/2025

भौ0 कंवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0,

निदेशक, कंवर पाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह,

निवासी-अनिल कुमार सिंह पता-हाउस नं0-208 गली नं0-13

लिपटी शोरुप के पास, भीकम कालौनी, बल्लबगढ़ फरीदाबाद हरियाणा।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील हमीरपुर के ग्राम बेरी के खण्ड संख्या-10/6 में स्थित 36.437 हे0 क्षेत्र में 5,82,912 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0-254/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-09.11.2023 से 08.11.2028 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त खनन क्षेत्र की जांच उपजिलाधिकारी हमीरपुर, क्षेत्राधिकारी हमीरपुर एवं खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-27.02.2025 को की गयी। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्र में निम्न अनियमिततायें पायी गयी हैं:-

“जांच के समय ग्राम इन्द्रपुरी के खण्ड संख्या-10/6 के पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के पूर्व दिशा में अवैध खनन होने के साक्ष्य पाये गये, जिसका विवरण निम्नवत है :-
1- जी0पी0एस0 कोडनेट्स 25°877344" N 79°926649"E व 25°877222" N 79°925862"E के मध्य 79X28X0.

3 =663 घन मीटर

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा कुल 663 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया है। नदी की जलधारा में खनन होना नहीं पाया गया।”

आपका उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3 का उल्लंघन एवं नियम-58 व 21 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किये जाने पर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 663 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0-99,450/- (रुपये निम्नयानवे हजार चार सौ पचास मात्र) तथा खनिमूल्य मूल्य रु0-4,97,250/- (रुपये चार लाख सत्तानवे हजार दो सौ पचास मात्र) कुल रु0-5,96,700/- (रुपये पांच लाख छियानवे हजार सात सौ मात्र) की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न आप द्वारा अवैध खनन किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उक्त के सम्वन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

(घनश्याम मीना)
जिलाधिकारी
हमीरपुर
%/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1- सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।

(घनश्याम मीना)
जिलाधिकारी
हमीरपुर
%/ 1602

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुगाग)

संख्या- 141 / खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2025-26) दिनांक- 24/04/2025
आदेश

मै0 कॅवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0 निदेशक श्री कॅवर पाल सिंह पुत्र श्री हरमजन सिंह निवासी-डी-19, सेक्टर-40 नोएडा गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 व शिवानी सिंह पुत्री श्री अनिल कुमार सिंह पता-हाउस नं0-208 गली नं0-13 लिबर्टी शोरुम के पास भीकम कालौनी, बल्लबगढ़ फरीदाबाद हरियाणा के पक्ष में जनपद हमीरपुर की तहसील हमीरपुर के ग्राम बेरी के खण्ड संख्या-10/6 रकबा-36.437 हेक्टेयर क्षेत्र पर, बालू/मौरम के खनन हेतु क्षेत्र में उपलब्ध वार्षिक आकलित मात्रा-5,82,912 घन मीटर के लिये दी गयी बोली रु0-254/- (रुपये दो सौ चौवन मात्र) प्रति घन मीटर की दर पर दिनांक-09.11.2023 से आगामी 05 वर्ष अर्थात दिनांक-08.11.2028 तक की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत एवं विलेख निष्पादित किया गया था।

2- मै0 कॅवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0 को देय किश्त, डी0एम0एफ0 एवं टी0सी0एस0 के मद में माह अप्रैल, 2025 तक तथा अवैध खनन की धनराशि एवं 356 वाहनों पर वे-ब्रिज की धनराशि मदवार देय धनराशि का विवरण निम्नवत है:-

बकाया का मद	देयता की तिथि	देय धनराशि	जमा धनराशि	बकाया धनराशि
किश्त	माह मार्च 2025	1,62,86,562/-	39,76,436/-	1,23,10,126/-
	माह अप्रैल 2025	1,62,86,562/-	-	1,62,86,562/-
	योग-	3,25,73,124/-	39,76,436/-	2,85,96,688/-
डी0एम0एफ0	माह दिसम्बर, 2023	14,80,597/-	-	14,80,597/-
	माह जनवरी, 2024	14,80,597/-	-	14,80,597/-
	माह फरवरी, 2024	14,80,597/-	-	14,80,597/-
	माह मार्च, 2024	14,80,597/-	-	14,80,597/-
	माह अप्रैल, 2024	14,80,597/-	-	14,80,597/-
	माह मई, 2024	14,80,597/-	-	14,80,597/-
	माह जून, 2024	14,80,597/-	-	14,80,597/-
	माह अक्टूबर 2024	14,80,597/-	-	14,80,597/-
	माह नवम्बर 2024	32,57,313/-	-	32,57,313/-
	माह दिसम्बर 2024	16,28,656/-	-	16,28,656/-
	माह जनवरी 2025	16,28,656/-	-	16,28,656/-
	माह फरवरी 2025	16,28,656/-	-	16,28,656/-
	माह मार्च 2025	16,28,656/-	-	16,28,656/-
	माह अप्रैल 2025	16,28,656/-	-	16,28,656/-
	योग-	2,32,45,369/-	-	2,32,45,369/-
टी0सी0एस0	माह मई, 2024	2,96,120/-	-	2,96,120/-
	माह जून, 2024	2,96,120/-	-	2,96,120/-
	माह अक्टूबर 2024	2,96,120/-	-	2,96,120/-
	माह अप्रैल 2025	3,25,732/-	-	3,25,732/-
योग-	12,14,092/-	-	12,14,092/-	
अवैध खनन क्षति पूर्ति की धनराशि		22,11,170/-	-	22,11,170/-
356 वाहनों पर वे-ब्रिज की धनराशि		1,52,74,484/-	-	1,52,74,484/-

3- पट्टाधारक द्वारा माह मार्च, 2025 से माह अप्रैल, 2025 के मध्य उपरोक्तानुसार बकाया देय किश्त व माह दिसम्बर, 2023 से माह अप्रैल, 2025 तक नियमानुसार देय डी0एम0एफ0 की धनराशि एवं माह दिसम्बर, 2023 से माह अप्रैल, 2025 तक नियमानुसार देय टी0सी0एस0 की धनराशि जमा न

किये जाने पर इस कार्यालय द्वारा नोटिस संख्या-1015/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-23.10.2024 एवं नोटिस संख्या-41/ खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2025-26) दिनांक-09.04.2025 द्वारा पट्टाधारक को सूचित किया गया, परन्तु पट्टाधारक द्वारा उपरोक्तानुसार देय धनराशि जमा नहीं की गयी न ही कोई स्पष्टीकरण/जवाब प्रस्तुत किया गया है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-59 एवं पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

4- उक्त के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु निर्णय लिये जाने के लिये उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-59 के प्राविधान सुसंगत है, जो निम्नलिखित है:-

"59- स्वामित्व, भाटक या अन्य देयों का भुगतान न करने के परिणाम :-

(1) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, पट्टेदार पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात् कि वह सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामित्व (रायल्टी) सहित पट्टे के अधीन देय कोई धनराशि या अपरिहार्य भाटक का भुगतान करें, यदि उस भुगतान के लिये निश्चित दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उसका भुगतान न किया गया हो, तो खनन पट्टा समाप्त कर सकता है। यह अधिकार पट्टेदार से ऐसे देयों को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करने के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त होगा और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) इस नियमावली के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उप नियम (1) के अधीन सूचना की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार के प्रति देय किसी भाटक स्वामित्व, सीमांकन शुल्क और किन्हीं अन्य देयों पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जा सकता है।"

प्रतिबन्ध यह है कि जिला मजिस्ट्रेट कुल देय धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि का समायोजन करने के पश्चात् अवशेष धनराशि की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करेगा।"

5- उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली-2021 के अध्याय-4 के अन्तर्गत खनन क्षेत्र की विज्ञप्ति करते हुए अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में खनन पट्टे का पट्टा विलेख कराया गया है, पट्टा विलेख की शर्तों के अन्तर्गत पट्टा विलेख में दी गई किशतों की विवरण के अनुसार नियमानुसार देय किशतों के भुगतान किये जाने हेतु पट्टाधारक बाध्य है। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-59(1) में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है कि राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, पट्टेदार पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात् कि वह सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामित्व (रायल्टी) सहित पट्टे के अधीन देय कोई धनराशि या अपरिहार्य भाटक का भुगतान करें, यदि उस भुगतान के लिये निश्चित दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उसका भुगतान न किया गया हो, तो खनन पट्टा समाप्त कर सकता है। पट्टाधारक को खनन पट्टे के अन्तर्गत बकाया धनराशि की नोटिसें निर्गत करने के बाजवूद भी बकाया धनराशि जमा नहीं की गयी।

6- पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र की जांच खान अधिकारी, हमीरपुर द्वारा दिनांक-24.04.2024 को की गयी। जांच में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र ग्राम बेरी के खण्ड संख्या-10/6 के पट्टाधारक/संचालक द्वारा अपने क्षेत्र के पूरव दिशा में पिलर संख्या-बी के बगल में वाहनों के आवागमन हेतु बने रास्ते के पूरव दिशा में अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 1.8 मीटर मिट्टी की ऊपरी परत हटाकर 0.7 मीटर गहराई x 61 मीटर लम्बाई x 29 मीटर चौड़ाई में कुल 1283.3 घन मीटर

बालू/मौरम का अवैध खनन होना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-551/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2023-24) दिनांक-05.07.2024 द्वारा कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया। उपरोक्त नोटिस दिनांक-05.07.2024 के क्रम में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात् कार्यालय के आदेश संख्या-233/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-23.07.2024 द्वारा कुल रु-11,14,470/-की शास्ति आरोपित करने हेतु निर्गत किया गया। पट्टाधारक द्वारा अभी तक उक्त धनराशि जमा की गयी न ही कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया।

7- उक्त क्षेत्र की जांच तहसीलदार हमीरपुर, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-23.12.2024 की गई। जांच में ग्राम बेरी के खण्ड संख्या-10/6 जो ग्राम इन्द्रपुरी के तरफ स्थित है। जांच में खनन क्षेत्र में सीमास्तम्भ लगे पाये गये व पी0टी0जेड0/सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा पाया गया। पट्टाधारक अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र के अन्दर खनन कार्य करते हुये पाये गये परन्तु पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र में नदी की जलधारा में खनन कार्य किया जाना पाया गया तथा खनन पट्टा क्षेत्र के पूरब दिशा में खण्ड संख्या-10/6 के पट्टाधारक द्वारा रिक्त पड़े खण्ड संख्या-10/5 के क्षेत्र में परिवहन हेतु रास्ता बनाया गया है, जबकि अवैध खनन नहीं किया गया है। पट्टाधारक प्रतिनिधि को मौके पर निर्देशित किया गया कि अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र में खनन/परिवहन कार्य करें। उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-1418/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2023-24) दिनांक-26.12.2024 द्वारा रु-5,00,000/- जमा करने एवं 15 दिवस के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। पट्टाधारक द्वारा अभी तक उक्त धनराशि जमा की गयी न ही कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया।

8- पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र की पुनः जांच उपजिलाधिकारी हमीरपुर, क्षेत्राधिकारी हमीरपुर एवं खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-27.02.2025 को की गयी। जांच में ग्राम इन्द्रपुरी के खण्ड संख्या-10/6 के पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के पूर्व दिशा में अवैध खनन होने के साक्ष्य पाये गये, जिसमें जी0पी0एस0 कोडिनेट्स N-25°877344" E-79°926649" व N-25°877222" E-79°925862" के मध्य 79X28X0.3 = 663 घन मीटर बालू/मौरम का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-1816/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-10.03.2025 द्वारा रु-5,96,700/-जमा करने एवं 15 दिवस के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। पट्टाधारक द्वारा अभी तक उक्त धनराशि जमा की गयी न ही कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया।

9- पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में स्थापित वे-ब्रिज से होकर गुजरने वाले वाहनों पर दिनांक-09.11.2023 से 05.04.2025 तक कुल 356 वाहनों द्वारा अवैध परिवहन किये जाने के कारण पट्टाधारक के ई-मेल आई0डी0 kanwarenterprises23@rediffmaill.com पर आनलाइन नोटिस प्रेषित किया गया किन्तु पट्टाधारक द्वारा प्रेषित किये गये नोटिस का संज्ञान नहीं लिया गया और न कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया। उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60(6) के अनुसार 356 वाहनों पर अवैध परिवहन किये जाने के कारण कुल रु-1,52,74,484/-की देयता बनती है। उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय के नोटिस संख्या-1936/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-31.03.2025 द्वारा ऑनलाइन नोटिस के अन्तर्गत धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये।

9- पट्टाधारक पर वे-ब्रिज से होकर गुजरने वाले वाहनों पर दिनांक-09.11.2023 से 05.04.2025 तक कुल 356 वाहनों द्वारा अवैध परिवहन किये जाने के कारण रु-1,52,74,484/-तथा अवैध खनन/अनियमितताओं के कारण आरोपित शास्ति कुल रु-22,11,170/-कुल धनराशि रु-1,74,85,654/-की धनराशि बकाया है, जो पट्टाधारक द्वारा जमा नहीं किया गया है न ही कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

10- खनन पट्टा विलेख के भाग-2 की शर्त संख्या-1 के अनुसार किश्त, डी0एम0एफ0 एवं टी0सी0एस0 के मदों में निम्नानुसार देयता बनती है :-

क्र0सं0	मद	धनराशि	धनराशि जमा करने का मद
1	किश्त	2,85,96,688 /-	0853-अलौह खनन तथा घातुकर्म उद्योग, 800-अन्य प्राप्तियां और 01 अन्य प्राप्तियां
2	डी0एम0एफ0	2,32,45,369 /-	जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास के खाता संख्या-50405557131 इण्डियन बैंक हमीरपुर कोड-IDIB000H523
3	टी0सी0एस0	12,14,092 /-	आयकर के निर्धारित TAN- KNP001873E
	कुल-	5,30,56,176 /-	

उपरोक्तानुसार मै0 कॅवर इण्टर प्राइजेज प्रा0लि0 के पक्ष में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र को उपरोक्तानुसार नोटिस देने के पश्चात् भी नियमानुसार देय धनराशि जमा न करने तथा प्रेषित नोटिस के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने के कारण उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-59 के प्राविधानों के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है। प्रतिभूति के मद में जमा धनराशि रु0-3,70,14,912/-से 356 वे-ब्रिज की नोटिसों के अन्तर्गत बकाया तथा अवैध खनन/अनियमितताओं पर आरोपित बकाया धनराशि रु0-1,74,85,654/- को उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60(6) के अन्तर्गत प्रतिभूति की धनराशि से कटौती की जाती है। इस प्रकार प्रतिभूति के मद में जमा धनराशि से बकाया धनराशि की कटौती करने के उपरान्त प्रतिभूति के मद में रु0-1,95,29,258/-अवशेष बचती है। प्रतिभूति के मद में अवैध खनन/अनियमितताओं पर आरोपित बकाया धनराशि से कटौती के उपरान्त अवशेष धनराशि रु0-1,95,29,258/-को किश्त के मद में बकाया धनराशि रु0-2,85,96,688/-में समायोजित करने के उपरान्त किश्त के मद में बकाया धनराशि रु0-90,67,430/-, डी0एम0एफ0 के मद में रु0-2,32,45,369/-तथा टी0सी0एस0 के मद में रु0-12,14,092/-को आदेश निर्गत होने के 30 दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार निर्धारित मद में जमा करते हुये कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। यदि पट्टाधारक द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत देय धनराशि जमा नहीं की जाती है, तो नियमानुसार किश्त की बकाया धनराशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की देयता, डी0एम0एफ0 की बकाया धनराशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की देयता तथा टी0सी0एस0 की बकाया धनराशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की देयता नियत कर बकाया धनराशि बकाया भू-राजस्व की भाँति नियमानुसार वसूल किया जायेगा।

(धनश्याम मीना)
जिलाधिकारी,
हमीरपुर

संख्या- / तददिनांक-
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1-सञ्चित उत्तर प्रदेश शासन भवन गतं र्वनिकर्म विभाग, लखनऊ।

प्रदेश लखनऊ।

श्री कॅवर पाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह नगर उ0प्र0 व शिवानी सिंह पुत्री श्री अनिल कुमार बर्ती शोरुम के पास भीकम कालौनी, बल्लबगढ़

जिलाधिकारी,
हमीरपुर

o/c

वीमा नहीं/NOT INSURED

क्रमांक/नं०-108099141-141

लगाये गये टिकटों का मूल्य रु 38737
Amount of Stamps affixed

एक रजिस्ट्री* प्राप्त किया Date stamp
Received a Registered*

पाने वाले का नाम/Address to
कॅवर पाल सिंह


पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

21.11.2015

निरीक्षण आख्या

महोदय,

दिनांक-19.03.2024 समय-01.35 PM को राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग की संयुक्त जांच टीम द्वारा जनपद हमीरपुर के तहसील सरीला अन्तर्गत आवंटित खनन क्षेत्र ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 रकबा-16.00 हे० बालू/मौरम हेतु खनन पट्टा दिनांक-09.12.2023 से 08.12.2028 तक की अवधि तक वार्षिक मात्रा-2,40,000 घन मीटर बालू/मौरम के खनन के लिये स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त स्वीकृत क्षेत्र की जांच के समय खनन क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी मौके से वाहन छोड़कर भाग गये तथा पट्टाधारक भी मौके पर उपस्थित नहीं हुआ, जिसके पश्चात् प्रश्नगत क्षेत्र की जांच की गयी। जांच के समय स्वीकृत क्षेत्र से बाहर पूरब दिशा में कोडिनेट्स संख्या-N-25°54'21.031" E-79°39'8.568" के पास 6424.78 वर्ग मीटर में औसतन 1.00 मीटर गहराई में कुल 6425 घन मीटर मौरम का अवैध खनन किया जाना पाया गया। जांच के समय खनन क्षेत्र में पूरब दिशा में पिलर संख्या-बी व सी स्थापित नहीं पाया गया तथा खनन क्षेत्र में लगे वे-ब्रिज के पूरब दिशा में पिलर संख्या-बी व सी स्थापित नहीं पाये गये किन्तु उनकी दिशा नीचे की तरफ झुकी पायी गयी, जिससे वाहन पर भरी मौरम की मात्रा दिखाई नहीं दे रहा था, जिसको सही करने के लिये वे-ब्रिज पर उपस्थित कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि कैमरे को इस प्रकार से स्थापित करे कि कैमरे में वाहन संख्या के साथ-साथ वाहन पर भरे मौरम भी स्पष्ट नजर आये तथा दोनो पिलर को तत्काल लगाते हुये, उनके फोटोग्राफ कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। उक्त क्षेत्र के पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर-6425 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया है, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 21 व 72 का उल्लंघन एवं नियम-58 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जांच के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत है :-



अतः उपरोक्तानुसार आख्या सेवा में सादर प्रेषित।

19/3/24
19.3.24

19/3/24
19/3/24

19.03.24
तहसीलदार
सरीला,
जनपद हमीरपुर

19.3.24
खान अधिकारी,
हमीरपुर

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर
(खनन अनुभाग)

संख्या 39 / खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2023-24) दिनांक- 04-04-2024

श्री0 ओम प्रकाश राम अवतार,
प्रो0 श्रीमती रेनु गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता,
निवासी-128/346 एच0 ब्लाक किदवई नगर
जनपद कानपुर नगर उ0प्र0।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 में स्थित 16.00 हे0 क्षेत्र में 2,40,000 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रू0-1000/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-09.12.2023 से 08.12.2028 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त क्षेत्र की जांच खान अधिकारी, हमीरपुर, तहसीलदार सरीला, राजस्व निरीक्षक चण्डौत डाड़ा एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-19.03.2024 को की गयी। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्र में निम्न अनियमिततायें पायी गयी हैं:-

“जांच के समय खनन क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी मौके से वाहन छोड़कर भाग गये तथा पट्टाधारक भी मौके पर उपस्थित नहीं हुआ, जिसके पश्चात् प्रश्नगत क्षेत्र की जांच की गयी। जांच के समय स्वीकृत क्षेत्र से बाहर पूरब दिशा में कोडिनेट्स संख्या-N-25°54'21.031" E-79°39'8.568" के पास 6424.78 वर्ग मीटर में औसतन 1.00 मीटर गहराई में कुल 6425 घन मीटर मौरम का अवैध खनन किया जाना पाया गया। जांच के समय खनन क्षेत्र के पूरब दिशा में पिलर संख्या-बी व सी स्थापित नहीं पाया गया तथा खनन क्षेत्र में लगे वे-ब्रिज व कैमरे की जांच के समय वे-ब्रिज पर स्थापित कैमरे लगे पाये गये किन्तु उनकी दिशा नीचे की तरफ झुकी पायी गयी, जिससे वाहन पर गरी मौरम की मात्रा दिखाई नहीं दे रहा था, जिसको सही करने के लिये वे-ब्रिज पर उपस्थित कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि कैमरे को इस प्रकार से स्थापित करे कि कैमरे में वाहन संख्या के साथ-साथ वाहन पर भरे मौरम भी स्पष्ट नजर आये तथा दोनों पिलर को तत्काल लगाते हुये, उनके फोटोग्राफ कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। उक्त क्षेत्र के पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर-6425 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया है।”


आपका उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3 का उल्लंघन एवं नियम-58 व 21 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध व नियम-36(1) तथा नियम-60 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अपने द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किये जाने पर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-58 के प्राविधानों के अन्तर्गत शास्ति रू0-5,00,000/-एवं नियम-21 के अन्तर्गत 6425 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रू0-9,63,750/- (रुपये

२


नौ लाख तिरसठ हजार सात सौ पचास मात्र) तथा बाजार मूल्य रु०-48,18,750 /- (रुपये अट्तालिस लाख अठ्ठासठ हजार सात सौ पचास मात्र) तथा पिलर न लगाये जाने के कारण नियम-60 के अन्तर्गत रु०-50,000 /- अर्थात् कुल रु०-58,32,500 /- (रुपये अठ्ठावन लाख बत्तीस हजार पाँच सौ मात्र) की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की पति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा नोटिस प्राप्त के 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि क्यों न आप द्वारा अवैध खनन किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।


 राजेन्द्र सिंह
 (राहुल पाण्डेय)
 जिलाधिकारी
 हमीरपुर

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।


 राजेन्द्र सिंह
 जिलाधिकारी
 हमीरपुर


 6/4/2024

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या - 623 / खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25) दिनांक- 20-07-2024

आदेश

गै0 ओग प्रकाश राम अवतार, प्रो0 श्रीमती रेनू गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी-128/346 एच0 ब्लाक किदवई नगर जनपद कानपुर नगर उ0प्र0 के पक्ष में जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 में स्थित 16.00 हे0 क्षेत्र में 2,40,000 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0-1000/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-09.12.2023 से 08.12.2028 तक की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त क्षेत्र की जांच खान अधिकारी, हमीरपुर, तहसीलदार सरीला, राजस्व निरीक्षक चण्डौत डाडा एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-19.03.2024 को की गयी। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्र में निम्न अनियमिततायें पायी गयी हैं:-

“जांच के समय खनन क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी मौके से वाहन छोडकर भाग गये तथा पट्टाधारक भी मौके पर उपस्थित नही हुआ, जिसके पश्चात् प्रश्नगत क्षेत्र की जांच की गयी। जांच के समय स्वीकृत क्षेत्र से बाहर पूरब दिशा में कोडिनेट्स संख्या-N-25°54'21.031" E-79°39'8.568" के पास 6424.78 वर्ग मीटर में औसतन 1.00 मीटर गहराई में कुल 6425 घन मीटर मौरम का अवैध खनन किया जाना पाया गया। जांच के समय खनन क्षेत्र के पूरब दिशा में पिलर संख्या-बी व सी स्थापित नही पाया गया तथा खनन क्षेत्र में लगे वे-ब्रिज व कैमरे की जांच के समय वे-ब्रिज पर स्थापित कैमरे लगे पाये गये किन्तु उनकी दिशा नीचे की तरफ झुकी पायी गयी, जिससे वाहन पर भरी मौरम की मात्रा दिखाई नही दे रहा था, जिसको सही करने के लिये वे-ब्रिज पर उपस्थित कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि कैमरे को इस प्रकार से स्थापित करे कि कैमरे में वाहन संख्या के साथ-साथ वाहन पर भरे मौरम भी स्पष्ट नजर आये तथा दोनों पिलर को तत्काल लगाते हुये, उनके फोटोग्राफ कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। उक्त क्षेत्र के पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर-6425 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया है।”

पट्टाधारक का उक्त उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3 का उल्लंघन एवं नियम-58 व 21 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध व नियम-36(1) तथा नियम-60 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किये जाने पर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 6425 घन मीटर बालू/मौरम की रायल्टी रु0-9,63,750/- (रुपये नौ लाख तिरसठ हजार सात सौ पचास मात्र) तथा बाजारु मूल्य रु0-48,18,750/- (रुपये अठ्तालिस लाख अठ्ठारह हजार सात सौ पचास मात्र) तथा पिलर न लगाये जाने के कारण नियम-60 के अन्तर्गत रु0-50,000/- अर्थात् कुल रु0-58,32,500/- (रुपये अठ्ठावन लाख बत्तीस हजार पाँच सौ मात्र) की देयता बनती है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में पट्टाधारक गै0 ओग प्रकाश राम अवतार को कार्यालय के पत्र संख्या-39/खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2023-24) दिनांक-04.04.2024 द्वारा कारण बताओ

नोटिस के अन्तर्गत बकाया धनराशि जमा करने अथवा प्रश्नगत प्रकरण में 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

उक्त नोटिस दिनांक-04.04.2024 के क्रम में पट्टाधारक द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक-10.04.2024 प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन में मुख्यतः उल्लेख किया गया कि "निरीक्षण की सूचना, निरीक्षण की प्रति उपलब्ध कराया जाना तथा विश्वसनीय साक्ष्यों का एकत्रीकरण किये जाने के उपरान्त ही किसी पट्टेदार को अवैध खनन किये जाने के सम्बन्ध में कारण बताओं नोटिस दिया जाना वैधानिक होता है, परन्तु विषयगत प्रकरण में न तो पट्टेदार को निरीक्षण करने की कोई सूचना दी गई और न ही निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध कराई गयी और कारण बताओं नोटिस दिनांक-04.04.2024 में कोई विश्वसनीय साक्ष्य का उल्लेख किये बिना स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन के गड्ढे/निशान पाये जाने पर समीपवर्ती पट्टेदार पर कल्पना के आधार पर अवैध खनन का आरोप अधिरोपित किया गया है, जो मा0 न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अन्तर्गत अनुबन्ध नहीं है। उपरिलिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये स्पष्टीकरण पर विचार कर कारण बताओं नोटिस दिनांक-04.04.2024 को निक्षेपित करने की कृपा करें।

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक-10.04.2024 में मुख्य रूप से अवैध खनन को नकारा गया है, जबकि ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 की जांच खान अधिकारी हमीरपुर, तहसीलदार सरीला, राजस्व निरीक्षक चण्डौत डाडा एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दिनांक-19.03.2024 को संयुक्त रूप से की गयी। जांच के समय स्वीकृत क्षेत्र से बाहर पूरब दिशा में कोडिनेट्स संख्या-N-25054'21.031" E-79039'8.568' के पास 6424.78 वर्ग मीटर में औसतन 1.00 मीटर गहराई में कुल 6425 घन मीटर मौरम का अवैध खनन किया जाना पाया गया। जांच के समय खनन क्षेत्र के पूरब दिशा में पिलर संख्या-बी व सी स्थापित नहीं पाया गया तथा खनन क्षेत्र में लगे वे-ब्रिज व कैमरे की जांच के समय वे-ब्रिज पर स्थापित कैमरे लगे पाये गये किन्तु उनकी दिशा नीचे की तरफ झुकी पायी गयी, जिससे वाहन पर भरी मौरम की मात्रा दिखाई नहीं दे रहा था, जिसको सही करने के लिये वे-ब्रिज पर उपस्थित कर्मचारियों को निर्देशित भी किया गया कि कैमरे को इस प्रकार से स्थापित करे कि कैमरे में वाहन संख्या के साथ-साथ वाहन पर भरे मौरम भी स्पष्ट नजर आये तथा दोनो पिलर को तत्काल लगाते हुये, उनके फोटोग्राफ कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। उक्त क्षेत्र के पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर-6425 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया है। इसके अतिरिक्त खनन पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र की जांच आख्या की मांग की गयी है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि संयुक्त जांच टीम की आख्या दिनांक-19.03.2024 का सम्पूर्ण उल्लेख कारण बताओं नोटिस संख्या-39/खनिज दिनांक-04.04.2024 में स्पष्ट रूप से किया गया है, अलग से जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि खनन क्षेत्र में अवैध खनन मात्र कल्पना के आधार पर लगाया गया है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि खण्ड संख्या-21/1 की जांच के समय खनन क्षेत्र में खण्ड संख्या-21/1 के पट्टाधारक/संचालक द्वारा अवैध खनन करने के कारण ही जांच टीम द्वारा नियमानुसार जांच कर अवैध खनन की पुष्टि की गयी है। पट्टाधारक को कार्यालय के पत्र दिनांक-06.03.2024 द्वारा उपप्र0 उपाखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36 के अन्तर्गत पिछले 30 दिनों का सी0सी0टी0वी0 कैमरा व आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर का डाटा मांगा गया, किन्तु पट्टाधारक द्वारा जानबूझकर अवैध खनन/परिवहन की गतिविधियों


का साक्ष्य छुपाये जाने के उद्देश्य से उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक-10.04.2024 में उल्लिखित कथन तथ्यहीन/बलहीन पाये जाने के आधार पर प्रत्यावेदन दिनांक-10.04.2024 को निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।

अतः पट्टा क्षेत्र ताहरील सरीला ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 क्षेत्रफल-16.00 हे० पर 6425 घन मीटर का अवैध खनन किये जाने के कारण रायल्टी व खनिज मूल्य तथा पिलर न लगाये जाने के कारण नियम-60 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति कुल धनराशि रु०-58,32,500/- आरोपित की जाती है। उक्त अधिरोपित धनराशि खनिज विभाग के लेखाशीर्षक-0853 में 30 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में उक्त देय धनराशि को भू-राजस्व को भांति वसूली करने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी, जिसके जिम्मेवार पट्टाधारक स्वयं होंगे।


20/04/24
(राहुल पाण्डेय)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
- 3- नै० ओम प्रकाश राम अवतार, प्र० श्रीमती रेनु गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी-128/346 एच० ब्लाक किदवई नगर जनपद कानपुर नगर उ०प्र०।


20/04/24
जिलाधिकारी
हमीरपुर


20/04/24
24/07/24

675
निरीक्षण आख्या

148

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक-15.06.2024 को मै० ओम प्रकाश राम अवतार प्र० श्रीमती रेनु गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी-128/346 एच० ब्लाक किदवई नगर जनपद कानपुर नगर उ०प्र० के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 की जांच की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

1	सीमास्तम्भों की स्थिति	सभी सीमास्तम्भ लगे हुये पाये गये।
2	पी०टी०जेड कैमरे की स्थिति	खनन क्षेत्र में पी०टी०जेड० कैमरा लगा है।
3	वे-ब्रिज/सी०सी०टी०वी० कैमरे की स्थिति	खनन क्षेत्र में वे-ब्रिज/सी०सी०टी०वी० लगे पाये गये।
4	स्वीकृत क्षेत्र में खनन की स्थिति/जलधारा में खनन की स्थिति	जांच के समय ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 के बाहर लगभग 690 मीटर पूरब दिशा में 02 स्थानों पर स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :- 1-जी०पी०एस० कोडनेट्स 25°54'17.33" N 79°39'29.16"E के आसपास 50X15X1 =750 घन मीटर 2-जी०पी०एस० कोडनेट्स 25°54'17.43" N 79°39'28.31"E के आसपास 40X15X1 =600 घन मीटर इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा कुल 1350 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया है। नदी की जलधारा में खनन होना नहीं पाया गया।
5	जांच के समय लिये गये फोटोग्राफ	

आख्या सेवा में सादर प्रेषित

21/5
लो.प्र.रा.स.स.स.
क्षेत्रीय
15/06/24
मुखपाल

Ritika
15/06/24
खान निरीक्षक,
हमीरपुर

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर
(खनन अनुभाग)

संख्या- 351 / खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25) दिनांक- 22.06.2024

मै0 ओम प्रकाश राम अवतार,
प्रो0 रेनु गुप्ता पत्नी श्री सत्य प्रकाश गुप्ता,
निवासी-128/346 एच0 ब्लॉक, किदवई नगर कानपुर उ0प्र0।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 रकबा-16.00 हे0 क्षेत्र में 2,40,000 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0-1000/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-09.12.2023 से 08.12.2028 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त खनन क्षेत्र की जांच खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-15.06.2024 को की गयी। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्र में निम्न अनियमिततायें पायी गयी हैं:-

“जांच के समय ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 के बाहर लगभग 690 मीटर पूरब दिशा में 02 स्थानों पर स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

- 1-जी0पी0एस0 कोडनेट्स 25°54'17.33" N 79°39'29.16"E के आसपास 50X15X1 =750 घन मीटर
- 2-जी0पी0एस0 कोडनेट्स 25°54'17.43" N 79°39'28.31"E के आसपास 40X15X1 =600 घन मीटर


इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा कुल 1350 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया है। नदी की जलधारा में खनन होना नहीं पाया गया।”

आपका उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3 का उल्लंघन एवं नियम-58 व 21 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किये जाने पर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 1350 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0-2,02,500/- (रुपये दो लाख दो हजार पांच सौ मात्र) तथा बाजार मूल्य रु0-10,12,500/- (रुपये दस लाख बारह हजार पांच सौ मात्र) कुल रु0-12,15,000/- (रुपये बारह लाख पन्द्रह हजार मात्र) की देयता बनती है।


अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा नोटिस प्राप्ति के

15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न आप द्वारा अवैध खनन किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।


22/06/24
(राहुल पाण्डेय)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।


22/06/24
जिलाधिकारी
हमीरपुर

पुस्तिका नहीं/NOT INSURED	
381 क्रमांक/NO.	171342315-1w
लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य Amount of Stamps affixed	36/- 4884
एक रजिस्ट्री Received Registered	तारीख-मोहर Date-stamp
पाने वाले का नाम/Assessed to	किपपदजा
पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of Receiving Officer	

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या- 230 / खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25) दिनांक- 23-07-2024

आदेश

मै0 ओम प्रकाश राम अवतार, प्रो0 श्रीमती रेनू गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी-128/346 एच0 ब्लाक किदवई नगर जनपद कानपुर नगर उ0प्र0 के पक्ष में जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 में स्थित 16.00 हे0 क्षेत्र में 2,40,000 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0-1000/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-09.12.2023 से 08.12.2028 तक की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त खनन क्षेत्र की जांच खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-15.06.2024 को की गयी। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्र में निम्न अनियमिततायें पायी गयी हैं:-

“जांच के समय ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 के बाहर लगभग 690 मीटर पूरब दिशा में 02 स्थानों पर स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

- 1-जी0पी0एस0 कोडनेट्स 25°54'17.33" N 79°39'29.16"E के आसपास 50X15X1 =750 घन मीटर
- 2-जी0पी0एस0 कोडनेट्स 25°54'17.43" N 79°39'28.31"E के आसपास 40X15X1 =600 घन मीटर

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा कुल 1350 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया है। नदी की जलधारा में खनन होना नहीं पाया गया।”

पट्टाधारक उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3 का उल्लंघन एवं नियम-58 व 21 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किये जाने पर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 1350 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0-2,02,500/- (रुपये दो लाख दो हजार पांच सौ मात्र) तथा बाजार मूल्य रु0-10,12,500/- (रुपये दस लाख बारह हजार पांच सौ मात्र) कुल रु0-12,15,000/- (रुपये बारह लाख पन्द्रह हजार मात्र) की देयता बनती है।


उपरोक्त के सम्बन्ध में पट्टाधारक मै0 ओम प्रकाश राम अवतार को कार्यालय के पत्र संख्या-381/खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2023-24) दिनांक-22.06.2024 द्वारा कारण वताओ नोटिस के अन्तर्गत बकाया धनराशि जमा करने अथवा प्रश्नगत प्रकरण में 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

२

उक्त नोटिस दिनांक-22.06.2024 के क्रम में पट्टाधारक द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक-17.07.2024 प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन में मुख्यतः उल्लेख किया गया कि "उक्त अवैध खनन का आरोप मुझ स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता को अस्वीकार है। मैंने अपने पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र के बाहर कोई अवैध खनन नहीं किया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी के खण्ड में जांच टीम ने न तो कोई खनन करते हुये किसी को देखा है और न ही खनन में प्रयोग की जाने वाली मशीनों को पकड़ा है। कारण बताओं नोटिस में जो 690 मीटर दूर पूरब दिशा में अवैध खनन दर्शाया गया है वह प्रार्थी व प्रार्थी के किसी भी कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कारण बताओं नोटिस के साथ निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गई है। निरीक्षण की सूचना निरीक्षण की प्रति उपलब्ध कराये जाना तथा विश्वसनीय साक्ष्यों का एकत्रीकरण किये जाने के उपरान्त ही किसी पट्टेदार को अवैध खनन किये जाने के सम्बन्ध में कारण बताओं नोटिस दिया जाना वैधानिक होता है, परन्तु विषयगत प्रकरण में न तो पट्टेदार को निरीक्षण करने की कोई सूचना दी गयी और न ही निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध करायी गई और कारण बताओं नोटिस दिनांक-22.06.2024 में कोई विश्वसनीय साक्ष्य को उल्लेख किये बिना स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन के गड्ढे/निशान पाये जाने पर समीपवर्ती पट्टेदार पर कल्पना के आधार पर अवैध खनन का आरोप अधिरोपित किया गया है, जो माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत एवं राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। उपरिलिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये स्पष्टीकरण पर विचार कर कारण बताओं नोटिस दिनांक-22.06.2024 को निक्षेपित करने की कृपा करें।" उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक-17.07.2024 में मुख्य रूप से अवैध खनन को नकारा गया है, जबकि खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-15.06.2024 को की गयी। जांच के समय ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 के बाहर लगभग 690 मीटर पूरब दिशा में 02 स्थानों पर स्वीकृत क्षेत्र के बाहर पट्टाधारक द्वारा कुल 1350 घन मीटर बालू/मौरम का अवैध खनन किया जाना पाया गया। इसके अतिरिक्त खनन पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र की जांच आख्या की मांग की गयी है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि संयुक्त जांच टीम की आख्या दिनांक-15.06.2024 का सम्पूर्ण उल्लेख कारण बताओं नोटिस संख्या-381/खनिज दिनांक-22.06.2024 में स्पष्ट रूप से किया गया है, अलग से जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि खनन क्षेत्र में अवैध खनन मात्र कल्पना के आधार पर लगाया गया है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि खण्ड संख्या-21/1 की जांच के समय खनन क्षेत्र में खण्ड संख्या-21/1 के पट्टाधारक/संचालक द्वारा अवैध खनन करने के कारण ही जांच टीम द्वारा नियमानुसार जांच कर अवैध खनन की पुष्टि की गयी है। अतः पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक-17.07.2024 में उल्लिखित कथन तथ्यहीन/बलहीन पाये जाने के आधार पर प्रत्यावेदन दिनांक-17.07.2024 को निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।


R

अतः पट्टा क्षेत्र तहसील सरीला ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 क्षेत्रफल-16.00 हे० पर 1350 घन मीटर का अवैध खनन किये जाने के कारण रायल्टी व खनिज मूल्य की कुल धनराशि रु०-12,15,000/- (रुपये बारह लाख पन्द्रह हजार मात्र) आरोपित की जाती है। उक्त अधिरोपित धनराशि खनिज विभाग के लेखाशीर्षक-0853 में 30 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में उक्त देय धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूली करने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी, जिसके जिम्मेवार पट्टाधारक स्वयं होंगे।


23/07/24
(राहुल पाण्डेय)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
- 3- मै० ओम प्रकाश राम अवतार, प्रो० श्रीमती रेनू गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी-128/346 एच० ब्लाक किदवई नगर जनपद कानपुर नगर उ०प्र०।


23/07/24
जिलाधिकारी
हमीरपुर

श्री कृष्ण
26/07/24

जांच आर 681

कार्मिक उपनिर्मात्रिकारी सरीला के आदेश संख्या 138/एस10-पी0/2024-25 दिनांक 16.11.2024 को जांच टीम मंडित करत हुये दिनांक 16.11.2024 को सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर/एक्स पर पोस्ट करत सरीला क्षेत्र के नजदीक 2A/1 में गौरव माफियाओ ने बेतया नदी प्रतिबंध पुल के पास नदी के पूरव दिशा में रवीकृत क्षेत्र से नदी का सीना गीर किया जा रहा खनन, के क्रम में भानुप्रसाद निषाद को नदी किनारी मगर संपत्ति तहसील सरीला जन्मपट्ट हगीरपुर के शिकायत के क्रम में बिदामपुर विधायक कार्यावाही करत हुये कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के क्रम में दिनांक 18.11.2024 को उक्त क्षेत्र की जांच संयुक्त रूप से की गयी। जांच के दौरान पता चला कि पश्चिम क्षेत्र के पट्टाधारक द्वारा पुल के वगल में पूरव दिशा की तरफ नदी की किनारे को रोकते हुये अवस्थाई रास्ते का निर्माण अपने उक्त खनन क्षेत्र में जाने के लिये किया जा रहा था। और ही गौक पर पट्टाधारक प्रतिनिधि को उक्त रास्ता न बनाये जाने के निर्देश दिये गये है तथा पुल के पूरव दिशा में अपने रवीकृत क्षेत्र के बाहर व पुल के मध्य में पट्टाधारक द्वारा 60 मीटर चौड़ाई 172 मीटर लम्बाई व 1.2 मीटर गहराई में जोजर के माध्यम से बालू एकत्र कर अवैध खनन/परिवहन करतया गये व खनन क्षेत्र में जाने के लिये बनाये गये रास्ते के दक्षिण दिशा में व रवीकृत क्षेत्र के पूरव दिशा में पानी के नजर से 32 मीटर चौड़ाई 54 मीटर लम्बाई व 1.2 मीटर गहराई में अवैध खनन किया जाना पाया गया। खनन क्षेत्र में जाते समय तीन वाहन वेव त्रिज के पीछे खनन क्षेत्र की तरफ देखे गये जिस पर कोई नजर प्लेट व माइन टैग नहीं लगा पाया गया। खनन क्षेत्र में मात्र दो सीगारतामा लगे पाये गये। पट्टाधारक कैमरा खनन क्षेत्र में लगा नहीं पाया गया। उक्त क्षेत्र हेतु दो वेव त्रिज लगे पाये गये व दोनों पर कैमरा लगा पाया गया किन्तु कैमरा इस प्रकार स्थापित किया गया था कि वेव त्रिज से गुजरने वाले वाहन पर कितना उपलब्धित करा हुआ है नजर न आवे, जिसे सही करने हेतु गौक पर उपरिष्ठत पट्टाधारक निर्देश को अवगत करा दिया गया है। वेव त्रिज से होकर गुजरने वाले वाहनो के रास्ते के अतिरिक्त एक अन्य रास्ता भी अवैध परिवहन कराने के उद्देश्य से बनाया गया था जिसे बन्द कराने का भी मौखिक रूप से पट्टाधारक प्रतिनिधि को अवगत करा दिया गया है।



अतः उपरोक्तानुसार जांच आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

[Signature]
 लक्ष्मण
 वरडीतडांडा

[Signature]
 चाकी प्रगारी
 वण्डोत

[Signature]
 नायब तहसीलदार
 सरीला।

[Signature]
 18/11/24
 खनन अधिकारी
 हगीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर
(खनन अनुभाग)

संख्या- 1224 / खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25) दिनांक- 26.11.2024

मै0 ओम प्रकाश राम अवतार,
प्रो0 श्रीमती रेनु गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता,
निवासी-128/346 एच0 ब्लाक किदवई नगर,
जनपद कानपुर नगर उ0प्र0।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 में स्थित 16.00 हे० क्षेत्र में 2,40,000 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु०-1000/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-09.12.2023 से 08.12.2028 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त क्षेत्र की जांच खान अधिकारी हमीरपुर, नायब तहसीलदार सरीला, चौकी प्रभारी चण्डौत एवं लेखपाल चण्डौत डाड़ा द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-18.11.2024 को जांच किया गया। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्रों में निम्न अनियमिततायें पायी गयी हैं:-

“जांच के दौरान पाया गया कि प्रश्नगत क्षेत्र के पट्टाधारक द्वारा पुल के बगल में पूरब दिशा की तरफ नदी की धारा को रोकते हुये अस्थाई रास्ते का निर्माण अपने उक्त खनन क्षेत्र में जाने के लिये किया जा रहा था, जिससे मौके पर पट्टाधारक प्रतिनिधि को उक्त रास्ता न बनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा पुल के पश्चिम दिशा में अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर व पुल के मध्य में पट्टेधारक द्वारा 60 मीटर चौड़ाई, 172 मीटर लम्बाई व 0.3 मीटर गहराई में डोजर के माध्यम से बालू एकत्र कर अवैध खनन/परिवहन कराया गया व खनन क्षेत्र में जाने के लिये बनाये गये रास्ते के दक्षिण दिशा में व स्वीकृत क्षेत्र के पूरब दिशा में व स्वीकृत क्षेत्र के पूरब दिशा में पानी के अन्दर से 32 मीटर चौड़ाई, 54 मीटर लम्बाई व 1.2 मीटर गहराई में अवैध खनन किया जाना पाया गया। खनन क्षेत्र में जाते समय तीन वाहन बेव ब्रिज के पीछे खनन क्षेत्र की तरफ देखे गये जिस पर कोई नम्बर प्लेट व माइन टैग नहीं लगा पाया गया। खनन क्षेत्र में मात्र दो सीमास्तम्भ लगे पाये गये, पी0टी0जेड कैमरा खनन क्षेत्र में लगा नहीं पाया गया। उक्त क्षेत्र हेतु दो बेव ब्रिज लगे पाये गये व दोनो पर कैमरा लगा पाया गया किन्तु कैमरा इस प्रकार स्थापित किया गया था कि बेव ब्रिज से गुजरने वाले वाहन पर कितना उपखनिज भरा हुआ है नजर न आये जिसे सही करने हेतु मौके पर उपस्थित पट्टा प्रतिनिधि को अवगत करा दिया गया है। बेव ब्रिज से होकर गुजरने वाले वाहनों के रास्ते के अतिरिक्त एक अन्य रास्ता भी अवैध परिवहन कराने के उद्देश्य से बनाया गया था, जिसे बन्द कराने का भी मौखिक रूप से पट्टाधारक प्रतिनिधि को अवगत करा दिया गया है।”

अतः उपरोक्तानुसार आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर व पुल के मध्य पश्चिम दिशा में 60मी० x 172 मीटर x 0.3 मीटर में कुल-3096 घन मीटर तथा स्वीकृत क्षेत्र के पूरब दिशा में पानी के अन्दर से 32मी० x 54 मीटर x 1.2 मीटर में कुल-2073.6 घन मीटर अर्थात् कुल 5169.6 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया।

1561



आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 नियम-03 व 21 का उल्लंघन एवं नियम-58 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर व पुल के मध्य पश्चिम दिशा में कुल-3096 घन मीटर तथा स्वीकृत क्षेत्र के पूरब दिशा में पानी के अन्दर कुल-2073.6 घन मीटर कुल 5169.6 घन मीटर खनन खनन किये जाने के कारण नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 5169.6 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0-7,75,440/- (रुपये सात लाख पच्छहत्तर हजार चार सौ चालीस मात्र), बाजार मूल्य रु0-38,77,200/- (रुपये अत्तीस लाख सत्तहत्तर हजार दो सौ मात्र) कुल रु0-46,52,640/- (रुपये छियालिस लाख बावन हजार छः सौ चालीस मात्र) की देयता बनती है।

उक्त के अतिरिक्त खनन क्षेत्र में मात्र दो सीमास्तम्भ लगे पाये गये, पी0टी0जेड कैमरा खनन क्षेत्र में लगा नहीं पाया गया। उक्त क्षेत्र हेतु दो बे-ब्रिज लगे पाये गये व दोनो पर कैमरा लगा पाया गया किन्तु कैमरा इस प्रकार स्थापित किया गया था कि बे-ब्रिज से गुजरने वाले वाहन पर कितना उपखनिज भरा हुआ है नजर न आये। सीमास्तम्भ स्थापित करते हुये, उसके फोटोग्राफ व खनन क्षेत्र में लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरों की दिनांक-01.11.2024 से जांच आख्या दिनांक-18.11.2024 तक की रिकार्डिंग उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण समस्त बिन्दुओं पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि क्यों न आप द्वारा उक्त कृत्य किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

(विजय शंकर तिवारी)

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)

हमीरपुर

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)

हमीरपुर

elc

धप

श्री. ल. शर्मा
27/11/24

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या- 1459/खगिज--एग0एग0सी0-तीस-विविध (2024-25) दिनांक- 30/12/2024
आदेश

श्री ओग प्रकाश राम अवतार प्रो० श्रीमती रेनु गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी-128/346 एच० ब्लॉक किदवई नगर, जनपद कानपुर नगर उ०प्र० के पक्ष में जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 रकबा-16.00 हे० क्षेत्र में 2,40,000 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु०-1000/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-09.12.2023 से 08.12.2028 तक की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त क्षेत्र की जांच खान अधिकारी हमीरपुर, नायब तहसीलदार सरीला, चौकी प्रभारी चण्डौत एवं लेखपाल चण्डौत द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-18.11.2024 को जांच की गयी। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्र में निम्न अनियमिततायें पायी गयी हैं:-

“जांच के दौरान पाया गया कि प्रश्नगत क्षेत्र के पट्टाधारक द्वारा पुल के बगल में पूरब दिशा की तरफ नदी की धारा को रोकते हुये अस्थाई रास्ते का निर्माण अपने उक्त खनन क्षेत्र में जाने के लिये किया जा रहा था, जिससे मौके पर पट्टाधारक प्रतिनिधि को उक्त रास्ता न बनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा पुल के पश्चिम दिशा में अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर व पुल के मध्य में पट्टाधारक द्वारा 60 मीटर चौड़ाई, 172 मीटर लम्बाई व 0.3 मीटर गहराई में डोजर के माध्यम से बालू एकत्र कर अवैध खनन/परिवहन कराया गया व खनन क्षेत्र में जाने के लिये बनाये गये रास्ते के दक्षिण दिशा में व स्वीकृत क्षेत्र के पूरब दिशा में पानी के अन्दर से 32 मीटर चौड़ाई, 54 मीटर लम्बाई व 1.2 मीटर गहराई में अवैध खनन किया जाना पाया गया। खनन क्षेत्र में जाते समय तीन वाहन बेव ब्रिज के पीछे खनन क्षेत्र की तरफ देखे गये जिस पर कोई नम्बर प्लेट व माइन टैग नही लगा पाया गया। खनन क्षेत्र में मात्र दो सीमास्ताम्ह लगे पाये गये, पी०टी०जेड कैमरा खनन क्षेत्र में लगा नही पाया गया। उक्त क्षेत्र हेतु दो बे-ब्रिज लगे पाये गये व दोनो पर कैमरा लगा पाया गया किन्तु कैमरा इस प्रकार स्थापित किया गया था कि बेव ब्रिज से गुजरने वाले वाहन पर कितना उपखनिज भरा हुआ है नजर न आये जिनो सही करने हेतु मौके पर उपस्थित पट्टा प्रतिनिधि को अवगत करा दिया गया। बेव ब्रिज से होकर गुजरने वाले वाहनों के रास्ते के अतिरिक्त एक अन्य रास्ता भी अवैध परिवहन कराने के उद्देश्य से बनाया गया था, जिसे बन्द कराने का भी मौखिक रूप से पट्टाधारक प्रतिनिधि को अवगत करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर व पुल के मध्य पश्चिम दिशा में 60मी०X172मी०X0.3 मीटर में कुल 3096 घन मीटर तथा स्वीकृत क्षेत्र पूरब दिशा में पानी के अन्दर से 32मी०X54मी०X1.2मीटर कुल 2073.6 घन मीटर अर्थात कुल 5169.6 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया।”

पट्टाधारक का उक्त उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3 का उल्लंघन व नियम-21 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किये जाने पर उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 5169.6 घन मीटर बालू/मौरम की रायल्टी रु०-7,75,440/- (रुपये सात लाख पचहत्तर हजार चार सौ चालीस मात्र) तथा बाजार मूल्य रु०-38,77,200/- (रुपये अठतीस लाख सत्हत्तर हजार दो सौ मात्र) अर्थात कुल रु०-46,52,640/- (रुपये छियास लाख बावन हजार छ सौ चालीस मात्र) की देयता बनती है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में पट्टाधारक गै० ओम प्रकाश राम अवतार प्रो० श्रीमती रेनू गुप्ता को कार्यालय के पत्र संख्या-1226/खनिज-एम०एम०सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-26.11.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस के अन्तर्गत बकाया धनराशि जमा करने अथवा प्रश्नगत प्रकरण में 15 दिवस के अन्दर अपना सारवाचक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

उक्त नोटिस दिनांक-26.11.2024 के क्रम में पट्टाधारक द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक-14.12.2024 प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन में मुख्यतः उल्लेख किया गया कि "अवैध खनन का आरोप मुझ स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता को अस्वीकार है। मैंने अपने पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र के बाहर कोई अवैध खनन नहीं किया है एवं रास्ते के निर्माण में जो अवैध खनन व परिवहन का आरोप लगाया गया है वह बिल्कुल गलत है। क्योंकि प्रार्थी ने पिछले वर्ष की भाँति इस वर्ष भी पुल के नीचे वर्षा के कारण बने गड्ढों के अगल-बगल में जमा बजड़ा एवं मिट्टीयुक्त बालू को उठाकर खनन क्षेत्र तक रास्ता बनाया है न की अवैध खनन कर परिवहन किया है। प्रार्थी के खण्ड में जांच टीम ने न तो कोई अवैध खनन करते हुये किसी को देखा है और न ही खनन में प्रयोग किये जाने वाली मशीनों को पकड़ा है। यहां जो भी अगल-बगल से अवैध खनन दर्शाया गया है वह अवैध खनन न होकर मात्र रास्ते में प्रयोग किये जाने वाला बजड़ा व मिट्टी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कारण बताओ नोटिस के साथ निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः कारण बताओ नोटिस दिनांक-26.11.2024 विधिक दृष्टि में पोषणनीय नहीं है। स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन के निशान पाये जाने पर समीपवर्ती पट्टेदार पर कल्पना के आधार पर अवैध खनन का आरोप अधिरोपित किया गया है, जो माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त एवं राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुमन्य नहीं है। सीमा स्तम्भ के फोटोग्राफ दिनांक-01.11.2024 से 18.11.2024 तक की रिकार्डिंग प्रत्यावेदन के साथ संलग्न कर रहा है। उपरिलिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये स्पष्टीकरण पर विचारकर कारण बताओ नोटिस दिनांक-26.11.2024 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।"

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक-14.12.2024 में मुख्य रूप से अवैध खनन को नकारा गया है, जबकि जांच के दौरान प्रश्नगत क्षेत्र में पट्टाधारक द्वारा पुल के बगल में पूरब दिशा की तरफ नदी की जलधारा को रोकते हुये अस्थाई रास्ते का निर्माण अपने उक्त खनन क्षेत्र में जाने के लिये किया जा रहा था, जिससे मौके पर पट्टाधारक प्रतिनिधि को उक्त रास्ता न बनाये जाने के निर्देश दिये गये थे तथा पुल के पश्चिम दिशा में अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर व पुल के मध्य में पट्टाधारक द्वारा 60 मीटर चौड़ाई, 172 मीटर लम्बाई व 0.3 मीटर गहराई में डोजर के माध्यम से बालू एकत्र कर अवैध खनन/परिवहन कराया गया व खनन क्षेत्र में जाने के लिये बनाये गये रास्ते के दक्षिण दिशा में व स्वीकृत क्षेत्र के पूरब दिशा में पानी के अन्दर से 30 मीटर चौड़ाई, 54 मीटर लम्बाई व 1.2 मीटर गहराई में अवैध खनन किया जाना पाया गया। खनन क्षेत्र में जाते समय तीन वाहन वे-ब्रिज के पीछे खनन क्षेत्र की तरफ देखे गये, जिस पर कोई नम्बर प्लेट व माइन टैग नहीं लगा पाया गया। खनन क्षेत्र में मात्र दो सीमास्तम्भ लगे पाये गये, पी०टी०जेड० कैमरा खनन क्षेत्र में लगा नहीं पाया गया। उक्त क्षेत्र हेतु दो वे-ब्रिज लगे पाये गये व दोनो पर कैमरा लगा पाया गया किन्तु कैमरा इस प्रकार स्थापित किया गया था कि वे-ब्रिज से गुजरने वाले वाहन पर कितना उपस्थिति भरा हुआ है नजर न आये। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर पुल के मध्य पश्चिम दिशा में कुल 3096 घन मीटर तथा स्वीकृत क्षेत्र के पूरब दिशा में पानी के अन्दर कुल 2073.6 घन मीटर अर्थात् कुल 5169.6 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया। इसके अतिरिक्त खनन पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र की जांच आख्या की मांग की गयी है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि संयुक्त जांच टीम की आख्या दिनांक-18.11.2024 का सम्पूर्ण उल्लेख कारण बताओ नोटिस संख्या-1226/खनिज-एम०एम०सी-तीस-विविध (2024-24) दिनांक-03.07.2024 में स्पष्ट रूप से किया

गया है, अलग से जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त पट्टाधारक/स्पर्धीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि खनन क्षेत्र में अवैध खनन मात्र कल्पना के आधार पर लगाया गया है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि खण्ड संख्या-21/1 के पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर व पुल के मध्य पश्चिम दिशा में तथा पूरव दिशा में कुल 5169 घन मीटर का अवैध खनन किये जाने की संयुक्त टीम की जांच में पुष्टि की गयी है। पट्टाधारक द्वारा प्रत्यावेदन में दिनांक- 01.11.2024 से 18.11.2024 तक की रिकार्डिंग संलग्न होने का उल्लेख किया गया है, परन्तु रिकार्डिंग उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक-16.07.2024 में उल्लिखित कथन तथ्यहीन/बलहीन पाये जाने के आधार पर प्रत्यावेदन दिनांक-16.07.2024 को निरस्त करते हुये निरस्तारित किया जाता है।

पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र में सी0सी0टी0वी0 कैमरों को दिनांक-01.11.2024 से 18.11.2024 तक (18 दिन) की रिकार्डिंग उपलब्ध नहीं कराया गया, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(2) का उल्लंघन किये जाने के कारण नियम-60(3) के अन्तर्गत प्रत्येक चूक के लिये प्रतिदिन रु0-25,000/-की दर से 18 दिन का कुल 4,50,000/- (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र) की देयता होती है।

अतः पट्टा क्षेत्र तहसील सरीला ग्राग चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 के पट्टाधारक मै0 ओम प्रकाश राम अवतार द्वारा 5169.6 घन मीटर का अवैध खनन किये जाने के कारण रायल्टी व खनिजमूल्य की कुल रु0-46,52,640/- (रुपये छियालिस लाख बावन हजार छः सौ चालीस मात्र) व खनन क्षेत्र में सी0सी0टी0वी0 कैमरों की शास्ति रु0-4,50,000/- अर्थात् कुल रु0-51,02,640/- (रुपये इक्क्यावन लाख दो हजार छः सौ चालीस मात्र) आरोपित की जाती है। उक्त अधिरोपित धनराशि खनिज विभाग के लेखाशीर्षक-0853 में 30 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में उक्त देय धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूली करने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी, जिसके जिम्मेवार पट्टाधारक स्वयं होंगे।

(धनश्याम प्रीना)
जिलाधिकारी

o/c हमीरपुर

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
- 3- मै0 ओम प्रकाश राम अवतार प्रो0 श्रीगती रेनू गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी-128/346 एच0 ब्लाक किदवई नगर, जनपद कानपुर नगर उ0प्र0।

31/11/24
30/11/24

जिलाधिकारी
हमीरपुर

o/c फूल

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या- 189/खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2025-26) दिनांक- 07/05/2025
 मै0 ओम प्रकाश राम अवतार प्रो0 श्रीमती रेनू गुप्ता,
 पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी-128/346 एच0 ब्लाक,
 किदवई नगर जनपद कानपुर उ0प्र0।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 रकबा-16.00 हे0 क्षेत्र में 2,40,000 घन मीटर बालू/मौरम का खनन पट्टा रु0-1000/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-09.12.2023 से 08.12.2028 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में स्वीकृत/निष्पादित है।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ के पत्र संख्या-35/एम-प्रवर्तन हमीरपुर/2020 दिनांक-08.04.2025, जिसके द्वारा जनपद हमीरपुर में स्वीकृत/संचालित बालू/मौरम के खनन पट्टा क्षेत्रों की स्थलीय निरीक्षण/जांच आख्या दिनांक-02.12.2024 की प्रति संलग्न कर अवैध खनन/परिवहनकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त पत्र के साथ संलग्न क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खनन अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-28.11.2024 से 01.12.2024 तक की अवधि में जनपद हमीरपुर में बालू/मौरम के स्वीकृत खनन क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया गया। खनन एवं परिवहन के विवरण प्राप्त कर क्षेत्र में प्रदर्शित गड्ढों के आकलन के उपरान्त यह पाया कि पट्टाधारक द्वारा माह अक्टूबर एवं नवम्बर ई-एम0एम0-11 की निर्गत मात्रा से अधिक मात्रा का खनन एवं परिवहन किया गया है।

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा माह अक्टूबर, 2024 के उपरान्त ई-एम0एम0-11 के पोर्टल की मात्रा 28846 घन मीटर के सापेक्ष स्वीकृत क्षेत्र में उपलब्ध गड्ढों के अनुसार लब्ध मात्रा 29351 घन मीटर खनन किया गया है। इस प्रकार आप द्वारा 505 घन मीटर बालू/मौरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया जाना पाया गया।

आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 नियम-03 व 21 का उल्लंघन एवं नियम-58 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

आप द्वारा 505 घन मीटर बालू/मौरम का अतिरिक्त खनन किये जाने के कारण नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 505 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0-75,750/- (रुपये पच्चत्तर हजार सात सौ पचास मात्र) एवं खनिमुख मूल्य रु0-3,78,750/- (रुपये तीन लाख अठहत्तर हजार सात सौ पचास मात्र) कुल रु0-4,54,500/- (रुपये चार लाख चौवन हजार पांच सौ मात्र) की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के

अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि क्यों न आप द्वारा उक्त कृत्य किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

(धनश्याम मीना)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

o/c

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।

जिलाधिकारी
हमीरपुर


o/c

श्री १५०३
११/०९/२०१५

निरीक्षण आख्या


महोदय,

दिनांक 27.04.2025 को राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मै० ओगप्रकाश राम अवतार प्रो० श्रीमती रेनु गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी-128/346 एच०ब्लाक किदवई नगर जनपद कानपुर नगर उ०प्र० के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 जांच की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

1	सीमास्तम्भों की स्थिति	सभी सीमास्तम्भ लगे नहीं पाये गये।
2	पी०टी०जेड कैमरे की स्थिति	खनन क्षेत्र में पी०टी०जेड० कैमरा चालू हालत में लगा पाया गया
3	वे-ब्रिज/सी०सी०टी०वी० कैमरे की स्थिति	खनन क्षेत्र में वे-ब्रिज/सी०सी०टी०वी० लगे पाये गये।
4	स्वीकृत क्षेत्र में खनन की स्थिति/जलधारा में खनन की स्थिति	जांच के समय ग्राम चण्डौत खण्ड संख्या-21/1 के पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर पूर्व व उत्तर दिशा में अवैध खनन के 1-1 चिन्ह (गड्ढे) देखे गये। जिसका विवरण निम्नवत है:- 1- जी०पी०एस० कोडनेट्स A- 25.908894° व 79.651396° तथा कोडनेट्स B- 25.909786° व 79.650351° के मध्य 140X15X0.5 = 1050 घनमीटर 2- जी०पी०एस० कोडनेट्स P- 25.91146° व 79.648987° तथा कोडनेट्स Q- 25.912717° व 79.647962° के मध्य 170X10X0.5 = 850 घनमीटर कुल-1900 घनमीटर का अवैध खनन पाया गया। नदी की जलधारा में खनन कार्य होना नहीं पाया गया
5	अन्य विवरण	मौके पर संयुक्त टीम द्वारा पट्टाधारक/प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि खनन कार्य अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र में करे।
6	जांच के समय लिये गये फोटोग्राफ	

आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।


27/04/2025
सुदीप खेखपाल
चण्डौत


27/04/2025
खान निरीक्षक
हमीरपुर


27/04/25
नायब तहसीलदार
सरीला

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर
(खनन अनुभाग)

संख्या- 236 / खनिज-एम0एम0शी0-तीस-विविध (2025-26) दिनांक- 15/05/2025

मै0 ओम प्रकाश राम अवतार,
प्रो0 श्रीमती रेनू गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता,
निवासी-128/346 एच0 ब्लाक किदवई नगर,
जनपद कानपुर नगर उ0प्र0।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 में स्थित 16.00 हे0 क्षेत्र में 2,40,000 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0-1000/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-09.12.2023 से 08.12.2028 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल चण्डौत द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-27.04.2025 को जांच किया गया। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्रों में निम्न अनियमिततायें पायी गयी हैं:-

“जांच के समय ग्राम चण्डौत खण्ड संख्या-21/1 के पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर पूर्व व उत्तर दिशा में अवैध खनन के 1-1 चिन्ह (गड्ढे) देखे गये, जिसका विवरण निम्नवत है :-

- 1- जी0पी0एस0 कोडिनेट्स A-N-25°908894" व E-79°651396" तथा कोडिनेट्स B-N-25°909786" व E-79°650351" के मध्य 140X15X0.5 = 1050 घन मीटर।
- 2- जी0पी0एस0 कोडिनेट्स P-N-25°91146" व E-79°648987" तथा कोडिनेट्स Q-N-25°912717" व E-79°647962" के मध्य 170X10X0.5 = 850 घन मीटर।

कुल 1900 घन मीटर का अवैध खनन पाया गया। नदी की जलधारा में खनन कार्य होना नहीं पाया गया।”

उपरोक्तानुसार आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के पूर्व व उत्तर दिशा में 02 स्थानों पर कुल 1900 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया।

आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 नियम-03 व 21 का उल्लंघन एवं नियम-58 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर पूर्व व उत्तर दिशा में कुल-1900 घन मीटर अवैध खनन खनन किये जाने के कारण नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 1900 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायस्टी के मद में रु0-2,85,000/- (रुपये दो लाख पचासी हजार मात्र), खनिमुख मूल्य रु0-14,25,000/- (रुपये चौदह लाख पचीस हजार मात्र) कुल रु0-17,10,000/- (रुपये सत्रह लाख दस हजार मात्र) की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना साखान स्पष्टीकरण समस्त बिन्दुओं पर प्रस्तुत करेंगे का वाक्य करें कि क्यों न आप द्वारा उक्त कृत्य

किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

(घनश्याम मीना)
जिलाधिकारी,
हमीरपुर

o/L

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।

जिलाधिकारी,
हमीरपुर

o/L

16/05/2023

693

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या-1458/खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25)

दिनांक 30/12/2024

आदेश

मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्मन निवासी-233 विष्णुपुरी एन0एक्स0 भँवरकुंआ इन्दौर जी0पी0 म0प्र0 के पक्ष में जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या-25/21 में स्थित 17.731 हे0 क्षेत्र में 2,83,661 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0-630/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-11.11.2024 से 10.11.2029 तक की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त क्षेत्र की अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) हमीरपुर, उपजिलाधिकारी सरीला, खान अधिकारी हमीरपुर एवं क्षेत्रीय वनाधिकारी, सरीला द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-22.11.2024 को की गयी। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्र में निम्न अनियमिततायें पायी गयी है:-

“जाँच के समय खनन कार्य अपनी स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत पाया गया। पट्टेधारक द्वारा जिस स्थान पर खनन कार्य किया जा रहा था, उस स्थान से पूरब की तरफ लगभग-266 मीटर व पश्चिम की तरफ लगभग-250 मीटर तथा उत्तर की तरफ 180 मीटर खनन क्षेत्र रिक्त पड़ा था, जो कि खण्ड संख्या-25/21 का आवंटित क्षेत्र है। क्षेत्रीय वनाधिकारी सरीला एवं उनकी टीम ने प्रश्नगत खण्ड से वन क्षेत्र की दूरी मापी, जो लगभग 1.5 किलो मीटर की दूरी पायी गयी। तत्पश्चात् नदी की मुख्य धारा प्रवाहित हो रही थी। नदी की मुख्य धारा में कहीं भी खनन कार्य होना नहीं पाया गया व न ही खनन क्षेत्र में कोई प्रतिबन्धित मशीन पायी गयी। पट्टेधारक द्वारा अपने खनन क्षेत्र के चारो सीमा स्तम्भों को नहीं लगाया गया था, जिसे मौके पर ही लगवा दिया गया। स्वीकृत क्षेत्र में नियमानुसार पी0टी0जेड0 कैमरा लगाया जाना चाहिये था, जो पट्टेधारक द्वारा नहीं लगाया गया था, जिसे तत्काल लगाने हेतु मौके पर उपस्थित पट्टा प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत खनन क्षेत्र हेतु स्थापित वे-ब्रिज व सी0सी0टी0वी0 कैमरे की जाँच की गयी, जाँच के समय सभी कैमरे सही पाये गये, किन्तु एक कैमरा जो वे-ब्रिज पर खड़े वाहन के पीछे की तरफ से फोटो ले रहा था, उस कैमरे का फोकस नीचे की तरफ किया गया था, जिससे की वाहन पर भरे उपखनिज का पूरा फोटो नहीं आ रहा था, जिसे मौके पर ही सही करा दिया गया तथा निर्देशित किया गया कि भविष्य में सभी कैमरों के सही तरीके से स्थापित करें। ताकि वाहनों के आगे व पीछे का फोटो मय उपखनिज स्पष्ट रूप से नजर आता रहे।”

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा न लगाये जाने के कारण खनन पट्टा प्रारम्भ होने के दिनांक-11.11.2024 से जांच तिथि-22.11.2024 तक कुल 12 दिन की होते हैं, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(2) का उल्लंघन उल्लंघन है, जिसके परिणाम स्वरूप नियमावली-2021 के नियम-60(3) के अनुसार रु0-25000/- प्रतिदिन के हिसाब से 12 दिनों की कुल शास्ति रु0-3,00,000/- (रुपये तीन लाख मात्र) की देयता बनती है। उक्त के अतिरिक्त जांच तिथि-22.11.2024 के समय मौके पर खनन क्षेत्र में 04 सीमास्तम्भ नहीं लगे पाये जाने के कारण प्रत्येक सीमास्तम्भ रु0-25,000/-के हिसाब से कुल रु0-1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) की देयता बनती है। उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-1308/खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-09.12.2024 द्वारा संसूचित किया गया।

1396

उक्त नोटिस दिनांक-09.12.2024 के क्रम में पट्टाधारक द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक-13.12.2024 प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन में मुख्यतः उल्लेख किया गया कि "जांच टीम ने चारो स्तम्भों को नहीं पाया जिसे मौके पर ही लगवा दिया गया, इससे स्पष्ट है कि सीमा स्तम्भ मौके पर मौजूद थे। इस सम्बन्ध में निवेदन करना है कि सीमा स्तम्भ हमेशा अस्थायी रूप से बनवाये जाते हैं। प्रायः देखा जाता है कि गाँव के पालतू जानवर सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और खड़े सीमास्तम्भों को गिरा देते हैं किन्तु प्रार्थी के कर्मचारी उसे तत्काल पुनः स्थापित कर देते हैं। इसके अतिरिक्त जांच टीम ने स्वीकृत क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा नहीं पाया। इस सम्बन्ध में निवेदन करना है कि प्रार्थी का उपरोक्त खण्ड संख्या-11.11.2024 को स्वीकृत/निष्पादित किया गया था किन्तु रायल्टी पोर्टल से जांच की जा सकती है कि खनन कार्य दिनांक-29.11.2024 से ही प्रारम्भ हुआ है क्योंकि तौल कांटा नहीं हो पाया था। खनन क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा न लगाये जाने के कारण खनन पट्टा प्रारम्भ की दिनांक-11.11.2024 से जांच तिथि 22.11.2024 तक कुल 12 दिन होते हैं, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(2) का उल्लंघन है, जिसके परिणाम स्वरूप नियमावली-2021 के नियम-60(3) के अनुसार रुपये 25 हजार प्रतिदिन के हिसाब से 12 दिनों की कुल शास्ति रुपये 03 लाख की देयता बनती है। जांच के समय खनन क्षेत्र में 04 सीमा स्तम्भ नहीं लगे पाये जाने के कारण प्रत्येक सीमा स्तम्भ रुपये 25 हजार के हिसाब से कुल 01 लाख रुपये की देयता बनती है। पी0टी0जेड0 कैमरा के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी ने पट्टा निष्पादित होते ही अपने क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा दिया था, किन्तु खनन कार्य दिनांक-19.11.2024 से प्रारम्भ हुआ तो ज्ञात हुआ कि पी0टी0जेड0 कैमरा सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, तो उसे तत्काल मरम्मत के लिये भेजा गया, जिसे जांच तिथि के बाद तत्काल लगा दिया गया था। (पी0टी0जेड0 कैमरा की फोटोग्राफ संलग्न एवं चारो सीमा स्तम्भ के फोटोग्राफ संलग्न हैं) इस प्रकार प्रार्थी ने उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(2) का उल्लंघन नहीं किया है एवं जांच तिथि तक प्रार्थी की खदान में खनन कार्य दिनांक-19.11.2024 से कुल 04 दिन ही हो पाया था।"

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक-13.12.2024 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पट्टाधारक पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र की जांच के समय पट्टेधारक द्वारा अपने खनन क्षेत्र के चारो सीमा स्तम्भों को नहीं लगाया गया था, जिसे मौके पर ही लगवा दिया गया। स्वीकृत क्षेत्र में नियमानुसार पी0टी0जेड0 कैमरा लगाया जाना चाहिये था, जो पट्टेधारक द्वारा नहीं लगाया गया था, जिसे तत्काल लगाने हेतु मौके पर उपस्थित पट्टा प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया। पट्टेधारक द्वारा अपने खनन क्षेत्र के चारो सीमा स्तम्भों को नहीं लगाया गया था, जिसके सम्बन्ध में नोटिस दिनांक-09.12.2024 निर्गत की गयी थी। पट्टाधारक द्वारा चारो सीमास्तम्भ के फोटोग्राफ प्रत्यावेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है किन्तु पी0टी0जेड0 कैमरे की दिनांक-11.11.2024 से जांच तिथि-22.11.2024 तक कुल 12 दिन की रिकार्डिंग उपलब्ध नहीं करायी गयी जबकि अनुरोध किया गया कि खनन पट्टा स्वीकृत होने के दिनांक-11.11.2024 के उपरान्त दिनांक-19.11.2024 से रायल्टी पोर्टल पर जनरेट की गयी है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पट्टाधारक के पक्ष में खनन पट्टा दिनांक-11.11.2024 से 05 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत/निष्पादित किया गया है। यह पट्टाधारक की स्वयं की जिम्मेदारी है कि पट्टा स्वीकृत होने के दिनांक से खनन पट्टे में पी0टी0जेड0 कैमरा को संचालित रखना चाहिये था, जो पट्टाधारक द्वारा नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त चारो सीमास्तम्भ का प्रश्न है तो पट्टाधारक द्वारा प्रत्यावेदन के साथ चारो सीमास्तम्भ के फोटोग्राफ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण 04 सीमास्तम्भों पर लगायी गयी शास्ति रु0-1,00,000/-को पृथक किया जाता है। शेष 12 दिन की पी0टी0जेड0 कैमरों की रिकार्डिंग उपलब्ध न कराये जाने के कारण शास्ति आरोपित किया जाना प्रस्तावित है। अतः पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत

7

प्रत्यावेदन दिनांक-13.12.2024 में उल्लिखित कथन सीमास्तम्भों पर आरोपित शास्ति को पृथक करते हुये शेष कथन तथ्यहीन/बलहीन पाये जाने के आधार पर प्रत्यावेदन दिनांक-13.12.2024 को निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा न लगाये जाने के कारण खनन पट्टा प्रारम्भ होने के दिनांक-11.11.2024 से जांच तिथि-22.11.2024 तक कुल 12 दिन की होते है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(2) का उल्लंघन उल्लंघन है, जिसके परिणाम स्वरूप नियमावली-2021 के नियम-60(3) के अनुसार रु0-25000/- प्रतिदिन के हिसाब से 12 दिनों की कुल शास्ति रु0-3,00,000/- (रुपये तीन लाख मात्र) की देयता बनती है।

अतः पट्टा क्षेत्र तहसील सरीला ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/21 के पट्टाधारक मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज द्वारा पी0टी0जेड0 कैमरे की रिकार्डिंग उपलब्ध न कराये जाने के कारण कुल रु0-3,00,000/- (रुपये तीन लाख मात्र) आरोपित की जाती है। उक्त अधिरोपित धनराशि खनिज विभाग के लेखाशीर्षक-0853 में 30 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में उक्त देय धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूली करने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी, जिसके जिम्मेवार पट्टाधारक स्वयं होंगे।

(घनश्याम श्रीना)
जिलाधिकारी
हमीरपुर
०/८

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
- 3- मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्मन निवासी-233 विष्णुपुरी एन0एक्स0 भँवरकुंआ इन्दौर जी0पी0 म0प्र0।




(जिलाधिकारी)
हमीरपुर
०/८ रूप

जीमा नहीं/NOT INSURED	
क्रमांक/No	RU-100 090305-2
लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य Amount of Stamps affixed	रु० 514
एक रजिस्ट्री Received a Registered	तारीख-मोहर Date-stamp
पाने वाले का नाम Addressed to	जिलाधिकारी
पाने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of Receiving Officer	
जीमा नहीं/NOT INSURED	

जांच आख्या

कार्यालय उपजिलाधिकारी सरीला के आदेश संख्या 140/एस0टी0/2024-25 दिनांक 25.11.2024 सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर/एक्स पर प्रकाशित खबर सरीला क्षेत्र के इछौरा खण्ड 25/21 में खनन माफियाओं की खुलेआम दबंगई व जबरन किसानों के खेत से ट्रक निकाले जा रहे हैं, के कम में टीम गठित करते हुये निर्देशित किया गया है कि स्थलीय निरीक्षण कर नियमानुसार/विधिसंगत कार्यवाही करते हुये कृत्य कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

उक्त के कम में संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 12.12.2024 को स्थलीय जांच की गयी। जांच में खण्ड सं0 25/21 ग्राम इछौरा तहसील सरीला जनपद हमीरपुर में स्वीकृत खनन पट्टा द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र में खनन कार्य होता पाया गया व जलधारा में खनन कार्य होता नहीं पाया गया कैमरा चालू पाया गया व पिलर/सीमास्तंभ लगे पाये गये। जांच में लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है:-



उपरोक्तानुसार जांच आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित।

12/12/2024
क्षेत्रीय
लेखपाल

12.12.24
थाना प्रभारी निरीक्षक
चिकासी

12/12/2024
खान निरीक्षक
हमीरपुर

नायब तहसीलदार
सरीला

महोदय,

उपजिलाधिकारी सरीला (हमीरपुर) के आदेश पत्र सं०-146/एस०टी०/2024-25 दिनांक 30.12.2024, जिसके द्वारा दिनांक 30.12.2024 को सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर/एक्स पर प्रकाशित खबर मामला हमीरपुर जनपद के डिजियाना गुप के जितकरी खण्ड संख्या-25/21 खदान में खनन माफिया एन०जी०टी० के नियमों की उडा रहे धज्जिया, बुन्देलखण्ड की नदियों को किया जा रहा खोखला एवं पोकलैण्ड मशीनों के द्वारा जलधारा को रोककर किया जा रहा अवैध के सम्बन्ध में यथशीघ्र स्थलीय निरीक्षण कर नियमानुसार/विधिसंगत कार्यवाही किये जाने हेतु टीम गठित करते हुए जाँच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं:-

उक्त निर्देश के अनुपालन में ग्राम इछौरा की जाँच राजस्व विभाग, खनिज विभाग व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 15.01.2025 को जाँच की गयी। जाँच के समय ग्राम इछौरा खण्ड संख्या-25/21 में सभी सीमास्तम्भ लगे पाये गये। पी०टी०जेड कैमरा चालू हालत में लगा पाया गया। खण्ड में प्रवाहित नदी की जलधारा में खनन कार्य होना पाया गया। जाँच के समय खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर पाया गया। मौके पर लिए गये फोटोग्राफ निम्नवत् हैं:-



आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

[Signature]
15/01/2025
क्षेत्रीय लेखपाल

[Signature]
15/01/25
प्रभारी निरीक्षक
थाना विकास

[Signature]
15/01/2025
खान निरीक्षक
हमीरपुर

[Signature]
15/01/25
नायब तहसीलदार
सरीला






फोटो
[Signature]
23.1.25

जांच आख्या

महोदय,

सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर भीडिया भारत समाचार द्वारा प्रकाशित खबर मामला जनपद हमीरपुर के तहसील सरीला ग्राम, इछौरा जिटकरी खण्ड संख्या-25/21 खदान में अवैध गौरम खनन व बेलवा नदी से खिलवाड कर रही डिजियाना कम्पनी व पट्टाधारक मै0 डिजियाना इण्डरट्रीज प्रा0लि0 निदेशक तेजेन्दर पाल सिंह उड़ा रहा है। एन0जी0टी0 के नियमों की धज्जिया के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय व खान अधिकारी हमीरपुर के मौखिक आदेश दिनांक-30.01.2025 यथाशीघ्र स्थलीय निरीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुपालन में दिनांक-30.01.2025 को संयुक्त टीम द्वारा स्थलीय जांच की गयी। जांच के समय खनन पट्टा क्षेत्र में सभी सीमारतमा लगे पाये गये। खनन क्षेत्र में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा पाया गया, परन्तु रिकार्डिंग नहीं दिखा सकें। ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या-25/21 के पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण दिशा में जी0पी0एस0 कोडिनेट्स संख्या-ए N-25.8906138° E-79.5407742° व कोडिनेट्स संख्या-बी N-25.890566 ° E-79.54021° के मध्य 50मील0X25मी0चौ0X0.9मी0ग0- कुल-1125 घन मीटर अवैध खनन किया जाना पाया गया। इसके अतिरिक्त पट्टाधारक द्वारा नदी की जलधारा में खनन किये जाने के साक्ष्य पाये गये। जांच के समय पट्टाधारक को निर्देशित किया गया कि अपने स्वीकृत क्षेत्र में ही खनन करना सुनिश्चित करें। जांच के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत है :-



आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

30-1-25
क्षेत्रीय लेखपाल

30-1-25
राजस्व निरीक्षक,
सरीला

30-1-25
उप निरीक्षक,
थाना-चिकासी

30/01/25
खान निरीक्षक,
हमीरपुर

30/01/25
नायब तहसीलदार,
सरीला

03-02-25
MD

699
कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या- 1732/खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25) दिनांक- 27/02/2025

मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज,
प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्मन,
निवासी-233 विष्णुपुरी एन0एक्स0 भँवरकुंआ इन्दौर म0प्र0।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या-25/21 में स्थित 17.731 हे0 क्षेत्र में 2,83,661 घन मीटर बालू/मौरम की रु0-630/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-11.11.2024 से 10.11.2029 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित किया गया है।

उक्त क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, उप निरीक्षक थाना चिकासी, राजस्व निरीक्षक सरीला, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-30.01.2025 को जांच किया गया। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्रों में निम्न अनियमिततायें पायी गयी हैं:-

"दिनांक-30.01.2025 को संयुक्त टीम द्वारा स्थलीय जांच की गयी। जांच के समय खनन पट्टा क्षेत्र में सभी सीमारस्तम्भ लगे पाये गये। खनन क्षेत्र में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा पाया गया, परन्तु रिकार्डिंग नहीं दिखा सके। ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या-25/21 के पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण दिशा में जी0पी0एस0 कोडिनेट्स संख्या-ए N-25.8906138 0 " E-79.5407742 0 " व कोडिनेट्स संख्या-बी N-25.890566 0 " E-79.54021 0 " के मध्य 50मील0X25मी0चौ0X0.9मी0ग0- कुल-1125 घन मीटर अवैध खनन किया जाना पाया गया। इसके अतिरिक्त पट्टाधारक द्वारा नदी की जलधारा में खनन किये जाने के साक्ष्य पाये गये। जांच के समय पट्टाधारक को निर्देशित किया गया कि अपने स्वीकृत क्षेत्र में ही खनन करना सुनिश्चित करें।"

अतः उपरोक्तानुसार आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण दिशा में कुल-1125 घन मीटर का अवैध खनन पाया गया। इसके अतिरिक्त पट्टाधारक द्वारा नदी की जलधारा में खनन किये जाने के साक्ष्य पाये गये।

आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 नियम-03, 21 व 42(ज) का उल्लंघन एवं नियम-58 व 60(4) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण दिशा की ओर रिक्त क्षेत्र में कुल-1125 घन मीटर का अवैध खनन किये जाने के कारण नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 1125 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0-1,68,750/- (रुपये एक लाख अरसठ् हजार सात सौ पचास मात्र), बाजार मूल्य रु0-8,43,750/- (रुपये आठ लाख तितालिस हजार सात सौ पचास मात्र) तथा नदी की जलधारा में खनन करने के कारण नियमावली-2021 के नियम-60(4) के अन्तर्गत रु0-5,00,000/- (रुपये पांच लाख मात्र) कुल रु0-15,12,500/- (रुपये पन्द्रह लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के

1718

700

अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि क्यों न आप द्वारा उक्त कृत्य किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

(घनश्याम मीना)
जिलाधिकारी
o/l हमीरपुर

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।

जिलाधिकारी
हमीरपुर
o/l कृष्ण

1719

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या- 1923/खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25)

दिनांक- 28/03/2025

आदेश

मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्न पुत्र श्री सुच्या सिंह घुम्न निवासी-233 विष्णुपुरी एन0एक्स0 भेंवरकुंआ इन्दौर म0प्र0 के पक्ष में जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या-25/21 में स्थित 17.731 हे0 क्षेत्र में 2,83,661 घन मीटर बालू/मौरम की रू0-630/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-11.11.2024 से 10.11.2029 तक की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित किया गया है।

उक्त क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, उप निरीक्षक थाना चिकासी, राजस्व निरीक्षक सरीला, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-30.01.2025 को जांच किया गया। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्रों में निम्न अनियमिततायें पायी गयी है:-

"दिनांक-30.01.2025 को संयुक्त टीम द्वारा स्थलीय जांच की गयी। जांच के समय खनन पट्टा क्षेत्र में सभी सीमास्तम्भ लगे पाये गये। खनन क्षेत्र में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा पाया गया, परन्तु रिकार्डिंग नहीं दिखा सके। ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या-25/21 के पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण दिशा में जी0पी0एस0 कोडिनेट्स संख्या-ए N-25.8906138 व " E-79.5407742 व कोडिनेट्स संख्या-बी N-25.890566 व " E-79.54021 व के मध्य 50मील0X25मी0चौ0X0.9मी0ग0 कुल-1125 घन मीटर अवैध खनन किया जाना पाया गया। इसके अतिरिक्त पट्टाधारक द्वारा नदी की जलधारा में खनन किये जाने के साक्ष्य पाये गये। जांच के समय पट्टाधारक को निर्देशित किया गया कि अपने स्वीकृत क्षेत्र में ही खनन करना सुनिश्चित करें।"

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण दिशा में कुल-1125 घन मीटर का अवैध खनन पाया गया। इसके अतिरिक्त पट्टाधारक द्वारा नदी की जलधारा में खनन किये जाने के साक्ष्य पाये गये। आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 नियम-03, 21 व 42(ज) का उल्लंघन एवं नियम-58 व 60(4) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण दिशा की ओर रिक्त क्षेत्र में कुल-1125 घन मीटर का अवैध खनन किये जाने के कारण नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 1125 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रू0-1,68,750/- (रुपये एक लाख अरसठ हजार सात सौ पचास मात्र), बाजार मूल्य रू0-8,43,750/- (रुपये आठ लाख तितालिस हजार सात सौ पचास मात्र) तथा नदी की जलधारा में खनन करने के कारण नियमावली-2021 के नियम-60(4) के अन्तर्गत रू0-5,00,000/- (रुपये पांच लाख मात्र) कुल रू0-15,12,500/- (रुपये पन्द्रह लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की देयता बनती है। उपरोक्त के सम्बन्ध में पट्टाधारक मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्न को कार्यालय के पत्र संख्या-1732/खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-27.02.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस के अन्तर्गत बकाया धनराशि जमा करने अथवा प्रश्नगत प्रकरण में 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

उक्त नोटिस दिनांक-27.02.2025 के क्रम में पट्टाधारक द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक-03.03.2025 प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन में मुख्यतः उल्लेख किया गया कि "अवैध खनन का आरोप मुझ स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता को अस्वीकार है। मुझ स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र के बाहर कभी भी अवैध खनन नहीं किया है तथा नोटिस दिनांक-27.02.2025 के साथ भी कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कारण बताओ नोटिस दिनांक-27.02.2025 के साथ निरीक्षण आख्या की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गयी है। अतः कारण बताओ नोटिस दिनांक-27.02.2025 विधिक दृष्टि में पोषणीय नहीं है। मा0 न्यायालय एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरिलिखित निर्णयों से स्पष्ट है कि निरीक्षण की सूचना, निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध कराये जाना तथा शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व आरोपित व्यक्ति को विश्वसनीय साक्ष्यों का एकत्रीकरण उपलब्ध कराये के उपरान्त ही किसी

पट्टेदार को अवैध खनन किये जाने के सम्बन्ध में कारण बताओं नोटिस दिया जाना वैधानिक होता है, परन्तु विषयगत प्रकरण में न तो पट्टेदार को क्षेत्र के निरीक्षण करने की कोई सूचना दी गई और न ही निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध करायी गई और कारण बताओं नोटिस दिनांक-07.02.2025 में कोई विश्वसनीय साक्ष्य संलग्न किये बिना स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन के गढ़े/निशान पाये जाने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता के समीपवर्ती खनन अनुज्ञा धारक होने के आधार पर मात्र काल्पनिक अवैध खनन का आरोप अधिरोपित किया गया है, जो मा० न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। कारण बताओं नोटिस दिनांक-27.02.2025 में नदी की जलधारा में खनन किये जाने के साक्ष्य पाये जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु कारण बताओं नोटिस दिनांक-27.02.2025 में कौन से साक्ष्य पाये गये हैं, उनका कोई उल्लेख वर्णित नहीं किया गया है। उपरिलिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता के विनम्र स्पष्टीकरण पर विचार कर विषयगत कारण बताओं नोटिस दिनांक-27.02.2025 को न्यायहित में निक्षेपित करने की कृपा करें।"

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक-03.03.2025 में मुख्य रूप से अवैध खनन को नकारा गया है जबकि दिनांक-30.01.2025 को संयुक्त टीम द्वारा स्थलीय जांच की गयी। जांच के समय ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/21 के पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण दिशा में जी०पी०एस० कोडिनेट्स संख्या-ए N-25.8906138 व " E-79.5407742 व कोडिनेट्स संख्या-बी N-25.890566 व " E-79.54021 व के मध्य 50मील०x25मी०चौ०x0.9मी०ग० कुल-1125 घन मीटर अवैध खनन किया जाना पाया गया। उक्त के अतिरिक्त पट्टाधारक द्वारा नदी की जलधारा में खनन किया जाना पाया गया। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण दिशा में कुल 1125 घन मीटर का अवैध खनन तथा नदी की जलधारा में अवैध खनन किये जाने की पुष्टि हुई। इसके अतिरिक्त खनन पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र की जांच आख्या की मांग की गयी है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि संयुक्त जांच टीम की आख्या दिनांक-30.01.2025 का सम्पूर्ण उल्लेख कारण बताओं नोटिस संख्या-1732/खनिज- एम०एम०सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-27.02.2025 में स्पष्ट रूप से किया गया है, अलग से जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक-03.03.2025 में उल्लिखित कथन तथ्यहीन/बलहीन पाये जाने के आधार पर प्रत्यावेदन दिनांक-03.03.2025 को निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।

मै० डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो० श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्मन निवासी-233 विष्णुपुरी एन०एक्स० भँवरकुंआ इन्दौर म०प्र० के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र तहसील सरीला ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/21 क्षेत्रफल-17.731 हे० के पट्टाधारक द्वारा 1125 घन मीटर का अवैध खनन किये जाने के कारण उन पर कुल रु०-15,12,500/- (रुपये पन्द्रह लाख बारह हजार पांच सौ मात्र) आरोपित की जाती है तथा निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिरोपित धनराशि खनिज विभाग के लेखाशीर्षक-0853 में 30 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में उक्त देय धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूली करने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी, जिसके पट्टाधारक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(धनश्याम मोना)
जिलाधिकारी
हमीरपुर
%

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।


- 1- सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
- 3- मै० डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो० श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्मन निवासी-233 विष्णुपुरी एन०एक्स० भँवरकुंआ इन्दौर म०प्र०।

जिलाधिकारी
हमीरपुर
%

703 निरीक्षण आख्या

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय के पत्र दिनांक-1600/04.02.2025 के अनुपालन में खनिज विभाग, राजस्व विभाग व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक-06.03.2025 को मे० डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो० श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्न पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्न नि०-233 विष्णुपुरी एन०एक्स० भयैरकुआ इन्दौर म०प्र० के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या-25/21 जांच की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

1	सीमास्तम्भों की स्थिति	सभी सीमास्तम्भ लगे नहीं पाये गये।
2	पी०टी०जेड कैमरे की स्थिति	खनन क्षेत्र में पी०टी०जेड० कैमरा चालू हालत में लगा पाया गया
3	वे-ब्रिज/सी०सी०टी०वी० कैमरे की स्थिति	खनन क्षेत्र में वे-ब्रिज/सी०सी०टी०वी० लगे पाये गये।
4	स्वीकृत क्षेत्र में खनन की स्थिति/जलधारा में खनन की स्थिति	जांच के समय ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या-25/21 के पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य अपने स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर करते पाया गया तथा नदी की जलधारा में खनन कार्य होना नहीं पाया गया।
5	अन्य विवरण	मौके पर संयुक्त टीम द्वारा पट्टाधारक/प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि खनन कार्य अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र में करे।
6	जांच के समय लिये गये फोटोग्राफ	

आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

Prankaj
06/03/2025
खान निरीक्षक
हमीरपुर

क्षेत्राधिकारी
सरीला

06/03/25
उपजिलाधिकारी
सरीला

का०

Mo
HM
12.03.25

जॉच आख्या

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 17.04.2025 को 7:35 PM बजे खान अधिकारी हमीरपुर द्वारा मै0 डिजियाना इन्ड्रस्टीज निदेशक तेजिन्दर पाल सिंह के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/21 में मौके पर बुलाकर निर्देशित किया गया कि औचक निरीक्षण/जॉच के समय 06 Suction Pump Machine/ Lifter जलधारा से उपखनिज बालू/मौरम निकालते हुए पाये गये। उक्त मशीनो पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित थाने से सम्पर्क कर थाना की अभिरक्षा में सुपुर्द कर सुपुर्दगीनामा की प्रति यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

उक्त आदेश के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा मौके पर ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/21 में स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर नदी की जलधारा में 06 Suction Pump Machine/ Lifter द्वारा बालू/मौरम का अवैधानिक तरीके से खनन करते पाये गये। पट्टाधारक का उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 42(ज) का स्पष्ट उल्लंघन है। पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में पाये गये 06 Suction Pump Machine/ Lifter को पुलिस बल थाना जरिया से समन्वय स्थापित करते हुए दिनांक-18.04.2025 को थाना परिसर जरिया में की सुपुर्दगी में दिया गया। मौके में लिए गये फोटोग्राफ निम्नवत् है :-



आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
संलग्नक- सुपुर्दगीनामा की छायाप्रति।

Handwritten signature
19/04/2025

खान निरीक्षक,
हमीरपुर

आज दिनांक 17/04/2025 को समय 6:30 PM बजे अधीहस्ताक्षर
 व स्वाम अधिकारी हमीरपुर द्वारा बालू/मोटा रेत क्षेत्र
 का गण्ड इचोटा जिलकारी खण्ड 25/21 का औद्योगिक
 स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त खनन क्षेत्र में मी० डिजिटल
 इन्स्ट्रुमेंट के प्रयोग में 05 वर्षीय बालू/बगीरम का खनन
 पट्टा स्वीकृत है। जांच के समय स्वीकृत खनन क्षेत्र
 के अन्दर जालबारा के अन्दर ह्युसकट कुन 06
 Suction pump machine / लिफ्ट द्वारा बालू/मोटा का खनन
 करने पाया गया है जो नियमानुसार प्रतिबंधित मशीन है।
 जांच में उपस्थित 06 लिफ्ट मशीनों को धाना किया
 से सम्बन्ध स्थापित करती हुए अधीहस्ताक्षर द्वारा मशीनों
 को धाना परिलक्षित लाकर खड़ा कराया गया।
 अतः नियमानुसार 06 प्रतिबंधित लिफ्ट मशीनों को (मध्य-राज-सहित)
 जिलाधिकारी महोदय / सक्षम आग्राम्य के अग्रिम आदेश
 तक अपनी अधिकार में रखने का कष्ट करें।

सुपुर्दगी लेने वाले का हस्ताक्षर

सुपुर्दगी देने वाले का हस्ताक्षर

18/04/2025



स्वाम निरीक्षक - हमीरपुर
 हास-पता - बनेही कापानिया
 खनिज विभाग, कर्जवाड़ा
 कैम्पस जिला हमीरपुर
 मो-नं- 6202525705

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर(खनन अनुभाग)

संख्या- 401 / खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25) दिनांक- 19/04/2025

मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज,
प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्या सिंह घुम्मन,
निवासी-233 विष्णुपुरी एन0एक्स0 भँवरकुंआ इन्दौर म0प्र0।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/21 में स्थित 17.731 हे0 क्षेत्र में 2,83,661 घन मीटर बालू/मौरम की रू0-630/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-11.11.2024 से 10.11.2029 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित किया गया है।

उक्त क्षेत्र की जांच खान निरीक्षक, हमीरपुर द्वारा दिनांक-19.04.2025 को प्रस्तुत की गयी, जिसमें उल्लेख किया गया कि "ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/21 में स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर नदी की जलधारा में 06 Suction Pump Machine/Lifter द्वारा बालू/मौरम का अवैधानिक तरीके से खनन करते पाये गये। पट्टाधारक का उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ज) का स्पष्ट उल्लंघन है। पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में पाये गये 06 Suction Pump Machine/Lifter को पुलिस बल थाना जरिया से समन्वय स्थापित करते हुये दिनांक-18.04.2025 को थाना परिसर जरिया की सुपुर्दगी में दिया गया है।"

आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 नियम-42(ज) का उल्लंघन एवं नियमावली-2021 नियम-60 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। नियमावली-2021 के नियम-60 में निम्नवत प्राविधानित किया गया है :-

"60(4) नियम-42(ज) के अधीन उपबन्धित उपबन्धों के अनुसार जलधारा में सक्शन मशीन/लिफ्टर के माध्यम से खनन कार्य निषिद्ध होगा। यदि कोई पट्टाधारक उक्त नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो प्रत्येक अवसर पर पाँच लाख रुपये की दर से शास्ति के लिये दायी होगा, जो जिला मजिस्ट्रेट या निदेशक के आदेश पर वसूला जायेगा। शास्ति की उपरोक्त उल्लिखित धनराशि को जमा करने में विफल होने पर उस धनराशि को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित पट्टे के सापेक्ष की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती की जायेगी।"

उपरोक्तानुसार आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर नदी की जलधारा में 06 Suction Pump Machine/ Lifter द्वारा बालू/मौरम का अवैधानिक तरीके से खनन करते पाये गये। आपका उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज नियमावली-2021 के नियम-42(ज) के अन्तर्गत प्रत्येक चूक रू0-5,00,000/- (रुपये पांच लाख मात्र) के अनुसार 06 लिफ्टर मशीनों की कुल रू0-30,00,000/- (रुपये तीस लाख मात्र) की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के

1787

नन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि क्यों न आप द्वारा उक्त कृत्य किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
हमीरपुर

o/c

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी महोदय, हमीरपुर।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
हमीरपुर

o/c

बिमा नहीं/NOT INSURED	
101	क्रमांक/No. 20-10089169
लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य Amount of Stamps affixed	रु. 7.39
एक रजिस्ट्री Received a Registered	तारीख-मोहर Date-stamp
पाने वाले/माम/Addressed to	पाने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of Receiving Officer

708
कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या-- 276 / खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2025-26) दिनांक- 20/05/2025

आदेश

मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्मन, निवासी-233 विष्णुपुरी एन0एक्स0 भँवरकुआ इन्दौर म0प्र0 के पक्ष में जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/21 में स्थित 17.731 हे0 क्षेत्र में 2,83,661 घन मीटर बालू/मौरम की रु0-630/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-11.11.2024 से 10.11.2029 तक की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित किया गया है।

उक्त क्षेत्र की जांच खान निरीक्षक, हमीरपुर द्वारा दिनांक-19.04.2025 को प्रस्तुत की गयी, जिसमें उल्लेख किया गया कि "ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/21 में स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर नदी की जलधारा में 06 Suction Pump Machine/Lifter द्वारा बालू/मौरम का अवैधानिक तरीके से खनन करते पाये गये। पट्टाधारक का उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ज) का स्पष्ट उल्लंघन है। पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में पाये गये 06 Suction Pump Machine/Lifter को पुलिस बल थाना जरिया से समन्वय स्थापित करते हुये दिनांक-18.04.2025 को थाना परिसर जरिया की सुपुर्दगी में दिया गया है।"

पट्टाधारक द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 नियम-42(ज) का उल्लंघन एवं नियमावली-2021 नियम-60 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। नियमावली-2021 के नियम-60 में निम्नवत प्राविधानित किया गया है :-

"60(4) नियम-42(ज) के अधीन उपबन्धित उपबन्धों के अनुसार जलधारा में सक्शन मशीन/लिफ्टर के माध्यम से खनन कार्य निषिद्ध होगा। यदि कोई पट्टाधारक उक्त नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो प्रत्येक अवसर पर पाँच लाख रुपये की दर से शास्ति के लिये दायी होगा, जो जिला मजिस्ट्रेट या निदेशक के आदेश पर वसूला जायेगा। शास्ति की उपरोक्त उल्लिखित धनराशि को जमा करने में विफल होने पर उस धनराशि को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित पट्टे के सापेक्ष की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती की जायेगी।"

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर नदी की जलधारा में 06 Suction Pump Machine/ Lifter द्वारा बालू/मौरम का अवैधानिक तरीके से खनन करते पाये गये। पट्टाधारक का उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज नियमावली-2021 के नियम-42(ज) के अन्तर्गत प्रत्येक चूक रु0-5,00,000/- (रुपये पांच लाख मात्र) के अनुसार 06 लिफ्टर मशीनों की कुल रु0-30,00,000/- (रुपये तीस लाख मात्र) की देयता बनती है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में पट्टाधारक मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज को कार्यालय के पत्र संख्या-101/खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-19.04.2025 द्वारा कारण

1878

बताओ नोटिस के अन्तर्गत बकाया धनराशि जमा करने अथवा प्रश्नगत प्रकरण में 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

उक्त नोटिस दिनांक-19.04.2025 के क्रम में पट्टाधारक द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक-01.05.2025 प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन में मुख्यतः उल्लेख किया गया कि "कारण बताओ नोटिस दिनांक-19.04.2025 खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर निर्गत की गयी है। खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा अपनी आख्या दिनांक-19.06.2025 में 06 Suction Pump Machine/Lifter के माध्यम से जल के अन्दर से खनन कार्य करना संसूचित किया गया है। इस सम्बन्ध में विनम्रतापूर्वक उल्लेख करना है कि अपील संख्या-306 वर्ष, 2022 में हरिहर मिनरल्स बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में भी Suction Pump Machine/Lifter के उपयोग का आरोप में हरिहर मिनरल्स के ऊपर लगाया गया था, जबकि विषयगत Suction Pump Machine न होकर मोटर पम्प थे, जिनके द्वारा पानी लेकर उप खनित बालू में मिट्टी के कणों को हटाकर धुलाई कर उन्हें बाजार में बिक्री योग्य बनाया जाता है। इस सम्बन्ध में विनम्रतापूर्वक उल्लेख करना है कि ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/21 में बालू/मौरम साफ-सुथरी न होकर मिट्टी के कण सम्मिलित होने के कारण बालू/मौरम विनिर्माण कार्यों में प्रयोग नहीं होती है, जिसकी साफ-सफाई के लिये गड्ढों में पानी पानी लेकर धुलाई कर परिवहित की जाती है। Suction Pump Machine और मोटर पम्प में महत्वपूर्ण अन्तर है। Suction Pump Machine बालू/मौरम जल के अन्दर से खींच कर बाहर फैंकती है, परन्तु मोटर मात्र जल ही बाहर निकालते है, जिससे मिट्टी मिश्रित बालू/मौरम की सफाई होती है। उपरिलिखित तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता विषयगत अनियमितता के आरोप को अस्वीकार कर यह प्रार्थना करता है कि जब्त किये गये मोटर पम्पों को लब्ध उपखनिजों की धुलाई हेतु अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक-01.05.2025 में मुख्य रूप से विषयगत Suction Pump Machine न होकर मोटर पम्प थे, जिनके द्वारा पानी लेकर उप खनित बालू में मिट्टी के कणों को हटाकर धुलाई कर उन्हें बाजार में बिक्री योग्य बनाया जाता है। जबकि खान निरीक्षक, हमीरपुर द्वारा दिनांक-19.04.2025 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/21 में स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर नदी की जलधारा में 06 Suction Pump Machine/Lifter द्वारा बालू/मौरम का अवैधानिक तरीके से खनन करते पाये गये। पट्टाधारक का उक्त कृत्य उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ज) का स्पष्ट उल्लंघन है। पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में पाये गये 06 Suction Pump Machine/Lifter को पुलिस बल थाना जरिया से समन्वय स्थापित करते हुये दिनांक-18.04.2025 को थाना परिसर जरिया की सुपुर्दगी में दिया गया है। पट्टाधारक द्वारा अवैधानिक तरीके से 06 Suction Pump Machine/Lifter द्वारा बालू/मौरम का खनन/परिवहन किया गया है, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ज) का उल्लंघन एवं नियमावली-2021 के नियम-60 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः पट्टा क्षेत्र तहसील सरीला ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/21 के पट्टाधारक मै० डिजियाना इण्डस्ट्रीज द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर नदी की जलधारा में 06 Suction Pump Machine/Lifter द्वारा बालू/मौरम का अवैधानिक तरीके से खनन करते पाये जाने के कारण नियमावली-2021 के नियम-42(ज) के अन्तर्गत प्रत्येक चूक रु०-5,00,000/- (रुपये पांच लाख मात्र) के अनुसार 06 लिफ्टर मशीनों की कुल रु०-30,00,000/- (रुपये तीस लाख मात्र) आरोपित की जाती है। उक्त अधिरोपित धनराशि खनिज विभाग के लेखाशीर्षक-0853 में 30 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में उक्त देय धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूली करने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी, जिसके जिम्मेवार पट्टाधारक स्वयं होंगे।

(घनश्याम मीना)
जिलाधिकारी,
हमीरपुर
ole

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
3. मै० डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो० लेजिन्डर पाल सिंह चुम्भन पुत्र श्री सुब्बा सिंह चुम्भन निवासी- 233 विष्णुपुरी एन०एस० अवर कुआ इन्दौर म०ऊ०।

जिलाधिकारी,
हमीरपुर
ole

बीमा नहीं/NOT INSURED	
क्रमांक/NO. 40/70	क्रमांक/NO. 256024/53-in
276	769
लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य Amount of Stamps affixed	रु० पं० RS. P.
एक रजिस्ट्री* Received a Registered	प्राप्त किया Date stamp
पाने वाले का नाम/Address 190 पु० 3/4	पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of Receiving Officer

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर
(खनन अनुभाग)

संख्या- 197 / खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2025-26) दिनांक- 07/05/2025
मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज,
प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्मन,
निवासी-233 विष्णुपुरी एन0एक्स0 भँवरकुंआ इन्दौर म0प्र0।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या-25/21 रकबा-17.731 हे0 क्षेत्र में 2,83,661 घन मीटर बालू/मौरम का खनन पट्टा रु0-630/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-11.11.2024 से 10.11.2029 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में स्वीकृत/निष्पादित है।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ के पत्र संख्या-35/एम-प्रवर्तन हमीरपुर/2020 दिनांक-08.04.2025, जिसके द्वारा जनपद हमीरपुर में स्वीकृत/संचालित बालू/मौरम के खनन पट्टा क्षेत्रों की स्थलीय निरीक्षण/जांच आख्या दिनांक-02.12.2024 की प्रति संलग्न कर अवैध खनन/परिवहनकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त पत्र के साथ संलग्न क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खनन अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-28.11.2024 से 01.12.2024 तक की अवधि में जनपद हमीरपुर में बालू/मौरम के स्वीकृत खनन क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया गया। खनन एवं परिवहन के विवरण प्राप्त कर क्षेत्र में प्रदर्शित गड्ढों के आकलन के उपरान्त यह पाया कि पट्टाधारक द्वारा माह अक्टूबर एवं नवम्बर ई-एम0एम0-11 की निर्गत मात्रा से अधिक मात्रा का खनन एवं परिवहन किया गया है।

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा माह अक्टूबर, 2024 के उपरान्त ई-एम0एम0-11 के पोर्टल की मात्रा 2946 घन मीटर के सापेक्ष स्वीकृत क्षेत्र में उपलब्ध गड्ढों के अनुसार लब्ध मात्रा 3246 घन मीटर खनन किया गया है। इस प्रकार आप द्वारा 300 घन मीटर बालू/मौरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया जाना पाया गया।

आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 नियम-03 व 21 का उल्लंघन एवं नियम-58 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

आप द्वारा 300 घन मीटर बालू/मौरम का अतिरिक्त खनन किये जाने के कारण नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 300 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0-45000/- (रुपये पैतालिस हजार मात्र) एवं खनिमुख मूल्य रु0-2,25,000/- (रुपये दो लाख पचीस हजार मात्र) कुल रु0-2,70,000/- (रुपये दो लाख सत्तर हजार मात्र) की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के

712

अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि क्यों न आप द्वारा उक्त कृत्य किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

(घनश्याम मीना)
जिलाधिकारी
हमीरपुर
o/e

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।

जिलाधिकारी
हमीरपुर
o/e


13/05/2021

1858

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या- 1737/खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2022-23)

दिनांक- 21.02.2023

आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट)

मै0 रेवा शुगर इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0
निदेशक रसमीत सिंह मल्होत्रा पुत्र श्री अजीत सिंह मल्होत्रा
पता-पोस्ट व तहसील पिपरिया नेहरूवार्ड नं0-13 अल्का टाकीज
के पास पिपरिया हौशंगाबाद म0प्र0

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-2168/86-2019-57 (सामा0)/2017 दिनांक-09.10.2019 में उल्लिखित निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 वर्तमान में नियमावली-2021 के अध्याय-चार के अन्तर्गत 'ई-निविदा सह ई-नीलामी' के माध्यम से जनपद हमीरपुर के बालू/मौरम के क्षेत्रों को 05 वर्ष की अवधि के लिये खनन पट्टा पर स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञप्ति संख्या-1253/खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विज्ञप्ति मौरम (2022-23) दिनांक-13.12.2022 जारी की गई थी। उपरिलिखित विज्ञप्ति दिनांक-13.12.2022 के क्रम में MSTC से प्राप्त आख्या दिनांक-01.02.2023 के अनुसार आप द्वारा जनपद की तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी में स्थित बालू/मौरम के क्षेत्र खण्ड संख्या-25/17 में स्थित 12.145 हे0 पर खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु रुपये-461/- (रुपये चार सौ इक्कसठ मात्र) प्रति घन मी0 की दर से बोली दी है, जो सार्वधिक एवं सन्तोषजनक पाये जाने पर औपबन्धिक रूप से स्वीकार की जाती है। शासनादेश दिनांक-09.10.2019 के बिन्दु संख्या-19 के उप बिन्दु (2) में 'आशय पत्र' प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 20 प्रतिशत प्रथम किश्त अर्थात् पट्टे के प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित पट्टा धनराशि का 45 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (जिसमें प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित हो) जनपद हमीरपुर में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के निर्धारित लेखाशीर्षक में आशय पत्र जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा किया जाना होगा। प्री-बिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि MSTC द्वारा जनपद हमीरपुर के जिलाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा आनलाइन हस्तान्तरित की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।"

शर्त:-

- (1) क्षेत्र में अंकलित खनिज की मात्रा 1,94,296 घन मी0 पर आपके द्वारा दी गयी दर रू0-461/- प्रति घन मी0 के हिसाब से कुल रू0-8,95,70,456/-की धनराशि प्रथम वर्ष में देय होगी तथा आगामी वर्षों में प्रति वर्ष 10% की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ देय होगी।
- (2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिये प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि 20 प्रतिशत दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की जमा धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।

- (3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्ते एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली-2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी।
- (4) पट्टाधारक नियम-17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमाकन करायेगा (जिसमें सीमा विन्दुओं का जीओ-कोआर्डिनेट्स भी इंगित किया जायेगा) तथा नियम-36 के अनुसार सीमा-स्तम्भ लगायेगा तथा इसका अनुरक्षण करेगा।
- (5) चयनित आवेदक नियम-35 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक-14.09.2006 सपठित अधिसूचना दिनांक-15.01.2016 तथा समय-समय पर यथासंशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
- (6) पट्टाधारक द्वारा नियम-35 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय अश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।
- (7) लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु देय प्रतिभूति एवं प्रथम किस्त की धनराशि के जमा होने के प्रमाण पत्र सहित खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त से अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक माह के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- (8) नियम-35 में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार नियत की गयी एक माह की अवधि के भीतर खनन योजना प्रस्तुत नहीं किया जाता है या पर्यावरण अनापत्ति स्वीकृत हेतु आवेदन नहीं किया जाता है, तो रु०-दस हजार प्रतिदिन की शारित के लिये दायी होगा। शारित की धनराशि जमा करने में विफल होने पर उस धनराशि को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित पट्टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति की धनराशि से कटौती की जायेगी यदि प्रस्तावक पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन करने में विफल हो जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट आशय पत्र निरस्त करने के पश्चात् प्रस्तावक द्वारा जमा की गयी प्रथम किस्त और प्रतिभूति धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा।
- (9) पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर खनन संक्रिया तत्काल प्रारम्भ की जानी होगी।
- (10) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी०सी०एस०, जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (डी०एम०एफ०) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।
- (11) यह कि प्रस्तुत अभिलेख कूटरचित पाये जाने की दशा में लेटर ऑफ इन्टेंट (सहमति पत्र) निरस्त कर दिया जायेगा और बयाने की धनराशि/अर्नेस्ट मनी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
- (12) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारक को मान्य होगा।

अतिरिक्त शर्तें

1. पट्टा अभिलेख के निष्पादन के दिनांक से तीन माह के भीतर खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति के कुशल कारीगर की भांति करेगा।




2. पट्टेदार नियम-36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिये स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टेदार उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टेदार उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।
3. पट्टेदार प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिये आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हे सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-2021 के नियम-60 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।
4. पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जल स्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नहीं करेगा।
5. पट्टेदार द्वारा सुरक्षा मानको के अनुसार खनन संक्रिया किया जायेगा।
6. जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।
7. नदी की जल धारा से सेक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
8. स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
9. यदि पट्टेदार द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र खनन योजना, लेटर आफ इंटेंट आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
10. खनन/परिवहन में जनधन की हानि की समस्त जिम्मेदारी पट्टेदार की होगी।
11. मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।
12. नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टेदार की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टेदार द्वारा किया जायेगा।
13. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टेदार को मान्य होगा।
14. पट्टेदार द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) नियमानुसार जमा किया जायेगा।
15. पट्टेदार को खनन क्षेत्र में पहुंच मार्ग का निर्माण स्वयं करना होगा तथा यदि तृतीय पक्ष द्वारा कोई विवाद उत्पन्न किया जाता है, तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।




16. पट्टेदार को उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 यथा संशोधित एवं सुसंगत शारणादेशों एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों को अक्षरशः पालन करना होगा।
17. पट्टेदार स्वीकृत एवं चिन्हांकित खनन क्षेत्र से बाहर किसी भी दशा में खनन कार्य नहीं करेगा, साथ ही मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन करेगा।
18. पट्टेदार नियमावली 2021 के नियम-74 के प्रावधानों के अन्तर्गत पूर्ववर्ती त्रैमास के संबंध में प्रत्येक वर्ष जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में प्रपत्र एम0एम0-12 में जिलाधिकारी और निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय को त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा तथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में विफल होने पर रू0 2,000.00 की शक्ति का भागीदार होगा तथा पट्टेदार की ऐसी चूक, खनन पट्टा विलेख की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा।
19. खनन कार्य करने के दौरान यदि कोई अन्य खनिज/उपखनिज प्राप्त होता है तो उसकी सूचना पट्टेदार तत्काल जिला कार्यालय तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (उ0प्र0) के क्षेत्रीय कार्यालय एवं निदेशालय को देगा।
20. पट्टेदार को पट्टाकृत क्षेत्र में खनिज के समुचित विकास हेतु वैज्ञानिक ढंग से खनन कार्य करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा हेतु खनिज/उपखनिज का खनन व निकासी करने के उपरान्त क्षेत्र का समतलीकरण कर वहाँ वृक्षारोपण करना होगा।
21. स्वीकृत क्षेत्र में स्थायी सीमा स्तम्भ लगाने के बाद ही खनन कार्य करने की अनुमति दी जायेगी।
22. खनन पट्टा स्वीकृति के पश्चात भविष्य में वन विभाग या किसी अन्य विभाग द्वारा शर्तों के विपरीत कार्य करने के कारण आपत्ति किये जाने पर उक्त नियमावली 2021 के नियम 61 के अधीन युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात खनन पट्टा निरस्त किया जायेगा।
23. पट्टेदार द्वारा खनन क्षेत्र तक पहुँच मार्ग स्वयं के व्यय पर बनाया जायेगा। यदि खनिजों के परिवहन हेतु किसी काश्तकार की भूमि से होकर रास्ते का निर्माण किया जाता है तो सम्बन्धित काश्तकार की लिखित सहमति सम्बन्धी अभिलेख जिला क्वैरी कार्यालय, हमीरपुर में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। रास्ते के निर्माण में होने वाले व्यय के लिए राज्य सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
24. खनन स्थल से निकाले गये खनिज पदार्थ का अभिवहन वन विभाग की लिखित सहमति के बिना वन मार्ग से नहीं किया जायेगा।
25. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि के बाहर कोई अवैध खनन पाये जाने पर उक्त नियमावली 2021 के नियम 61 के अधीन युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात खनन पट्टा निरस्त किया जायेगा।
26. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर किसी प्रतिबन्धित क्षेत्र (यदि कोई हो) में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। ऐसे प्रतिबन्धित क्षेत्र में खनन पाये जाने पर नियमानुसार खनन पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
27. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर निजी भूमि होने की दशा में पट्टाधारक भूमि के स्वामी को नियम-68 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर का भुगतान करेगा।
28. उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-35(4) के अनुसार निदेशालय द्वारा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित शर्तों का पालन पट्टेदार को किया जाना आवश्यक होगा।
29. पट्टा समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक को अन्तर्गत किये जाने में पट्टाधारक को कोई आपत्ति नहीं होगी।





30. खनन पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य को बन्द करने के बाद, खनन क्षेत्र और किसी भी अन्य क्षेत्र, जो कि खनन क्रियाकलाप से अस्तव्यस्त हो गये हैं उन क्षेत्रों में घास रोपण (Regrassing) किया जायेगा तथा भूमि को पुनः ऐसी स्थिति में किया जायेगा, जो पेड़ पौधे व जीव जन्तु आदि के पनपने के लिये उपयुक्त हो।
31. खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित किये जाने उपरान्त जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित आंकलित उपखनिज की मात्रा व खनन स्थल की सीमाओं में किसी प्रकार की अल्पीकरण किये जाने की मांग स्वीकार नहीं की जायेगी।
32. स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान रखते हुये अन्य शर्तें जो जिलाधिकारी द्वारा उचित समझी जायेगी पट्टेदार को मान्य होगा।
- अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि खनन पट्टे के अन्तर्गत प्रथम वर्ष के लिये देय धनराशि रु0 8,95,70,456/-का 25% अर्थात् रु0-2,23,92,614/-प्रतिभूति के रूप में तथा 20 प्रतिशत रु0-1,79,14,092/-कुल धनराशि रु0-4,03,06,706/-में से बयाने के रूप में जमा धनराशि रु0-72,86,100/-समायोजित करते हुये शेष धनराशि रु0-3,30,20,606/-को दो कार्य दिवस के अन्दर एम0एस0टी0सी0 के ई-पेमेंट गेटवे पर आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 द्वारा जमा करें। यदि नियत अवधि में धनराशि जमा नहीं की जाती है तो आपके द्वारा जमा की गयी बयाने की धनराशि रु0-72,86,100/-को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।


21.2.23
(डॉ० चन्द्र भूषण)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

संख्या- /तददिनांक-
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उ0प्र0 शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, एम0एस0टी0सी0 लि0 द्वितीय तल सेन्टर कोर्ट बिल्डिंग 5, पार्क रोड हजरतगंज लखनऊ 226001



21.2.23
जिलाधिकारी
हमीरपुर


Ravi D. Singh
24-02-23

निरीक्षण आख्या

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक-15.06.2024 को मै0 यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0 निदेशक चन्द्रशेखर चौरसिया पुत्र श्री डी0डी0 चौरसिया निवासी-9ए पैमाइउण्ट विला श्यामला हिल्स नियर रीजनल कालेज हुजूर रीजनल कालेज भोपाल म0प्र0 के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या-25/18 की जांच की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

1	सीमास्तम्भों की स्थिति	सभी सीमास्तम्भ लगे हुये पाये गये।
2	पी0टी0जेड0 कैमरे की स्थिति	खनन क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा है।
3	वे-ब्रिज / सी0सी0टी0वी0 कैमरे की स्थिति	खनन क्षेत्र में वे-ब्रिज / सी0सी0टी0वी0 लगे पाये गये।
4	स्वीकृत क्षेत्र में खनन की स्थिति / जलधारा में खनन की स्थिति	जांच के समय ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या-25/18 के बाहर लगभग 200 मीटर पूरव दिशा में 04 स्थानों पर स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खण्ड संख्या-25/19 की तरफ अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :- 1-जी0पी0एस0 कोडनेट्स 25°53'28.86" N 79°31'47.05"E के आसपास 40X20X1 =800 घन मीटर 2-जी0पी0एस0 कोडनेट्स 25°53'34.17" N 79°31'53.27"E के आसपास 15X10X1.2 =180 घन मीटर 3-जी0पी0एस0 कोडनेट्स 25°53'32.89" N 79°31'54.45"E के आसपास 75X14X0.8 =840 घन मीटर, इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा कुल 1820 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया है। नदी की जलधारा में खनन होना नहीं पाया गया।
5	जांच के समय लिये गये फोटोग्राफ	

आख्या सेवा में सादर प्रेषित

[Signature]
15/06/2024
क्षेत्रीय
लेखपाल

[Signature]
15/06/2024
खान निरीक्षक,
हमीरपुर

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर
(खनन अनुभाग)

संख्या- 382 / खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25) दिनांक- 22.06.2024

मै0 यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0,
निदेशक चन्द्रशेखर चौरसिया पुत्र श्री डी0डी0 चौरसिया,
निवासी-9ए पैरामाउण्ट विला श्यामला हिल्स नियर,
रीजनल कालेज हुजूर रीजनल कालेज भोपाल म0प्र0।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/18 रकबा-8.180 हे0 क्षेत्र में 1,30,864 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0-567/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-16.03.2024 से 15.03.2029 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त खनन क्षेत्र की जांच खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-15.06.2024 को की गयी। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्र में निम्न अनियमिततायें पायी गयी है:-

“जांच के समय ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/18 के बाहर लगभग 200 मीटर पूरब दिशा में 04 स्थानों पर स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खण्ड संख्या-25/19 की तरफ अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

- 1- जी0पी0एस0 कोडनेट्स 25°53'28.86" N 79°31'47.05"E के आसपास 40X20X1 =800 घन मीटर
- 2- जी0पी0एस0 कोडनेट्स 25°53'34.17" N 79°31'53.27"E के आसपास 15X10X1.2 =180 घन मीटर
- 3- जी0पी0एस0 कोडनेट्स 25°53'32.89" N 79°31'54.45"E के आसपास 75X14X0.8 =840 घन मीटर,

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा कुल 1820 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया है। नदी की जलधारा में खनन होना नहीं पाया गया।”

आपका उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3 का उल्लंघन एवं नियम-58 व 21 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किये जाने पर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 1820 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0-2,73,000/- (रुपये दो लाख तिहत्तर हजार मात्र) तथा बाजार मूल्य रु0-13,65,000/- (रुपये तेरह लाख पैसाठ हजार मात्र) कुल रु0-16,38,000/- (रुपये सोलह लाख अड़तीस हजार मात्र) की देयता बनती है।

२

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न आप द्वारा अवैध खनन किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अगल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

Rahul
22/06/24
(राहुल पाण्डेय)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।

Rahul
22/06/24
जिलाधिकारी
हमीरपुर

~~पूरी/नहीं~~/NOT INSURED

382 क्रमांक/NO-171342301-14

लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य रूप में
Amount of Stamps affixed Rs. P.

एक रजिस्टर्ड प्राप्त किया
Received a Registered Date-stamp

पाने वाले का नाम Addressed

क)पाल पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer




जांच आख्या

कार्यालय उपजिलाधिकारी सरीला के आदेश संख्या 139/एस0टी0/2024-25 दिनांक 20.11.2024 के द्वारा जांच टीम गठित करते हुये श्री अरुण कुमार लोधी गण्डल अध्यक्ष भाजपा मण्डल सरीला के पंजीकृत डाक संख्या-FS100039724IN दिनांक 19.11.2024 के कम में जिला हमीरपुर की तहसील सरीला अन्तर्गत बालू/मोरम खनन क्षेत्र इछौरा मे खण्ड धारको द्वारा किये जा रहे अवैध खनन के सम्वन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में टीम गठित करते हुये स्थलीय निरीक्षण कर नियमानुसार/विधिसंगत कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के कम में दिनांक 12.12.2024 को उक्त क्षेत्र की जांच संयुक्त टीम द्वारा की गयी। जांच में पाया गया कि ग्राम इछौरा तहसील सरीला जनपद हमीरपुर के खण्ड संख्या-25/18 के पट्टाधारक द्वारा खण्ड संख्या-25/17 मे रास्ता बनाकर अवैध खनन किये जाने के साक्ष्य पाये गये है। जिसमें से अवैध खनन के क्षेत्रफल 350मी0ल0X50मी0च0 X0.6मी0ग0 कुल 10500 घन0मी0 मे बालू/मोरम का अवैध खनन पाया गया जिसके जी0पी0एस0 कॉडिनेट ABCDEFGHI निम्नवत है:-

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| A- 25°53'18.25"N, 79°31'26.46" | B- 25°53'15.95"N, 79°31'23.56" |
| C- 25°53'13.72"N, 79°31'21.42" | D- 25°53'10.04"N, 79°31'17.42" |
| E- 25°53'11.50"N, 79°31'16.64" | F- 25°53'14.88"N, 79°31'19.57" |
| G- 25°53'15.98"N, 79°31'20.89" | H- 25°53'17.67"N, 79°31'23.00" |
| I- 25°53'19.55"N, 79°31'25.11" | |

खण्ड संख्या-25/18 मे जलधारा के अन्दर खनन कार्य होता नहीं पाया और कैमरे मौके पर चालू पाये गये किन्तु पिलर/सीमास्तम्भ लगे नहीं पाये गये। मौके पर पट्टाधारक के प्रतिनिधि को संयुक्त टीम द्वारा निर्देशित किया गया है कि स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य न करे व पिलर/ सीमास्तम्भ स्पष्ट रूप से लगा ले। शिकायत मे उल्लिखित खण्ड संख्या-25/24 की जांच की गयी। जांच में खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र में होना पाया गया और जलधारा मे खनन कार्य नहीं पाया गया। कैमरे मौके पर चालू पाये गये व सभी पिलर/सीमास्तम्भ लगे पाये गये। जांच मे लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है:-



उपरोक्तानुसार जांच आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा मे सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय
लेखपाल

थाना प्रभारी निरीक्षक
चिकासी

खान निरीक्षक
हमीरपुर

नायब तहसीलदार
सरीला

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर
(खनन अनुभाग)

संख्या- 1348/खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25) दिनांक- 12/12/2024

मै0 यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0,
निदेशक श्री चन्द्रशेखर चौरसिया पुत्र श्री डी0डी0 चौरसिया,
निवासी-9ए पैरामाउण्ट विला श्यामला हिल्स, नियर रीजनल,
कालेज हुजूर रीजनल कालेज भोपाल म0प्र0।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या-25/18 में स्थित 8.180 हे0 क्षेत्र में 1,30,864 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0-567/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-16.03.2024 से 15.03.2029 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, थाना प्रभारी निरीक्षक चिकासी, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-12.12.2024 को जांच किया गया। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्रों में निम्न अनियमिततायें पायी गयी हैं:-

“जांच में पाया गया कि ग्राम इछौरा तहसील सरीला जनपद हमीरपुर के खण्ड संख्या-25/18 के पट्टाधारक द्वारा खण्ड संख्या-25/17 में रास्ता बनाकर अवैध खनन किये जाने के साक्ष्य पाये गये, जिसमें से अवैध खनन के क्षेत्रफल 350मी0ल0 x 50मी0चौ0 x 0.6 मी0ग0 कुल 10500 घन मीटर में बालू/मौरम का अवैध खनन पाया गया, जिसके जी0पी0एस0 कोडिनेट ABCDEFGHI निम्नवत है :-

A- N-25°53'18.25" E-79°31'26.46" B- N-25°53'15.95" E-79°31'23.56"
C- N-25°53'13.72" E-79°31'21.42" D- N-25°53'10.04" E-79°31'17.42"
E- N-25°53'11.50" E-79°31'16.64" F- N-25°53'14.88" E-79°31'19.57"
G- N-25°53'15.98" E-79°31'20.89" H- N-25°53'17.67" E-79°31'23.00"
I- N-25°53'19.55" E-79°31'25.11" ”


अतः उपरोक्तानुसार आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खण्ड संख्या-25/17 में रास्ता बनाकर 350मी0 ल0 x 50 मीटर चौ0 x 0.6 मीटर ग0 में कुल-10500 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया।

आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 नियम-03 व 21 का उल्लंघन एवं नियम-58 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खण्ड संख्या-25/17 में रास्ता बनाकर कुल-10500 घन मीटर का अवैध खनन खनन किये जाने के कारण नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 10500 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0-15,75,000/- (रुपये पन्द्रह लाख पच्छहत्तर हजार मात्र), बाजार मूल्य रु0-78,75,000/- (रुपये अठहत्तर लाख पच्चहत्तर हजार मात्र) कुल रु0-94,50,000/- (रुपये चौंसठ लाख पचास हजार मात्र) की देयता बनती है।


@

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण समस्त बिन्दुओं पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि क्यों न आप द्वारा उक्त कृत्य किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।


 (विजय शंकर तिवारी)
 अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
 हमीरपुर
 OK

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी महोदय हमीरपुर।


 अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
 हमीरपुर
 OK


 14-12-24

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या- 1557 / खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25)

दिनांक- 22/01/2025

आदेश

मै0 यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0 निदेशक श्री चन्द्रशेखर चौरसिया पुत्र श्री डी0डी0 चौरसिया निवासी-9ए पैरागाउण्ट विला श्यामला हिल्स नियर रीजनल कालेज हुजूर रीजनल कालेज भोपाल म0प्र0 जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या-25/18 में स्थित 8.180 हे0 क्षेत्र में 130.864 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0-567/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-16.03.2024 से 15.03.2029 तक की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, थाना प्रभारी निरीक्षक चिकासी, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-12.12.2024 को जांच किया गया। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्रों में निम्न अनियमिततायें पायी गयी है :-

जांच में पाया गया कि ग्राम इछौरा तहसील सरीला जनपद हमीरपुर के खण्ड संख्या-25/18 के पट्टाधारक द्वारा खण्ड संख्या-25/17 में रास्ता बनाकर अवैध खनन किये जाने के साक्ष्य पाये गये, जिसमें से अवैध खनन के क्षेत्रफल 350 मी0ल0 X 50 मी0चौ0 X 0.6 मी0ग0 कुल 10500 घन मीटर में बालू/मौरम का अवैध खनन पाया गया, जिसके जी0पी0एस0 कोडिनेट ABCDEFGHI निम्नवत है :-

A-N-25°53'18.25"	E-79°31'26.46"	B-N-25°53'15.95"	E-79°31'23.56"
C-N-25°53'13.72"	E-79°31'21.42"	D-N-25°53'10.04"	E-79°31'17.42"
E-N-25°53'11.50"	E-79°31'16.64"	F-N-25°53'14.88"	E-79°31'19.57"
G-N-25°53'15.98"	E-79°31'20.89"	H-N-25°53'17.67"	E-79°31'23.00"
I-N-25°53'19.55"	E-79°31'25.11"		

अतः उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खण्ड संख्या-25/17 में रास्ता बनाकर 350 मी0ल0 X 50 मीटर चौ0 X 0.6 मीटर ग0 में कुल-10500 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया। पट्टाधारक द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 नियम-03 व 21 का उल्लंघन एवं नियम 58 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खण्ड संख्या-25/17 में रास्ता बनाकर कुल-10500 घन मीटर का अवैध खनन खनन किये जाने के कारण नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 10500 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0-15,75,000/- (रुपये पन्द्रह लाख पच्चहतर हजार मात्र), बाजार मूल्य रु0-78,75,000/- (रुपये अठहतर लाख पच्चहतर हजार मात्र) कुल रु0-94,50,000/- (रुपये चौंसठ लाख पचास हजार मात्र) की देयता बनती है। उपरोक्त के सम्बन्ध में पट्टाधारक मै0 यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0 निदेशक चन्द्रशेखर चौरसिया को कार्यालय के पत्र संख्या-1348/खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-12.12.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस के अन्तर्गत वकाया धनराशि जमा करने अथवा प्रश्नगत प्रकरण में 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

उक्त के सम्बन्ध में पट्टाधारक द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक-12.12.2024 के क्रम में प्रत्यावेदन दिनांक-24.12.2024 प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्यतः उल्लेख किया गया कि "अवैध खनन का आरोप मुझ स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता को अस्वीकार है। मुझ स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता ने अपने पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन नहीं किया गया है तथा नोटिस दिनांक-12.12.2024 में कोई साक्ष्य उल्लिखित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कारण बताओ नोटिस के साथ निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गयी है। पट्टादेदार को अवैध खनन किये जाने के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस दिया जाना वैधानिक होता है, परन्तु विषयगत प्रकरण में न तो पट्टादेदार को निरीक्षण करने की कोई

सूचना दी गयी और न ही निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध करायी गयी और कारण बताओं नोटिस दिनांक-12.12.2024 में कोई विश्वसनीय साक्ष्य का उल्लेख किये बिना स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन के ताजे गड्ढे/निशान पाये जाने पर समीपवर्ती पट्टेदार पर कल्पना के आधार पर अवैध खनन का आरोप अधिरोपित किया गया है, जो माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत एवं राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। उपरिलिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये स्पष्टीकरण पर विचार कर कारण बताओं नोटिस दिनांक-12.12.2024 को निक्षेपित करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक-24.12.2024 में मुख्य रूप से अवैध खनन को नकारा गया है, जबकि जांच में पाया गया कि ग्राम इछौरा तहसील सरीला जनपद हमीरपुर के खण्ड संख्या-25/18 के पट्टाधारक द्वारा खण्ड संख्या-25/17 में रास्ता बनाकर 350 मी०ल० X 50 मी०चौ० X 0.6 मी०ग० कुल 10500 घन मीटर में बालू/मौरम का अवैध खनन करने के साक्ष्य पाया गया है। खनन पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र की जांच आख्या की मांग की गयी है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि संयुक्त जांच टीम की जांच आख्या दिनांक-12.12.2024 का सम्पूर्ण उल्लेख कारण बताओं नोटिस संख्या-1348/खनिज-एम०एम०सी-तौस-विविध (2024-25) दिनांक-12.12.2024 में करते हुये प्रेषित किया गया है, अलग से जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि खनन क्षेत्र में अवैध खनन मात्र कल्पना के आधार पर लगाया गया है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि खण्ड संख्या-25/18 की जांच के समय पट्टाधारक द्वारा खण्ड संख्या-25/17 में रास्ता बनाकर अवैध खनन किये जाने के साक्ष्य पाये गये। पट्टाधारक/संचालक द्वारा अवैध खनन के साक्ष्य पाये जाने के कारण ही संयुक्त जांच टीम द्वारा नियमानुसार जांच कर अवैध खनन की पुष्टि की गयी है। अतः पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक-24.12.2024 में उल्लिखित कथन तथ्यहीन/बलहीन पाये जाने के आधार पर प्रत्यावेदन दिनांक-24.12.2024 को निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।

मै० यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा०लि० के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र तहसील सरीला ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/18 क्षेत्रफल-8.180 हे० के पट्टाधारक द्वारा 10,500 घन मीटर का अवैध खनन किये जाने के कारण उन पर कुल रु०-94,50,000/- (रुपये चौरानवे लाख पचास हजार मात्र) आरोपित की जाती है तथा निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिरोपित धनराशि खनिज विभाग के लेखाधीर्षक-0853 में 30 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में उक्त देय धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूली करने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी, जिसके जिम्मेवार पट्टाधारक स्वयं होंगे।

7
(घनश्याम मीना)
जिलाधिकारी

०१८ हमीरपुर

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- प्रमुख रायिव, भूतत्व एवं खनिकर्मा विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्मा निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
- 3- मै० यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा०लि० निदेशक श्री वन्दरशेखर चौरसिया पुत्र श्री डी०डी० चौरसिया निवासी-9ए परामाउण्ट मिला श्यामला हिल्स नियर रीजनल कालेज हुजूर रीजनल कालेज भोपाल म०प्र० उ०प्र०।


7
जिलाधिकारी
हमीरपुर

०१८ फल 1493

निरीक्षण आख्या

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय के पत्र दिनांक-1800/04.02.2025 के अनुपालन में खनिज विभाग, राजस्व विभाग व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक-11.02.2025 को मै0 मै0 यूफोरिया माइन्स एण्ड भिगरल्स प्रा०लि० श्री चन्द्रशेखर चौरसिया पुत्र श्री डी०डी० चौरसिया निवासी-9ए पैरामाउण्ट विला प्यामला हिल्स गियर रीजनल कालेज हुजूर रीजनल कालेज भोपाल म०प्र० के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या-25/18 जांच की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

1	सीमास्तम्भों की स्थिति	सभी सीमास्तम्भ लगे पाये गये।
2	पी०टी०जेड कैमरे की स्थिति	खनन क्षेत्र में पी०टी०जेड० कैमरा चालू हालत में लगे पाये गये।
3	वे-ब्रिज/सी०सी०टी०वी० कैमरे की स्थिति	खनन क्षेत्र में वे-ब्रिज/सी०सी०टी०वी० लगे पाये गये।
4	स्वीकृत क्षेत्र में खनन की स्थिति/जलधारा में खनन की स्थिति	जांच के समय सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या-25/18 के पट्टाधारक/प्रतिनिधि द्वारा खनन कार्य अपने स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर करते पाया गया तथा नदी की जलधारा से कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी।
5	अन्य विवरण	मौके पर संयुक्त टीम द्वारा पट्टाधारक/प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि खनन कार्य अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र में करे तथा नदी की जलधारा में खनन कार्य न करे।
6	जांच के समय लिये गये फोटोग्राफ	

आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

[Signature]
11-2-25
के 5521
क्षेत्रीय लेखपाल

[Signature]
11/02/2025
खान निरीक्षक
हमीरपुर

[Signature]
11-2-25
क्षेत्राधिकारी
सरीला

[Signature]
11/2/25
उपजिलाधिकारी
सरीला

कामाला

[Signature]
2/2/25
120

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर
(खनन अनुभाग)

संख्या- 496 / खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2025-26) दिनांक- 07/05/2025
मै0 यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0,
निदेशक श्री चन्द्रशेखर चौरसिया पुत्र श्री डी0डी0 चौरसिया,
निवासी-9ए पैरामाउण्ट विला श्यामला हिल्स नियर रीजनल
कालेज हुजुर रीजनल कालेज भोपाल म0प्र0।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या-25/18 रकबा-8.180 हे0 क्षेत्र में 1,30,864 घन मीटर बालू/मौरम का खनन पट्टा रु0-567/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-16.03.2024 से 15.03.2029 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में स्वीकृत/निष्पादित है।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ के पत्र संख्या-35/एम-प्रवर्तन हमीरपुर/2020 दिनांक-08.04.2025, जिसके द्वारा जनपद हमीरपुर में स्वीकृत/संचालित बालू/मौरम के खनन पट्टा क्षेत्रों की स्थलीय निरीक्षण/जांच आख्या दिनांक-02.12.2024 की प्रति संलग्न कर अवैध खनन/परिवहनकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त पत्र के साथ संलग्न क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खनन अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-28.11.2024 से 01.12.2024 तक की अवधि में जनपद हमीरपुर में बालू/मौरम के स्वीकृत खनन क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया गया। खनन एवं परिवहन के विवरण प्राप्त कर क्षेत्र में प्रदर्शित गड्ढों के आकलन के उपरान्त यह पाया कि पट्टाधारक द्वारा माह अक्टूबर एवं नवम्बर ई-एम0एम0-11 की निर्गत मात्रा से अधिक मात्रा का खनन एवं परिवहन किया गया है।

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा माह अक्टूबर, 2024 के उपरान्त ई-एम0एम0-11 के पोर्टल की मात्रा 12516 घन मीटर के सापेक्ष स्वीकृत क्षेत्र में उपलब्ध गड्ढों के अनुसार लब्ध मात्रा 13,166 घन मीटर खनन किया गया है। इस प्रकार आप द्वारा 650 घन मीटर बालू/मौरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया जाना पाया गया।

आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 नियम-03 व 21 का उल्लंघन एवं नियम-58 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

आप द्वारा 650 घन मीटर बालू/मौरम का अतिरिक्त खनन किये जाने के कारण नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 650 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0-97,500/- (रुपये सत्तानवे हजार पांच सौ मात्र) एवं खनिमुख मूल्य रु0-4,87,500/- (रुपये चार लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र) कुल रु0-5,85,000/- (रुपये पांच लाख पचासी हजार मात्र) की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि क्यों न आप द्वारा उक्त कृत्य किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

य
(घनश्याम मीना)
जिलाधिकारी
हमीरपुर
o/c

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।

य
जिलाधिकारी
हमीरपुर
o/c


15/5/25